महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 12 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

विधायकों से मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा

इस्तीफों की जांच करूंगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली/बंगलुरू, 11 जुलाई।

कर्नाटक संकट

कर्नाटक में सियासी घमासान जारी है। विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को बागी विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने बागी विधायकों से मुलाकात की और कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीमी सुनवाई के आरोपों से वह दुखी हैं। किसी भी बागी विधायक ने मुलाकात के लिए उनसे समय नहीं मांगा था। विधानसभा स्पीकर ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे फैसला लेने के लिए कहा है। मैंने सारी चीजों की वीडियोग्राफी की है और मैं उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा।'

उन्होंने कहा, 'मैंने कर्नाटक विधानसभा के नियम 202 के अनुसार सोमवार को सभी इस्तीफों की जांच की। 8 फॉर्म निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे। बाकी के बारे में अभी यह देखना है कि क्या ये इस्तीफे स्वैच्छिक और वास्तविक हैं। मैं पूरी रात बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे बातचीत का वीडियो

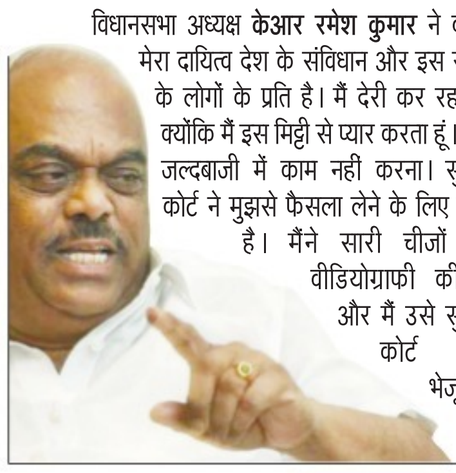

विधानसभा अध्यक्ष **केआर रमेश कुमार** ने कहा, मेरा दायित्व देश के संविधान और इस राज्य के लोगों के प्रति है। मैं देरी कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस मिट्टी से प्यार करता हूं। मुझे जल्दबाजी में काम नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे फैसला लेने के लिए कहा है। मैंने सारी चीजों की वीडियोग्राफी की है और मैं उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा।

गोवा के दस कांग्रेसी विधायक भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

कांग्रेस छोड़ने वाले गोवा के सभी दस विधायकों ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले इन विधायकों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री बाकी पेज 8 पर

'मुझे मेरे एमएलए पापा से बचाओ'

प्रयागराज/लखनऊ,11 जुलाई (भाषा)।

बरेली से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने पिता से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बीच, साक्षी और उनके पति अजितेश ने पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति वाईके श्रीवास्तव ने 15 जुलाई की तारीख तय की क्योंकि गुरुवार सुनवाई के समय साक्षी और उनके पति अदालत में मौजूद बाकी पेज 8 पर

दलित से शादी करने वाली साक्षी मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगाई गुहार

बरेली से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी हैं साक्षी मिश्रा, अजितेश कुमार से की है शादी

साक्षी ने कहा, मुझे या अभी या उनके परिवार को कुछ होता है तो उसके मेरे पापा, विकी भरतौल और राजीव राणा जिम्मेदार होंगे।

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मध्यस्थता समिति हफ्ते भर में सौंपे स्थिति रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 'मध्यस्थता की प्रगति' पर गुरुवार को रिपोर्ट मंगाने के साथ ही कहा कि यदि शीर्ष अदालत इस कार्यवाही को खत्म करने का निश्चय करती है तो इस मामले में 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई कर सकती है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति से अपनी प्रगति और मौजूदा स्थिति के बारे में 18 जुलाई तक उसे अवगत कराने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, 'बेहतर होगा कि वह रिपोर्ट 18 जुलाई तक मिल जाए। उसी दिन न्यायालय आगे आदेश पारित करेगा।'

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की बाकी पेज 8 पर

क्या कहा संविधान पीठ ने

न्यायाधीश कलीफुल्ला अगले गुरुवार तक यह रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी दिन अगला आदेश पारित किया जाएगा।' हम समझते हैं कि न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एफएमआइ कलीफुल्ला से यह अनुरोध करना उचित है कि वे अभी तक की मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में हमें सूचित करें और बताएं कि प्रकिया अभी किस स्तर पर है। यह विवादित मामला मैत्रीपूर्ण तरीके से हल नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई से दिन-प्रतिदिन आधार पर इसकी सुनवाई करेगा।

संपत्तियों की कुर्की पर माल्या को राहत नहीं

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदालत में चल रहे मामले पर स्थगन देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले बाकी पेज 8 पर

विशेष अदालत ने स्थगन देने से इनकार कर दिया है।

इंदिरा जयसिंह के घर और पति के दफ्तर पर सीबीआइ छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

सीबीआइ ने गुरुवार को जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह के आवास और उनके पति आनंद ग्रोवर के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'लॉयर्स कलेक्टिव' के दफ्तरों पर छापे मारे। सीबीआइ ने विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में ग्रोवर के खिलाफ एफसीआरए के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआइ ने बाकी पेज 8 पर

इंदिरा जयसिंह

विदेशी फंडिंग में अनियमितताओं का आरोप, 'लायर्स कलेक्टिव' ने बदले की कार्रवाई बताया

राकेश सिन्हा आज पेश करेंगे जनसंख्या विनियमन विधेयक

सुशील राघव
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसकी वजह से सामने आ रहीं समस्याओं के समाधान के लिए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा शुक्रवार को 'जनसंख्या विनियमन विधेयक-2019' पेश करेंगे। राज्यसभा की कार्य सूची में 14वें क्रमांक पर राकेश सिन्हा के नाम पर निजी सदस्य विधयेक के रूप में यह दर्ज है। 13 जुलाई 'विश्व जनसंख्या दिवस' के रूप में मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत अगले कुछ सालों में चीन को पीछे छोड़ कर भारत पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

दो बच्चों के छोटे परिवार के आदर्श को इस विधेयक के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए राज्यों और केंद्र सरकारों की ओर से प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध, उसकी पहुंच में और उसके सामर्थ्य के हिसाब से बनाने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उभरते सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पोषण, महामारी विज्ञान, पर्यावरण और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनसंख्या विनियमन विधेयक-2019 को पेश किया जा रहा है।

देश की युवा और गतिशील जनसंख्या आयु संरचना के माध्यम से लंबे समय में राष्ट्रीय प्रगति की संभावनाओं पर जनसंख्या की गति के निहितार्थ को पहचानने के लिए इस विधेयक को लाया जा रहा है। स्थायी तरीके से जनसांख्यिकीय क्षमता का दोहन और जनसंख्या समूहों व क्षेत्रों में प्रचलित जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने में मदद करने और सभी को एक समान अवसर देने के लिए चाहे वह किसी भी आयु, लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, वंश, रिहाइश, भाषा आदि को क्यों न हो ताकि पूर्ण विकास क्षमता के लक्ष्य को पाया जा सके।

2050 में जनसंख्या की स्थिति

9.9 अरब हो जाएगी दुनिया की जनसंख्या, अभी 7.6 अरब है

1.68 अरब पहुंच जाएगी भारत की जनसंख्या और इस मामले में भारत पहले स्थान पर आ जाएगा

राज्यसभा की कार्य सूची में 14वें क्रमांक पर **राकेश सिन्हा** के नाम पर निजी सदस्य विधयेक के रूप में यह दर्ज है। 13 जुलाई 'विश्व जनसंख्या दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

पूर्व भाजपा सांसद और छह अन्य को उम्रकैद

अमदाबाद, 11 जुलाई (भाषा)।

सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने साल 2010 में आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के लिए भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी और छह अन्य को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों का पर्दाफाश करने की कोशिश करने पर बाकी पेज 8 पर

ग्रीन कार्ड पर लगी सात फीसद की सीमा हटी

वाशिंगटन, 11 जुलाई (भाषा)।

अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात फीसद की सीमा हटाने के उद्देश्य से बुधवार को विधेयक पारित किया। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत जैसे देशों के उन प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए दुखदायी इंतजार को कम करेगा जो अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति बाकी पेज 8 पर

अमेरिकी संसद का फैसला

मानवता प्रोटोकॉल तोड़कर गिलगित से बहकर आए पाकिस्तानी बच्चे का शव लौटाया

सेना ने पेश की इंसानियत की मिसाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

भारतीय सेना ने प्रोटोकॉल तोड़कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। गुरुवार को कश्मीर के बांदीपुरा में सेना ने आठ साल के एक पाकिस्तानी बच्चे का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। शव गुरेज के गांव में किशनगंगा नदी से निकाला था। बच्चे की पहचान आबिद शेख के रूप में हुई। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर स्थानीय लोगों की मदद से गिलगित के रहने वाले इस बच्चे का शव पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में उसके परिजनों को सौंप दिया।

बच्चे के शव को पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक नियंत्रण रेखा के पास अचौरा गुरेज क्षेत्र से भेजने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बताया कि यह उनका क्षेत्र है और उस रास्ते से शव ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। बाद में सेना ने टंडवाल कुपवाड़ा रोड से होते हुए बच्चे के परिवार को शव सौंप दिया। बच्चे के माता-पिता ने भारतीय अधिकारियों से बच्चे का शव बाकी पेज 8 पर

नियंत्रण रेखा पर बच्चे का शव ले जाते उसके परिजन।

समझी मामले की नजाकत

नदी के बहाव की दिशा और बच्चे के हुलिए को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि बच्चा पाकिस्तान मूल का है और उसका शव नदी में बहकर भारतीय सीमा में आ गया। भारतीय सेना ने मामले की नजाकत समझते हुए तत्काल हॉट लाइन से इसकी जानकारी पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को दी। बच्चे की पहचान पुख्ता करने के बाद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने बच्चे से जुड़ी जानकारी भारतीय सेना से साझा की।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Muskaan W/O Jaspreet Singh R/O K-12,I-Floor,Bal Udyaan Road,Uttam Nagar,Delhi-110059.Have Changed My Name To Muskan. 0040502892-10

I,Minakshi W/o Sh.Jitender Singh,R/o-74, PandwalaKalan, New Delhi-110043.infrom that name of mine has-been mentioned,in my school-certificate as Meenakshi Yadav.My correct name is Minakshi,for all future purpose. 0040502907-10

I,Manoj Kumar S/o Kripanath R/o-A-75 Agar-Enclave Prem-Nagar-III Delhi-86.spelling mistake written Monoj kumar in certificate But my correct-Name is Manoj Kumar. 0040502872-7

I,Ambika Yatenderkumar Lal D/o Yatenderkumar Mahovat Lal, W/o Amit Suresh Kumar Gupta, R/o-Flat No.301, Arawali-Homes CGHS, Plot.No.89, Sector-54, Gurugram(Haryana)-122001, have changed my name to Ambika Gupta. 0040502872-10

I, Vijaya Kumari Puran W/O, Dr. Narender Dutt R/o H.No. 259, Sector 9A, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Vijaya Dutt for all purposes. 0040502875-1

I, Umesh Kumar S/o Kishan Chand Budhiraja R/o House No.305, Block-B-2, Mayur Apartment, Rohini Sector-9, Delhi-110085, have changed my name from Umesh Kumar to Umesh Kumar Budhiraja for all future purposes. 0040502790-1

I, Susan Joy wife-14311650 Ex Hav/Hony Nb Sub Joy TY R/o WZ-409/1, Plot No.31,Janak Park, Hari Nagar, New Delhi-110064, have changed my name to Sosamma Joy for all purposes. 0040502768-1

I, Sunita Rani W/o Rajesh Kumar Jain R/o-Flat No.50, Gulab Vihar-Apartments, Sector-9, Rohini, Delhi.have changed my name from Sunita Rani to Sunita Jain for all purposes. 0040502893-2

I, Suhel Abbas S/o Khadim Abbas R/o Ibrahimabad, Thana Kothi, Tehsil Nawabganj, District Barbanki, UP declare that my original and correct name is Suhel Abbas wrongly mentioned in Passport as Suhail Abbas. In future to be known as SUHEL ABBAS for all purposes. 0060067975-2

I, Subhash Kumar R/o-78 Vishal Enclave, New Delhi-11002, have changed my minor son's name from Tanish to Tanish Sharol for all purposes. 0040502892-1

I, Virender Kumar R/o D-1, Sector-27, Gutam Buddha Nagar, Noida-201301 have changed my name Virender Narula for all purposes. 0040502815-1

I, Stuti K. D/o Narasimha Kumar R/o C-17, Sushant Lok-I, Gurugram, Haryana-122002 have changed my name from Stuti K. to Stuti Kumar. 0040502775-1

I, Simrit Hunjan D/o Amardeep Singh R/o K-47, Kirti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name from Simrit Hunjan to Simrit Kaur Hunjan for all future purposes. 0040502829-1

I, Sarwan Kumar Dogra/ Sarwan K.Dogra S/o Kanhiya Lal R/o 2E/10B, Sector-2E, Kamna Vaishali, Vasundhra, Ghaziabad U.P.-201010, have changed my name to Sarwan Kumar for all future purposes. 0040502827-1

I, Sarvesh Kumari D/O Bani Singh R/O-Khediya Dhokal, Orenidalpat, Aligarh-202280 U.P.-Have Changed my Name to Sarvesh Devi. 0040502892-4

I, Saroj Bala alias Saroj W/o Rakesh Bhutani R/o Flat No. 112, Ahinsakhand-2, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201010. Changed my name to Mala Bhutani. 0040502892-6

I, Sarjeet Kour W/o Satwant Singh R/o C-60, Shubham Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110063 have changed my name to Sarjeet Kaur for all future purposes. 0040502779-1

I, Santosh Kumar S/O Shri Rampat Yadav R/O A-1/245A, Sector-6, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Santosh Kumar Yadav. 0040502907-8

I, Sama Wasim Ibrahim S/o Ibrahim Isaq Sama R/o J4/44, 4th Floor, Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi-110017 have changed my name to Wasim Ibrahim Sama for all purposes. 0040502789-1

I Harmeet S/o Gurmeet Singh R/o RZF-219, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041. have changed my name to Harmeet Singh. 0040502872-8

I Amit Kumar Choudhary S/o Randhir Singh Chodhary R/o-9/5344, Old-Seelampur, Gandhi Nagar, Delhi-110031. have changed my name to Amit Chodhary. 0040502872-9

I Ajit Singh Bajaj S/O Navtej Singh Bajaj R/O-K-50, 2nd Floor, Fateh Nagar, Tilak-Nagar, NewDelhi-110018, Have Changed My Name To Ajit Pal Singh. 0040502907-4

व्यक्तिगत

I, Sahil Kuekreja S/o Kamal Kumar Kukreja R/o 112, Manocha Apartment, F-Block, Vikas Puri, New Delhi-110018, have changed my name as Sahil Kukreja for all future purposes. 0040502772-1

I, Reena Rewar W/O Anuj Kumar Sadh R/O C-57, M.B. Road, Lal Kuan, Badarpur, N.Delhi-110044.Changed My Name To Reena Rewar Sadh. 0040502907-1

I, Rani Sandhaya W/O, Ramakant Tiwari R/o C-1/1671 Vasant Kunj, New Delhi 110070, have changed my name to Rani Sandhya for all purposes. 0040502871-1

I, Rakesh Kumar Bhutani S/o Ghanshyam Dass R/o FlatNo.112, Ahinsakhand-2, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201010.have changed my name to Rakesh Bhutani. 0040502892-5

I, Rajinder Parshad Gupta S/o Baru Ram Jindal R/o.A-5,New Multan Nagar,Delhi-110056 have changed my name to RAJINDER PARSHAD JINDAL for all future purposes. 0040502796-1

I, Rajesh Nahelia S/o Sh.Ram Het R/o-H.No.64, HEWO-Apartment,Sector-16A, Faridabad, has changed my name from Rajesh Kumar Nahelia to Rajesh Nahelia for all purposes. 0040502766-3

I, Radhika Baskota,W/O Shambhu Baskota,R/O H.NO-259B, Gali no-4, Sri Nagar, Anandvas Shakur Pur, Delhi-110034,have changed my name to Chander Kala. 0040502907-7

I, Prateek Sethi S/o Gurinder Singh Sethi R/o-A-6/11 Ground Floor Vasant-Vihar New Delhi-110057 changed my name to Prateek Singh Sethi. 0040502907-6

I, Pradeep Kumar S/o Jyotish Lal R/o House No. 122, C Block, Jain Colony, Barwala village, Delhi-110039, my fathername is Jyotish Lal instead of Jotish Lal amended accordingly. 0040502807-1

I, Parminder Paul W/O Suresh Verma R/O-D-3/5 B, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041. Changed My Name To Parminder Pal Kaur. 0040502872-6

I, Pardeep Singh S/O Ranbir Singh R/O Kouwa Mohalla, Kheri Kalan (113), Faridabad, Haryana-121002.Changed My Name To Pradeep Singh Narwat. 0040502907-2

I, Pankaj Kumar S/o Randhir Singh R/o-111, Sunari Kalan Rohtak, Haryana-124001, have changed my minor son's name Utsav to Utsav Kumar Permanently. 0040502766-1

I, No.6936881-W HAV Mohammad Jalaluddin S/o Late Abdul Kalam R/o ME Line, Ordnance Depot, Shakurbasti, Delhi-110056 inform that my wife's name is wrongly mentioned as Sanjida Khatun instead of Sanjida Khatoon in my army record. Her Actual and correct name is Sanjida Khatoon. 0040502812-1

I, Nitin Sharma S/o Sh. S.M. Sharma R/o WZ-2087/2, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi-110034, have changed name of my son from Vedant Sharma to Vedic Sharma for all purposes. 0040502855-1

I, Neha D/o Manoj Sharma R/o K-2/224, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi -110041 have changed my name from Neha to Neha Sharma for all purposes. 0040502813-1

I, Naveen Kumar Gupta S/o Rajendra Gupta R/o-10255/56, Gali-Mill-Wali, Library Road, Azad market, Delhi-110006 have changed name to Naveen Gupta. 0040502872-2

I, Nargish W/o Mohd Nadeem R/o House No.301-A, Street No.16, Near Lakdi Ki Taal, Jafrabad, Delhi-110053 have changed my name from Nargish to Naeema for all purposes. 0040502769-1

I, Mohd. Bilal R/o Flat No.-A-16/121C, DDA Flats, Inderlok, Delhi-110035, have changed my minor daughter name from RUSHDA to AFIFA for all purposes. 0040502769-2

I, Mohammad Shamshad Ali S/o Mohammad Ameen R/o R-227, 1st floor, Gali No.5, Jogabai extn., Okhla, New Delhi-110025, changed my name from Mohammad Shamshad Ali to Mohammed Shamshad permanently. 0040502778-1

I, Mehjbeen D/o Mohd Umar W/o Mohd Akeel R/o-H.No.70, Nala-Pusta, Amir Khusro-Nagar, Hazrat-Nizamuddin, Delhi-110013. Have Changed my name from Mehjbeen to Mehjabee Abbasi for all future purposes. 0040502892-3

I, Manoj Wadhva S/O Boota Ram. R/O-Anavman Colony, Jalalpur, Near-Nadapull, Aligarh, U.P-202001, Changed My Name To Manoj Kumar Wadhva. 0040502892-9

I Ajay Kumar Sharma R/o I-110, Gali No-15, Shivram Park, Nangloi New Delhi-110041 have changed my SON's name from Aayush Sharma to Tejaswa Sharma vide affidavit 10.07.2019 at NCT Delhi 0040502818-1

I Khushvant Rai Chopra S/O Bhim Sain Chopra R/O-Maddi Wali Gali,WZ-283/298, Vishnu-Garden, Extn, Tilak-Nagar, New Delhi -110018.have changed my name to Khushbakhat Rai Chopra 0040502907-5

I, Mahesh Kumar Bansal S/o Damodar Prasad Bansal R/o-B-3/46, 2nd Floor, Paschim-Vihar, New Delhi-110063 have changed name to Mahesh Bansal. 0040502872-1

I, Lakshmi Narain, S/O Khem Chand R/O 611, Pocket-3, Janta Flats, PaschimPuri, Delhi-110063, Changed My Name To Laxmi Narain. 0040502907-3

I, Krishan Kumar, S/o Sh. Janak Raj,R/o A-141, Sultanpur-Extn., Mehrauli, Gadaipur, Delhi-110030, have changed my name from Krishan Kumar to Krishan Singh for all purposes. I shall hereinafter be known as Krishan Singh. 0040502892-2

I, Kirti Rathi W/o Ansuman Dahiya R/o A-10, Rajiv Nagar, Begum Pur, Delhi-110086 have changed my name Kirti Dahiya for all purposes. 0040502815-2

I, Kartick Chandra Dutta S/o, Late.Gajendra Nath Dutta R/o-Wzc-169, Gali No.-14, Sadh-Nagar, Palam Colony, ND-45.have changed my name to Karttik Chandra Dutta. 0040502893-1

I, Kapil Goel S/o-Baldev Singh Goel R/o-A-1/204, Rang Rasayan Society, Sector-13, Rohini, Delhi-85, have changed the name of my minor daughter from Jigyasa Goel to Bhavita Goel for all purposes. 0040502811-1

I, Kanika Khurana, W/o Late Ankush Khurana R/o-3273, SouthPatel Nagar, Ranjit Nagar, Delhi. have changed my name to Kanika Vij. 0040502907-9

I, Harpreet Kaur Lamba, W/o Devinder Pal Singh, R/o WZ-621/1,Third Floor, Gali-19, Shivnagar Extn, Delhi-110058, have changed my name to Harpreet Kaur. 0040502782-1

I, Gursidak Singh S/o S.Gagandeep Singh R/o A-48 Sector-21 Noida, U.P., have changed my name to Gursidak Singh for all future purposes. 0040502808-1

I, Geetanjali spouse of Mr. Desai Balu Ganapati, resident of Ganraj Mauli Hsg Society, Flat No- A-14, RH- 97, Shahunagar, Chinchwad, Pune-411019, have changed my name from GEETANJALI to GEETANJALI BALU DESAI, vide Affidavit dated 10/07/2019, before Delhi High Court. 0040502814-1

I, Divyansh Bhatia S/o Jeetendra Kumar Bhatia R/o 263/B-5, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to DIVYANSS BHATTIA for all purposes. 0040502644-1

I, Beenu W/o Shri Ashish Sharma R/o D-57/S-6, Dilshad Colony, Delhi-110095 have changed my name from Varsha Sharma to Beenu for all future purposes. 0040502780-1

I, Anthea Emanvil D/o Emanvil Dass R/o H.No. 1065/B, Ward No.7, Kaki Apartment, Mehrauli, New Delhi- 110030 have changed my name to Anthea Emanvil Dass for all purposes. 0040502789-2

I, Afrin Bano W/o, Sonu R/o-E-198 Rajeev Nagar Extn. Begumpur Delhi-86 have changed my name to Sanya for all purposes. 0040502872-4

I, Aditya Handa S/o Satish Handa R/o H.No.4, Road-62, S/F, West-Punjabi Bagh, N.Delhi-110026 have changed my name to Adeeth Haandaa. 0040502892-7

I, Aarushi Handa W/o Adeeth Haandaa R/o H.No.4, Road-62, S/F, West-Punjabi Bagh, N. Delhi-110026 have changed my name to Aruushi Haandaa. 0040502892-8

I Vijya Raj W/o Ashish Kumar Srivastava R/o 5/1581 Vasundharad Ghaziabad UttarPradesh 201012 Have Changed My Name To Vijya Raj Srivastava For All Purposes 0070664407-1

I Saranjeet Singh Bhatia R/o-1881 Outram-Lane Phoolwari Block GTB-Nagar Delhi-09.have changed my minor daughter's name Saanvi Kaur Bhatia to Kaira Kaur. 0040502872-5

I Nishant Choudhary S/o Tarun Choudhary R/o 71C, C4D Block Janakpuri, West Delhi110058 Have Changed My Name To Nishant Tarun choudhary For All Purposes 0070664400-1

I Neeraj Maan W/O Vikash Singh Dahiya Resident- 330, Vpo-Silana, Distt-Sonipat, Haryana Have Changed My Name To Neeraj Maan Dahiya. 0040502872-3

I, Pankaj Kumar S/o Randhir Singh R/o-111,Sunari Kalan Rohtak, Haryana-124001,have changed my minor son's name Parv to Parv Kumar Permanently. 0040502766-2

I Kanta Pawar, wife of late Shri Kaver Bal Behari MES 308283 (UDC) hereby inform that Madhwi Panwar and Kanta Pawar is one and same person, and same will be rectified in my husband Service Book maintained by GE Central, Delhi cantt. If anyone have any objection, He/She may inform undersigned and GE Central with substaintial evidence within 30 days of this notice. Contact No.9891948855 0040502834-1

I, Rakhi Khedikar R/o 1666A HBC Sector 10A Gurgaon 122001 Have Changed my name to Rakhi Sameer Khedikar. 0070664394-1

व्यक्तिगत

मैं शिव आर्य पुत्र ईश्वर सिंह आर्य, निवासी 189–सी, क्यू.यू. ब्लॉक, उत्तरी पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034 ने अपना नाम बदलकर शिव कुमार आर्य रख लिया है।

मैं, चम्पा थावानी, W/o हरीश चन्द्र थावानी, निवासीः J-42, लाजपत नगर, दिल्ली, ने अपना नाम बदलकर मधु थावानी रख लिया है।

I, EX. HAV 2687805P Raj Singh son of Sh. Mangtu Singh resident of VPO Manesar, District Gurugram informs that name of my wife is wrongly mentioned as Meena Chauhan in my service records. Her correct name is Meena Devi. 0040502924-1

I, Hemant Kumar S/o Raj Kumar Aggarwal, R/o H.No.915/22, Shiv Nagar, Gurgaon have changed my name to Hemant Kumar Aggarwal for all purposes. 0040502376-1

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificates of main Secondary and Senior Secondary Examination of Year-1990 and 1992 and Roll No.442990 and 6645433 respectively, issued by CBSE has been actually lost/destroyed/mutilated. Name of Candidate:- Jai Bhagwan S/o Late Shri Sher Singh R/o H.No.87, Lane No.4, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029. 0040502893-9

M/s GEE CEE Corporation Pvt. Ltd., A-6, Preet Vihar, Kalindi Colony, New Delhi-110092, have lost original allotment letter of Flat No. 3121, Tower Cedar, 12th Floor of Parx Laureate located at GH-01, 02, 03, Sector-108, Noida-201306. NCR has been lodged with Delhi Police. (Ref. No. LB/PL/MKT/CEDAR/3121/1186 5 dated 11.12.2017). If found kindly contact Akhil Mittal. Mob.: 9811090403. 0040502878-1

We(1) Neeraja Jetly W/o Arvind Jetly(2) Arvind Jetly S/o Jatinder Jetly.have Lost our Demand-Letter of Flat No.NP-130A LIG-Flat Maurya-Enclave Pitampura Delhi-110034 finder Cont.9810337113. 0040502893-6

I Rohit Kumar Mourya S/O. Tej Pratap Mourya R/O.A/14, Shiv Vihar, Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have lost my original 10th CBSE certificate Roll no.6394627 (2009). 0040502893-10

I, Praveen Goel S/o Late Sh.B.D.Goel R/o 231, Vivekanand Puri, Sarai Rohilla, Delhi-110007, have lost my original property papers of Part of 10133-36, Katra Chajju Pandit, Shidipura, Delhi-110005. Finders may contact at Mobile No. 9810386110. 0040502768-2

I, Rekha Mittal W/o Madan Mohan Mittal R/o A-6, Preet Vihar, Kalindi Colony, New Delhi-110092, have lost original allotment letter of Flat No. 3151, Tower Cedar, 15th Floor of Parx Laureate located at GH-01, 02, 03, Sector-108, Noida-201306. (Ref. No. LB/PL/MKT/CEDAR/3151/1186 7 dated 11.12.2017). NCR has been lodged with Delhi Police. If found kindly contact Akhil Mittal. Mob.: 9811090403. 0040502881-1

I, Sunita Tyagi W/o Sunil Tyagi, have lost my original PAN Card, R.C. of (DL-9C-R-8855) and Sale Deed of property name of Sunita Tyagi R/o, (1660/15, Govind-Puri, Kalkaji, New Delhi-110019), Contact:8130771963. 0040502893-7

This Is To Inform That I Ekta Roy D/O Ashok Kumar Roy R/O 2/213, Vishal Khand – 2, Gomti Nagar, Lucknow Have Lost Original Green Book Of My Pharmacy Registration No – 54999. 0060067983-2

I,Mohani Paswan D/o Babu lal R/o L-Ist 757B/14 Sangam vihar New Delhi-110080 Have lost My secondry School Failed Marksheet Issued by CBSE Delhi. Roll no.8346145 For year 2017 0040502849-1

I, NUSHRAT D/O Furkana R/o A-92 Joshi-colony i.p.extn.pat-parganj Delhi-92 Have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8602745 C B.S.E. Delhi 0040502893-8

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client Smt. Ram Dulari Pandey W/o Late Sh. Dil Bahadur Pandey R/o A-6/306-B, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi has debarred & disowned her son Manoj Pandey, daughter-in-law Vandana Pandey & their children Shivangi Pandey & Nitay Pandey from all her movable & immovable properties. Anybody dealing with them shall do so at his own risk & responsibility.

Adv. Rajan Mahajan
306, Authority Building

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Lalit Kumar S/o Late Sh. Mangat Ram & Smt. Pooja W/o Sh. Lalit Kumar both R/o RZF-55, Nihal Vihar, Nangloi, Nilothi, New Delhi-110041have debarred & disowned their son Puneet & his wife Simran from their all movable and immovable properties and severed all their relations from them due to their disobedient and ill-behavior towards my clients. Anyone dealing with them may do so at his/her own risk and my clients shall not be responsible for that.

RISHI LAKHANPAL (Advocate)
134, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल जुम्मन मियां S/O श्री अल्लाह नूर R/O F & 68/2 शाहीन बाग जामिया नगर ओखला, नई दिल्ली–110025 ने अपने पुत्र सद्दाम व उसकी पत्नी मोदिशा तथा दूसरा पुत्र अल्ताफ व उसकी पत्नी सविना उपरोक्त सभी को उनके गलत आचरण व गलत व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी संबंध विच्छेद कर लिए हैं, इनके किसी भी कृत्य हेतु मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होगा।

BIJAY KUMAR
(Advocate)
Chamber No. 746 Lawyer Block Saket Court New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public at large on behalf of my clients Shri Sita Ram Gupta S/o Late Sh. Sardari Lal Gupta and Smt. Beena Rani Gupta w/o Shri Sita Ram Gupta, both R/o H-4, Sector-9, Noida, Uttar Pradesh-201301 and also at Flat No. 609, Mahagun Maestro, Plot No. F-21A, Sector-50, Noida, Uttar Pradesh that my aforesaid clients have disowned and disinherited their son Shri Sorav Gupta and Daughter-in-law Smt. Deepika Gupta, Grandson Rishabh Gupta and Grand Daughter Khushi Gupta from their all moveable and immovable properties. In case anybody deal with them, he/she/they shall do the same at his/her/their own risks, costs and consequences and my above named clients shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

Sd/-
SARANSH GOEL (Advocate)
Ch.No. 406, Eastern Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of **Mr. Raveeshu Kumar & Mrs. Ira Rastogi** to general public that the Original Allotment Agreement (with Terms & Conditions) & Possession Letter both executed/issued by M/s. Agarwal Associates (Promoters) Ltd. related to the Flat No. M-804 (without roof rights), 8th Floor, Type-V, having super area of 2200.00 Sq. Fts. (204.46 Sq. Mtrs.), built up on Plot No. C/GH-3, situated at Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad (U.P.); has been lost/misplaced.
Public is being warned not to deal with the documents. Any person dealing with the aforesaid documents would do so at their own risk and responsibility. Owner shall not be liable in any manner whatsoever for any loss incurred by such persons. If anybody found these documents OR notice any misuse of these documents, Concerned Person is required to communicate at the address given below within 07 days of publication of this Notice.

Juris NextGen LLP
E-56, LGF, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-48 #011-42662177, 78,79

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I **Preeti D/o Yoginder** residing at H.NO. 305 Vill. & P.O. Khera Khurd, Delhi-110082, declare that name / my father and my mother has been wrongly written as **Yoginder Singh & Mukesh Mann** in my Twelfth marksheet and Certificate educational document / and in the other document. The actual name of my father and my mother are **Yoginder and Mukesh** respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल, आकांक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की सौ प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करना चाहते हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय १९/१० डोवर लेन, पहली मंजिल, कोलकाता–७०००२९, पश्चिम बंगाल में है, और जिसके निर्देशक, श्री विवेक कुमार बेल्थरिया, श्री प्रोसेनजीत घोष और श्री विशाल कुमार हैं।
यदि किसी को उपरोक्त उद्देश्य के लेन–देन मे कोई आपत्ति, दावा, हित, विवाद(ओं) है, तो वह अपने/अपनी आपत्तियों/दावों/ विवरणों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी प्रमाण के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है। इस प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर विवाद(ओं) को विफल करते हुए, मेरे मुवक्किल यह मानते हुए अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि कोई तीसरा पक्ष/पक्ष दावों/आपत्ति/विवाद/पक्ष नहीं है। कंपनी और उसकी चल या अचल संपत्ति सहित संपत्ति 3, बावर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110001 पर स्थित है और उसके बाद किसी भी समय किसी भी दावे/आपत्तियों/विवादों पर विचार नहीं किया जाएगा। Sd/-

परितोष जैन (अधिवक्ता)
ए.जे.ए लीगल २०३, परताप चैम्बर्स, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–११०००५

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the General Public that Our Client Mr. Anil Kumar Mongia S/o Devraj proprietor of Mongia Enterprises,R/o. New Friends Colony, Ward No.5, Near Jindal Public School, Sohna, Gurgaon-Haryana having acquired the schedule properties vide registered Sale deed bearing Doc. No. 41 & 2671 Dt. 15-04-1993 & 18-02-1998 area admeasuring 33.33 sq. yrd and 268 sq. yrd. Respectively. , his previous chain original sale deeds Doc. No. 2119\06-02-1991, Doc. No. 2431/15-01-1998 and Doc. No. 2672/18-02-1998 has been misplaced and our client, propose to avail certain credit facilities by creating security interest over the schedule property.
Any person having an interest in the said property or having any objection to the ownership and transaction may contact or send his/her written objection at the below mentioned address within 07 days from date of publication of this notice.
SCHEDULE PROPERTY 1
Shop built on plot area 33.33 sq. yrd. /1 marla Mustkil no. 219, killa no. 2/1/2, waka, sub tehsil Sohna, Gurgaon, Haryana.
bounded on :-
North by: Remaining Plot
South by: Bypass Alwar Road
East by: Shop of Trilokchand
West by : Remaining Plot
SCHEDULE PROPERTY 2
Plot area 87sq. yrd. + 181 Sq. yrd., total 268 sq. yrd. In Mu. No. 220//7, Waka Siwana Sohna, Gurgaon, Haryana
North: Other plot
South: other Plot
East; Other plot
West: 20 Feet Gali

M & M Law Associates
Advocates & Solicitors
Ch. No. Y-55, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54
Ph. 011-41416867/9911665826

CAUTION NOTICE

Re: Property No. 7 - Kohat Enclave, Pitampura, Delhi - 34, built on plot admeasuring 361.78 Sq.Yd.
Our client Mrs. Poonam Sethi w/o Sh. J.L.Sethi r/o of Ground floor, 7, Kohat Enclave, Delhi-34 is owner and in possession of 50% share in the aforesaid property and also having first right to purchase the other 50 % share in terms of MOU dated 27.05.2013 from Mrs. Geeta Sethi w/o of Sh. Ramesh Kumar Sethi resident of 1st Floor, 7- Kohat Enclave, Pitampura, Delhi-110034 being the owner of the said other 50% share in the aforesaid property.
Mrs. Geeta Sethi has offered and agreed to sell her entire 50% share in the aforesaid property and have already received substantial portion of agreed consideration from our client Mrs. Poonam Sethi.
However Mrs. Geeta Sethi alongwith her husband refused to vacate the portion of aforesaid property in her possession and execute the necessary title documents in favour of our client w.r.t. her 50 % share in the aforesaid property despite having received the substantial consideration.
The Public in General and all others are hereby cautioned not to deal with aforesaid property in any manner whatsoever. Anyone dealing/ transacting with said Mrs. Geeta Sethi and her Husband and Associates w.r.t. the aforesaid property shall be null and void as our client have 1st right over the said property in terms of MOU dated 27.05.2013 and also the 1st charge for the Substantial Consideration already paid to Mrs. Geeta Sethi by our client.

O.P. PAHUJA, ADVOCATE
450, Civil Wing, Tis Hazari Court, New Delhi - 54. M 9810589235

पब्लिक नोटीस

मेरे मुव्वकिल साधु राम पुत्र श्री सरवन सिंह निवासी म.न. 2075 गली मुकीम पुरा सब्जी मंडी क्लॉक टावर दिल्ली–110007 ने अपने पुत्र विकास पुत्रवधु नीलम पौत्री ख्वाहिस और आराध्या को गलत व्यवहार आचरण के कारण अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भविष्य में यह कोई लेन देन करते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे मेरे मुव्वकिल व उनका परिवार दीवानी और फौजदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

RAJIV KUMAR
(ADVOCATE)
Enroll, D/3560/09

PUBLIC NOTICE

My Clients Smt. Gayatri Devi Mishra W/o Late RajKishore Mishra R/o Kh. No. 144, H.N. 144/2A, Rajpur khurd Ext. Chhatarpur, New Delhi-68 have disowned and debarred their son Sandeep Kumar Mishra and His wife Sakshi w/o Sandeep Kumar Mishra from all their movable and immovable properties situated anywhere and have severed all their relations from them due to their unsocial behavior and my clients shall not be responsible regarding any type of transactions made by them or with them in past, present or future. I or any my client family members don't have any relation with him responsible for his actions.

Sd/-
VIPUL SHARMA (Advocate)
Ch.No. 119, W. Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents that my client Renu Gohri W/o Late Shri O.P. Gohri R/o 52-A, Second Floor, Ramesh Nagar, Singhal Storey, N. Delhi-15 do hereby disown and debar his son Kush Gohri and his wife Deepika Gohri from their movable and immovable properties because they are out of control of my client. In future if anybody deals with them at his/their own risk and responsibility. my client shall have no responsibility for their acts, deeds and things one by them in furture.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
S.R. IInd B Coumpus, Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

My client Savita W/o Late Satish Kumar, R/o H-355, Shakurpur, JJ Colony, Delhi-110034 has severed all relations with his son Rahul S/o Late Satish Kumar and daughter-in-law Smt. Anisha @ Shivani W/o Sh. Rahul. My client has also disowned/ debarred both of them from all her movable & immovable properties. So, they shall have no right or claim in the properties of my client and my client shall not be responsible for the acts, conduct and omission done by them in future.

Mohit Tomer (Advocate)
Ch.No.771-772, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

My client Ahmed Ali son of Ibne Hassan and Salma Begum wife of Ahmed Ali both residents of E-11/64, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi has disinherited his son namely Sharafat Ali son of Ahmed Ali and his wife Samreen Naz wife of Sharafat Ali daughter of Abdul Gaffar both residents of E-11/64, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi also at E-11/3, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi from all my movable and immovable properties from today as he is no more my son. I have cut off all my relations from them from today and any person dealing with them shall be at their own responsibilities and my client shall not responsible for the same.

Sd/-
(Atul Gupta)
Advocate
Ch. No. 369, Lawyer's Block Saket Court Complex, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be known to all public at large that my clients Sh. Jagdish Prasad Verma S/o Late Sh. Hardwari Lal and his wife Smt. Ramwati both R/o X-51A, Budh Vihar, Phase-1, Delhi-110086 have disowned and debarred their younger son namely Amit Verma along with his wife Kiran R/o X-51A, Budh Vihar, Phase-1, Delhi-110086 from all their movable and immovable properties with immediate effect. My clients have ceased all relations with them and anybody dealing with them hereinafter shall do at his own cost and risk and my clients shall not be liable and responsible for the same in any manner whatsoever.

Avadh Kaushik, Advocate, 260, Aggarwal City Plaza, Manglam Place, Sec-3, Rohini, Delhi-85.

PUBLIC NOTICE

My client VEENA DEVI W/O ASHOK KUMAR DEHRAN R/O A-81, FOURTH FLOOR, CHANDER VIHAR, NILOTHI, DELHI, has disowned her son Abhishek and daughter in law Varsha alongwith their children Deepanshi and Gayu from her all movable-immovable properties and severe relationship due to their disobedience. Anybody dealing with them shall do so at his own cost, risk.

Sd/-
RAKESH KUMAR
(Advocate)
Ch. No. 418, Rohini Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Smt. **SHASHI BALA W/O JAYANTI KUMAR R/O H. No. 1159, K-Block, MANGOLPURI, Delhi-110083,** has severed all her relations with her son **"KISHOR AND HIS WIFE AARTI and their children GAGAN and BHAWNA"** Who are quarrelsome and disobedient to my client and is leading her life as per their wishes and against the wishes of my client. Henceforth, neither my client nor any of their other family members has/have any relation or connection with her son **KISHOR AND HIS WIFE AARTI** and thus my client hereby debar them from all her movable and immovable properties.

Sd/-
SUBHASH BAGHEL (ADVOCATE)
ENRL. NO. D-1161/13
DELHI HIGH COURT

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **MR. ARUN KUMAR JAIN S/O LATE N.C. JAIN & MEENU JAIN W/O SH. ARUN KUMAR JAIN BOTH RESIDENT OF FLAT NO. 101-B, AHINSA VIHAR, SECTOR-9, ROHINI, DELHI-110085** have disowned and severed all their relation with their Son **MR. SAURABH JAIN AND HIS WIFE ISHA JAIN AND THEIR CHILD** and debarred them from their movable and immovable properties/ assets due to their misbehaviour. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their won risk, cost and responsibility.

Sd/-
SANJEEV JAIN
(Advocate)
Enrl. No. D-226/91

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby informed that my clients Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Shiv Narayan (Aadhar Card No. 4021 5423 8957) and his wife namely Smt. Naresh Devi W/o Sh. Ashok Kumar (Aadhar Card No. 8522 8834 9527) both R/o H.No. 411, Pana Udyan, Narela, North West, Delhi-110040 have debar their son namely Sh. Vikash S/o Sh. Ashok Kumar and his wife namely Smt. Deepika W/o Sh. Vikash D/o Sh. Anil Kumar and his daughter Mahi aged about 4 yrs. All R/o H.No. 411, Pana Udyan, Narela, North West, Delhi-110040 from their life, movable and immovable properties due to their bad conduct/quarrel and disobedient towards my clients and my clients have no control of any manner over them, If anyone deals with them will be at his/her own risk then my clients will not responsible in any manner and my clients have snapped their relations with them in all manner for all purposes.

Sd/-
RAJNEESH GAUTAM (Advocate)
Ch. No.- 832, Rohini Courts, Delhi-85

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रधान न्यायाधीश ने भेजा हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि देश के प्रधान न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है ताकि मामलों के लंबित होने की अवधि घटाई जा सके। हालांकि कानून मंत्री ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृ

ई-सिगरेट प्रतिबंधित नहीं करने पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख

दिल्ली सरकार को फटकार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-सिगरेट की बिक्री को लेकर आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली सरकार को गुरुवार को फटकार लगाते हुए उसे निर्देश दिया कि वह ई-सिगरेट की बिक्री और खपत के विनियमन के मामले को तत्काल देखे। कोर्ट ने ई-सिगरेट को 'गंभीर ज्वलंत' मुद्दा बताया क्योंकि यह बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्होंने इनका सेवन शुरू कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ ने सरकार से सवाल किया कि वह एक साल से क्या कर रही है? एक साल पहले सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि वह ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठा रही है। पीठ ने यह भी पूछा कि अधिकारी मामले को देख भी रहे हैं या नहीं। पीठ ने कहा, 'क्या आप कुछ कर रहे हैं? यह बच्चों को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे देखिए। क्या कोई इस मामले को देख रहा है? तत्काल देखिए। उनमें निकोटिन के तत्व को देखिए। यह गंभीर ज्वलंत मुद्दा है'। अदालत ई-सिगरेट की बिक्री और खपत का विनियमन करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से मुख्य सचिव के जरिए एक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने के लिए नीति बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा हो।

तीसरी कटऑफ के बाद डीयू में 86 फीसद सीटें भरीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में गुरुवार को तीसरी कटऑफ के आधार पर दाखिला लेने का अंतिम दिन था। स्नातक पाठ्यक्रमों की कुल 62,500 सीटों पर गुरुवार रात 9:00 बजे तक 54 हजार से अधिक दाखिले हो चुके थे। इस हिसाब से स्नातक पाठ्यक्रमों की 86 फीसद से अधिक सीटें भर चुकी हैं। साल 2018 में तीसरी कटऑफ के बाद 43 हजार सीटों पर दाखिला हो चुका था।

डीयू के छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर राजीव गुप्ता की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार रात 9:00 बजे तक कुल 1290 विद्यार्थियों ने दस्तावेजों की जांच के बाद शुल्क जमा कर अपना दाखिला पक्का नहीं किया और 4670 विद्यार्थियों ने दूसरी जगह प्रवेश होने की संभावना के कारण अपना दाखिला रद्द कराया।

अच्छी बारिश के लिए अभी करना होगा इंतजार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

भारतीय मौसम विभाग के आकलन के विपरीत मानसून ने दिल्ली को गच्चा दे दिया। राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर बरस रहे बादल अभी दिल्ली पर मेहरबान नहीं होंगे। लिहाजा दिल्लवालों को अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस हफ्ते भारी बारिश की कोई गुंजाइश नहीं बन रही। हां, कुछ हिस्सों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं।

तेज गर्मी से बेहाल राजधानी की गुरुवार की सुबह उमस भरी रही, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस दिन यह 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 57 फीसद दर्ज किया गया, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ठीकठाक बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर केजे रमेश ने कहा कि देश के कई हिस्सों में मानसून बेहतर ढंग से सक्रिय है। दिल्ली में मानसून कमजोर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिमोत्तर भारत खास कर दिल्ली में आमतौर से बारिश कम ही होती है।

स्टीफंस में प्रवेश साक्षात्कारों पर दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू से संबद्ध सेंट स्टीफंस कॉलेज में ईसाई विद्यार्थियों के दाखिले के लिए साक्षात्कार पैनल में सर्वोच्च परिषद के एक सदस्य को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

MAA OMWATI
INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Hassanpur (PALWAL)
AFFILIATED TO MDU, ROHTAK
APPROVED BY AICTE
STAFF REQUIRED FOR MBA
DIRECTOR / PRINCIPAL,
PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR,
ASSISTANT PROFESSOR, LIBRARIAN,
TECHNICAL ASST., OFFICE ASST. CUM ACCOUNTANT,
LAB ATTENDANT AND LIBRARY ATTENDANT
(QUALIFICATION & SALARY AS PER MDU/AICTE/UGC NORMS)
APPLY WITHIN 21 DAYS WITH
PHOTOS & ATTESTED CERTIFICATES TO BOTH
DIRECTOR, MOIMT, HASSANPUR (PALWAL)&
DCDC, MDU, ROHTAK
moimt.director@maaomwati.com

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN: U74999DL1995PLC066459) जिसका पंजीकृत कार्यालय 31/36, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में है, के मामले में।
– आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 24 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

पब्लिक से प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
हस्ता./-
प्रदीप दत्त
स्थानः नई दिल्ली पूर्णकालिक निदेशक
तिथिः 11.7.2019 DIN: 03514580
11 चन्दर रोड डालनवाला देहरादून 248001

DEN NETWORKS LIMITED

CIN: L92490DL2007PLC165673
Registered Office: 236, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110020
Phone no.: +91 11 40522200, Fax no.: +91 11 40522203, E-mail id.: investorrelations@denonline.in , website: www.dennetworks.com

STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019

Rs in Lakhs (except as otherwise Stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	30.06.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (audited)
1.	Total Income from Operations	3,131.53	2,731.05	3,141.78	12,060.65
2.	Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extra-Ordinary items)	170.79	(6.48)	(240.90)	(711.88)
3.	Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	179.78	(2,112.42)	(246.76)	(2,876.82)
4.	Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	143.11	(2,128.20)	(279.83)	(3,005.50)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	137.86	(2,120.63)	(277.50)	(2,991.93)
6.	Paid-up Equity Share Capital (net)	4,767.66	4,767.66	1,953.18	4,767.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				20,692.78
8.	Earning Per Share (Face value Rs. 10/-)				
	(a) Basic	0.24	(5.03)	(1.57)	(11.63)
	(b) Diluted	0.24	(5.03)	(1.57)	(11.63)

Notes to the consolidated financial results:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and Den Networks Ltd. (www.dennetworks.com).

2 The Quarterly Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on July 11, 2019.

3 Following are the particulars of the Company on standalone financials:-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended			Year ended
	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (audited)	30.06.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)
Revenue from operations	2,816.11	2,141.61	2,719.20	10,093.41
Profit Before Tax	116.80	(1,568.20)	(219.20)	(2,190.80)
Profit After Tax	116.80	(1,568.20)	(219.20)	(2,190.80)

For and on behalf of Board of Directors of
DEN NETWORKS LIMITED
Sd/-
SAMEER MANCHANDA
Chairman Managing Director
DIN: 00015459

Place : New Delhi
Date : 11/07/2019

वसूली अधिकारी–।। का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण –।।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर सी सं. 60/2018 आईडीबीआई बैंक बनाम मैसर्स अल्का मेटलप्लास्ट प्रा. लि.

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी #1 मैसर्स अल्का मेटलप्लास्ट प्रा. लि., इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, 26, कृष्णा पुरी, अलीगढ़–202001, अन्य पता : प्लॉट नंबर 16, सेक्टर–12, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट, बीएचईएल, हरिद्वार, सिडकुल, उत्तरांचल
सीडी #2 श्री संतोष जैन, 19/37, जैन पुरी, अलीगढ़–202001 (उत्तरा प्रदेश)
सीडी #3 श्रीमती विनोद बाला जैन, 19/37, जैन पुरी, अलीगढ़–202001 (उत्तरा प्रदेश)
सीडी #4 मैसर्स अल्का इंटरनैशनल, 19/37, जैन पुरी, अलीगढ़–202001 (उत्तरा प्रदेश), अन्य पता : 25/23, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060, अन्य पता : ग्राम मुकराबली, दिल्ली, जी.टी. रोड, अलीगढ़–202001
सीडी #5 मैसर्स अल्का लॉक्स प्रा. लि., 19/37, जैन पुरी, अलीगढ़–202001 (उत्तरा प्रदेश), अन्य पता : 25/23, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060, अन्य पता : गोपाल पुरी, पलाल रोड, अलीगढ़–202001
सीडी #6 श्री राहुल जैन पुत्र श्री अमीचंद जैन, गोपाल पुरी, पलाल रोड, अलीगढ़–202001

जबकि पीठ अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।, दिल्ली द्वारा ओए सं. 305/2014 में आहरित वसूली प्रमाणपत्र 60/2018 के अनुसार रू. 15,27,82,897/– (रू. पंद्रह करोड़ सत्ताईस लाख बयासी हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र) की राशि आपके द्वारा देय है। आवेदक सीडी'ज से संयुक्त और/अथवा पृथक रूप से रू. 15,26,32,897/– (रू. पंद्रह करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र) की राशि 17–07–2014 से आगे 13 प्रतिशत की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के साथ वसूल करने का हकदार है।

2. और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है।

3. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगनादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति की बिक्री ई–नीलामी द्वारा की जाएगी तथा बोलीदान मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), ए–801, वॉल स्ट्रीट–।।, ओरियंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कालेज, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति : श्री कुशल कोठारी, सम्पर्क नंबर 07968135416, मोबाइल नंबर 6351896834/8980690773, ई–मेल आईडी : kushal@auctiontiger.net, delhi@auctiontiger.net की वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 26–07–2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक मध्या. 12.00 बजे के बाद 5 मिनट अवधि के विस्तारों, यदि अपेक्षित होंगे, के साथ "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" द्वारा सम्पन्न होगा।

4. उपरोक्त नामक सीडी'ज की नीचे तालिका में वर्णित अचल सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा उक्त सम्पत्ति संबंधी देयताएं तथा दावे, जहां तक कि अभिनिश्चित किए गए हैं, तालिका में प्रत्येक लॉट के समक्ष विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

5. सम्पत्ति की बिक्री तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी। यदि वसूल की जाने वाली राशि सम्पत्ति के एक भाग की बिक्री से प्राप्त हो जाती है तब शेष भाग की बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। यह बिक्री तब भी रोक दी जाएगी, यदि नीलामी समाप्त होने से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में बकाया राशि, मय ब्याज (बिक्री की लागत सहित) नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रमाणपत्र की राशि मय ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को अदा कर दी गई है।

6. बिक्री के संबंध में ड्यूटी करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा व्यक्ति, तथापि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा अथवा बेची जा रही सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा उसका प्रयास नहीं करेगा।

7. सम्पत्ति की बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी :

7.1. संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

7.2 सुरक्षित मूल्य, जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी, सम्पत्ति की अनुसूची के क्रमांक (प) पर वर्णित सम्पत्ति के संबंध में रू. 37,00,000/– (रू. सैंतीस लाख मात्र) है तथा धरोहर राशि जमा (ईएमडी), सम्पत्ति की अनुसूची के क्रमांक (प) पर वर्णित सम्पत्ति के संबंध में रू. 3,70,000/– (रू. तीन लाख सत्तर हजार मात्र) है

7.3 इच्छुक बोलीदाता, जो अपनी बोली, जो सुरक्षितं मूल्य से कम नहीं है, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण इत्यादि तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी के प्रतिनिधित्व/अटार्नी का पुष्टिकारक किसी अन्य दस्तावेज सहित 24–07–2019 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली के कार्यालय में जमा कर चुके होंगे दिनांक 26–07–2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक आयोजित की जाने वाली ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य होंगे। व्यक्ति के मामले में एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह स्वयं अपनी ओर से अथवा कि अपने प्रधान की ओर से बोली दे रहा है। उत्तरवर्ती मामले में उसको एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें असफल रहने पर बोली अस्वीकृत होगी। नीलामी समाप्त होने के समय से पहले अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने पर नीलामी समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

7.4 बोलीदाता अपनी बोली रू. 1,00,000/– (रूपए एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ा सकेंगे।

7.5 असफल बोलीदाता अपनी धरोहर राशि जमा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल पश्चात सीधे वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली के कार्यालय से लेंगे।

7.6 सफल/उच्चतम बोलीदाता को बोली/बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर उपरोक्त धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद, वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 60/2018 के पक्ष में, 24 घंटे के भीतर तैयार करना होगा तथा इस न्यायाधिकरण में अगले बैंक कार्यदिवस के अप. 04.00 बजे तक जमा करना होगा।

7.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 60/2018 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली के पास सम्पत्ति की ई–नीलामी की तिथि से 15वें दिन अथवा पूर्व, उस तिथि को छोड़कर, और 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्य दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।, दिल्ली के पक्ष में रू. 1000/– तक 2 प्रतिशत निरोध शुल्क तथा रू. 1000/– से ऊपर सकल राशि पर 1 प्रतिशत निरोध शुल्क के साथ जमा करनी होगी (शेष 75 प्रतिशत राशि डाक द्वारा जमा करने की स्थिति में यह वसूली अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्राप्त हो जानी चाहिए)।

7.8 निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री की नई उद्घोषणा के बाद सम्पत्ति दोबारा बेची जाएगी। पहले जमा की गई राशि, बिक्री संबंधी व्यय चुकाने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति दोबारा बेची जाएगी और चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त राशि अथवा उसके किसी भी अंश पर सभी दावे जब्त माने जाएंगे।

8. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" तथा "जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

9. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहां ऊपर दिए विवरण की सत्यता प्रमाणीकृत और सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, अथवा नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति के संबंध में देय है	दावे यदि कोई, जो सम्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जो इसकी प्रकृति और मूल्य को प्रभावित करता है।
म्युनिसिपल नंबर 19/209, बिहार नगर, अलीगढ़, परिमाप 270.88 वर्ग मीटर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ 31–05–2019 को दिया गया।
(अविनाश चन्द्र)
वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोनः 011-23238964, 9891392661

निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता और विशेषकर कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. शाखा के पास बंधक निम्नलिखित सम्पत्तियों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिये गये अनुसार नीचे वर्णित अनुसार बकाया एवं आगे ब्याज, प्रभार एवं लागत आदि की वसूली के लिए इन सम्पत्तियों को निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

नीलामी **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., बैक आफिसः** लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में **27 जुलाई 2019 को अप. 3:30 बजे** आयोजित की जाएगी। सम्पत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जो है जैसा है"** आधार पर बेचा जाएगा। यह उपरोक्त कथित ऋण के कर्जदारों के लिए यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त वर्णित तिथि पर नीलामी बिक्री के आयोजन के लिए बारे में सूचना भी है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं लोन खाता सं.	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	कब्जे की तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय एवं मुहरबंद निविदाएं (बोलियां) प्राप्त करने की अंतिम तिथि	बोली/नीलामी खुलने की तिथि	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	धरोहर जमा राशि (ईएमडी)
1.	सुनील कुमार चौहान एवं रानी निवासी मकान नं. 46, प्रथम एवं द्वितीय तल, पॉकेट–01, सैक्टर–24, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 लोन खाता सं. 312300001656	मकान नं. 3424, प्रथम तल, महिन्द्रा पार्क, रानी बाग, शकूरबस्ती, दिल्ली–110034 (एरिया 101 वर्ग यार्ड)	27.06.2017 को रु.71,64,596.26/– प्लस उस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार	12.03.2018	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 26.07.2019	27.07.2019 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.65.00 लाख	रू.6.50 लाख

नियम व शर्तें: (1) इच्छुक बोलीदाताओं को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से ईएमडी के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोलियां **27 जुलाई, 2019 को अप. 1:00 बजे** तक भेजनी होगी। नीलामी की तिथि को असफल बोलीदाताओं को यह राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। बिना ईएमडी के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री के नियम व शर्तों, समय या प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी ईएमडी को जब्त कर सम्पत्ति को दोबारा बेचा जाएगा। किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। (2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध/उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति मे मुहरबंद निविदाएं खोली जाएंगी। (3) निविदाएं खुलने के बाद इच्छुक बोलीदाताओं का ऑफर मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोली के लिए अवसर देने का अधिकार केवल प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा। (4) सफल बोलीदाता को उपरोक्त अनुसार डीडी के रूप में उसी दिन नीलामी के तुरंत बाद बोली राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी समायोजन सहित) जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री का भुगतान की पुष्ठि की तिथि से 15 दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में बढ़ाई गई अवधि के भीतर करना होगा। चूक के मामले में बोलीदाता द्वारा जमा की गई सभी राशि को जब्त करके सम्पत्ति की दोबारा बिक्री की जाएगी। सफल बोलीदाता को बिक्री के सभी नियम व शर्तों को पूरा करने पर नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति पर कोई भी प्रभार, अधिभार, सम्पत्ति कर या कोई भी सरकार या निकाय के बकायें के लिए जिम्मेदार नहीं होंगें । सम्पत्ति की सीमा/विवरण एलआईसी एचएफएल के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बिक्री की उद्घोषणा में वर्णित किये गये हैं और प्राधिकृत अधिकारी इसके होने वाली किसी भी विभिन्नता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित शाखा के प्रबंधक से पूर्व अनुमति लेकर सम्पत्ति का निरीक्षक कर लें। (5) सफल बोलीदाता को सभी सांविधिक बकायों/करों/प्रभारों/बदलाव के लिए देय शुल्कों जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि को लागू नियमों एवं आयकर नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। (6) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताएं किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने और नीलामी को स्थगित करने/आगे बढ़ाने/निरस्त करने का अधिकार होगा और वे बिना कोई पूर्व सूचना दिये इस बिक्री के किसी भी नियम व संशोधित करने का भी अधिकार रखते हैं। (7) बिक्री एलआईसी एचएफएल की पुष्ठि के अधीन होगी।

बिक्री के अन्य शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता प्रबंधक बैक आफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 के पास व्यक्तिगत रूप से या फोन नं. 011–23238964, 9891392661 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 11.07.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.**

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय
बेहतर सेवा के लिए आपका सहयोग
ट्रैफिक चालानों का
निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत
में
13 जुलाई, 2019
प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
सभी प्रकार के वाहनों (व्यवसायिक वाहनों सहित) के
"ऑन-द-स्पॉट" एवं नोटिस ब्रांच के लंबित
ट्रैफिक चालानों का तुरन्त निपटारा
"ऑन-द-स्पॉट" ट्रैफिक चालानों के लिए
सभी संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के ट्रैफिक कोर्ट में
नोटिस ब्रांच के ट्रैफिक चालानों के लिए
तीस हजारी, पटियाला हाऊस, कड़कड़डूमा, द्वारका, साकेत
एवं रोहिणी न्यायालय परिसर के किसी भी कोर्ट में
अपने वाहनों के लंबित नोटिस/चालानों के बारे में जानने के लिए
दिल्ली यातायात पुलिस वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in पर लॉग ऑन करें
DP/9120/19
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हेल्पलाइन 1516
24 घंटे यातायात हेल्पलाइन : 011-25844444/1095
आप हमसे जुड़े :
https://twitter.com/dtptraffic
https://www.facebook.com/dtptraffic
ट्रैफिक प्रहरी बनें
एप डाउनलोड करें
पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई–मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in | लिखें: पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर
तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 100
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	39.4 डि.से.	39.4 डि.से.	38.8 डि.से.	38.3 डि.से.
न्यूनतम	31.0 डि.से.	31.0 डि.से.	30.0 डि.से.	30.0 डि.से.

चाको ने शीला के फैसलों पर लगाई रोक

पुरानी नियुक्तियों को किया खारिज

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे और नए अध्यक्ष के चयन को लेकर जारी असमंजस के बीच सूबे की कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के फैसले लेने पर रोक लगा दी है और उनके द्वारा पिछले कुछ महीनों में की गई नियुक्तियों को भी खारिज कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली के प्रभारी चाको ने अस्पताल में इलाज करा रहीं दीक्षित को लिखे एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वह प्रदेश के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों की सहमति के बगैर अपने मन से कोई एकतरफा फैसला नहीं ले

चाको ने शीला दीक्षित को पत्र लिखकर एकतरफा फैसला लेने पर रोक लगाई

सकती हैं। कोई भी फैसला तीनों कार्यकारी अध्यक्षों की सहमति से ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) का प्रतिनिधि व दिल्ली

- प्रदेश प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, वालिया समिति आदि की नियुक्ति को किया खारिज
- चाको ने कहा, कोई भी फैसला कार्यकारी अध्यक्षों की सहमति से लिया जाए

का प्रभारी होने के नाते वह ऐसे किसी फैसले पर अपनी सहमति की मुहर नहीं लगाएंगे। इसी दलील के आधार पर उन्होंने दीक्षित द्वारा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं, रमाकांत गोस्वामी, जितेंद्र कोचर और हरनाम सिंह, कोषाध्यक्ष मंगतराम सिंघल तथा अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की नियुक्ति को भी खारिज कर दिया है। इनमें चाको से बदसलूकी से चर्चा में आए रोहित मनचंदा का नाम भी शामिल है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने बीते दिनों दिल्ली के सभी 280 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को हटाने का फैसला किया था लेकिन चाको ने उनके इस फैसले पर भी रोक लगा दी थी। उसके बाद से बार-बार दावा करने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, सभी 14 जिलों तथा सभी ब्लॉकों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर फैसले के बावजूद इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की जा सकी है। इस बीच दिल्ली के दो कार्यकारी अध्यक्षों ने गुरुवार को दिल्ली के प्रभारी चाको से मुलाकात की। बताते हैं कि चाको ने इन दोनों कार्यकारी अध्यक्षों को इनकी नियुक्ति की घोषणा से पहले राहुल गांधी द्वारा दी गई जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए कहा कि वे रबड़ स्टाम्प की भूमिका से उबरकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बाद में इन कार्यकारी अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित से भी मुलाकात की।

युवक की चाकू घोंपकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

जाफराबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावारों ने एक चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। टैंपो चालक की पहचान ओमपाल उर्फ नन्हे (30) के रूप में हुई है। घटना की सूचना गुरुवार सुबह करीब 5:25 बजे पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि किसी बात को लेकर ओमपाल का दो लोगों से झगड़ा हुआ था। पुलिस को नन्हे का मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लूटपाट के लिए नन्हे की हत्या नहीं की गई। किसी रंजिश की वजह से उसे मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक चालक ओमपाल अपने परिवार के साथ वेलकम में रहता था।

गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय स्वाथ्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आइए हम सब रोकथाम की जा सकने वाली बीमारियों से किसी गर्भवती महिला और बच्चे की मृत्यु न होने दें। साथ ही स्वयंसेवी संगठनों से अपील की कि वे एक महीना जनसंख्या स्थिरीकरण पर लगाएं। यह गुणवत्तापूर्ण जीवन और संपूर्ण स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अहम है। वे जनसंख्या व विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आइसीपीडी) से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह अवसर महिला-पुरुष समानता, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और गरीबी और विकास के अन्य निर्धारकों से जुड़े विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूत मंच भी उपलब्ध कराता है। पोलियो उन्मूलन के अभियान ने हमें सिखाया है कि कठिन दिखाई देने वाले कार्य भी समाज की भागीदारी से सफल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कामयाब कहानियों के अनुभवों से सीखना होगा और चुनौतियों से सबक लेना होगा।

दो हमलावरों ने महिला को गोली मार किया घायल, हालत गंभीर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

द्वारका उत्तरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह कार सवार एक महिला पर मोटरसाइकिल सवार दो हमलावारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली महिला को जा लगी। महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। महिला की पहचान द्वारका सेक्टर-12 निवासी किरण यादव (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि एक गोली उसके गर्दन में फंस गई है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वारदात की सूचना गुरुवार सुबह 8:08 बजे पुलिस को मिली थी।

सुपरटेक बिल्डर की जार परियोजना के 1060 फ्लैटों पर लगी सील खोली गई

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 11 जुलाई।

ओमीक्रॉन स्थित सुपरटेक बिल्डर की जार परियोजना के 1060 फ्लैटों पर लगी सील बुधवार को खोल दी गई है। शासन के निर्देश पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। निर्धारित से दोगुने फ्लैट बनाए जाने की शिकायत पर इन्हें सील कर दिया गया था।

परियोजना के कुछ खरीदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि बिल्डर ने 844 के बजाए दो गुना से ज्यादा फ्लैट बना डाले हैं। खरीदारों की याचिका पर हाई कोर्ट ने इन्हें सील करने के आदेश दिए थे। उसके बाद कुछ खरीदारों समेत बिल्डर कंपनी ने हाई कोर्ट में राहत की अपील की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले पर फैसला लेकर बताने को कहा था। शासन में सुनवाई के बाद फ्लैटों की सील खोलने के निर्देश दिए गए। जिसके अनुपालन में प्राधिकरण ने बुधवार शाम फ्लैटों पर लगी सील खोल दी। ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपचंद के मुताबिक शासन के निर्देश पर 1060 फ्लैट पर लगी सील खोल दी गई है। बिल्डर कंपनी इन फ्लैटों से मिलने वाली रकम से ईडब्लूएस के फ्लैट बनाएगी।

बच्चे का हालचाल जानने पहुंचे भाजपा नेता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

शिक्षातंत्र में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घेराबंदी गुरुवार को भी जारी रही। त्रिलोकपुरी में पंखा गिरने की घटना के बाद भाजपा ने 'आप' सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इस घटना के बाद खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी स्कूल की जांच के लिए पहुंचे और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा। वहीं, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता भी पीड़ित बच्चे से मुलाकात के लिए गुरुतेग बहादुर अस्पताल पहुंचे और बच्चे के हालचाल पूछे।

मनोज तिवारी ने बताया कि जिस स्कूल में पंखा गिरा था। उस बच्चे की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जो घटना

स्कूल में पंखा गिरने का मामला

घटनास्थल पर पहुंचे मनोज तिवारी।

घटी है वह दुखद है। भविष्य में ऐसी घटना न हो यह हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बार- बार बेहतर स्कूल की बात हो रही है और इसमें यह सवाल उठ रहा है कि इन निर्माण में सरकार ने गुणवत्ता पर कितना ध्यान दिया है। कमरों के दरवाजों से लेकर छतों के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी हुई है। इसका ही उदाहरण त्रिलोकपुरी में हुई घटना है।

हर क्षेत्र में निगरानी कमेटी जरूरी

दिल्ली में निर्माण व्यवस्था की निगरानी के लिए एक कमेटी बननी चाहिए। अगर ये कमेटी नहीं बनती है तो पूरी दिल्ली स्लम बन जाएगी। गुरुवार को भाजपा नेता विजय गोयल ने यह चिंता जाहिर की। वे सुंदर विहार के डीडीए पार्क में 'पार्क चलो अभियान' के तहत लोगों से रायशुमारी के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित नगरी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का बहुत नुकसान किया है। दिल्ली सरकार ने यमुना, यातायात, पार्किंग, स्लम और झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों के लिए कोई काम नहीं किया है।

राजनीतिक दल के दो कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर पीटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

तिलक नगर थाना क्षेत्र में बिहार से नौकरी की तलाश में आए एक युवक की एक राजनीतिक दल के दो कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में युवक का हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया है। घटना में घायल युवक शेख जलील के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी युवक की तलाश कर रही है। आरोपियों के नाम बाबर आलम और शैंडी बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, शेख जलील इन दिनों उत्तम नगर में रहता है। वह नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आया हुआ है और एक रिश्तेदार के पास रह रहा है। पीड़ित के चचेरे भाई साहिब आलम ने पुलिस को बताया कि बीती दो जुलाई को शेख जलील के दूर के रिश्तेदार बाबर आलम ने काम के बहाने तिलक नगर में बुलाया था। वह उनके पास पहुंच गया। बाद में दोनों आरोपियों ने उसे एक कमरे में बंद कर बाबर आलम और शैंडी ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया और उसका सिर फोड़ दिया। बेहोशी की हालत में उसे छोड़ कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद शेख जलील के चचेरे भाई को फोन कर कहा कि उसे मार दिया है, उसे ले जाओ। मौके पर पहुंचकर उसे डीडीयू में भर्ती कराया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिजली उपभोक्ताओं को वापस किए जाएं 5040 करोड़ रुपए : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

कांग्रेस ने मांग की है कि दिल्ली की बिजली वितरण कपनियों ने फिक्स चार्ज के नाम पर राज्य के उपभोक्ताओं से 5040 करोड़ रुपए की जो राशि एकत्रित की है वह उपभोक्ताओं को वापस की जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि अगर यह पैसा उपभोक्ताओं को सीधे-सीधे नहीं दिया जा सकता है तो उनके बिजली बिलों में इस पैसे को समायोजित किया जाए।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसूफ ने गुरुवार को कहा कि फिक्स चार्ज के नाम पर वसूले गए पैसे दिल्ली वालों के खून पसीने की कमाई है जो उनको वापस मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए आयोजित जन सुनवाई से कांग्रेस ने इसलिए अपने आप को अलग रखा क्योंकि जनसुनवाई में नूरा कुश्ती का खेल हो रहा था। डीईआरसी पर दिल्ली सरकार की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए युसूफ ने कहा कि तीन सदस्य डीईआरसी में अभी तक दो सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और सिर्फ अध्यक्ष ही डीईआरसी चला रहे हैं। दिल्ली के पूर्व बिजली मंत्री हारुन यूसूफ ने कहा डीईआरसी में तीन सदस्य होने चाहिए लेकिन पिछले दो सालों से यहां सिर्फ एक सदस्य है, जो बिजली विनियमन संस्था का अध्यक्ष है।

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर को परेशान करने पर बैंक पर दो लाख का जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 11 जुलाई।

बुजुर्ग नागरिक और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर को परेशान करने पर जिला उपभोक्ता फोरम गौतम बुद्ध नगर ने सिंडीकेट बैंक पर दो लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। अपने आदेश में न्यायाधीश राजेंद्र बाबू शर्मा ने कहा कि पीड़ित ने 35 सालों तक देश की सेवा में अपना जीवन खपाया है। ऐसे भारतीय सैन्य अधिकारी के साथ सेवानिवृत्ति के बाद समाज और प्रत्येक व्यवस्था की ओर से सम्मानजनक आचरण किया जाना चाहिए। भविष्य में ऐसा अनैतिक आचरण कोई बैंक अपने उपभोक्ता के साथ न करे, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को निर्णय की प्रति भेजते हुए सम्यक निर्देश निर्गत करने की अपेक्षा की है।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामला : सरकारी गवाह बनी इंद्राणी अदालत में पेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम से जुड़े आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी को गुरुवार दोपहर विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत में पेश किया गया। एक अन्य मामले में मुंबई की जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया था। मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति मिलने के बाद विशेष जज अरुण भारद्वाज के समक्ष पेश होकर बताया कि उन्होंने बगैर किसी दबाव में और अपनी इच्छा से सरकारी गवाह बनीं हैं। उन्होंने अदालत को विश्वास दिलाया कि वे सत्य को सामने लाने में कानून का साथ देंगी।

इंद्राणी ने आठ फरवरी को अदालत में सरकारी गवाह बनने का आवेदन दिया था। तब वे पटियाला हाउस के विशेष सीबीआइ जज सुनील कुमार राणा के सामने मुंबई की भायखला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। जिसमें उसने बताया कि वो सरकारी गवाह बनना चाहती है। सीबीआइ व ईडी ने आइएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति, सीए भास्कर रमण व इंद्राणी को आरोपी बनाया है। जांच एजंसियों का दावा है कि आइएनएक्स मीडिया समूह में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) की अनुमति दिलाने के लिए चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और अपने बेटे कार्ति के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा की घूस ली थी। पूछताछ में इंद्राणी बता चुकी हैं कि वह एफआइपीबी की मंजूरी के सिलसिले में कार्ति चिदंबरम से मिली थीं।

सार्वजनिक परिवहन | **मंत्रिमंडल ने बसों की खरीद योजना को दी मंजूरी**

मई 2020 तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 9500 बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

बसों की कमी के संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों को जल्द ही नई बसें मिलनी शुरू होंगी। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई में ही नई बसों की पहली खेप आ जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में नई बसों के खरीद मसौदे को मंजूरी दी गई। दिल्ली कैबिनेट ने 4 हजार नई बसों को तय समयसीमा में लाने को मंजूरी दी है। इन बसों में सबसे पहले 650 बसों की खेप आएगी। इसके बाद डीटीसी की 1000 बसें बेड़े में शामिल होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि मई 2020 तक 9500 बसें दिल्ली वालों के लिए उपलब्ध होंगी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि

1000 सामान्य फ्लोर बसें जुलाई से ही आना शुरू हो जाएंगी और 1000 लो फ्लोर बसें क्लस्टर के तहत लाई जाएंगी। इन बसों में से 650 के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बसें दिसंबर से अप्रैल तक दिल्ली के यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। बाकि 350 बसों के लिए भी दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बसें दिसंबर से मिलनी शुरू होंगी और हर खेप में दिल्ली को 165 बसें मिलेंगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1000 इलेक्ट्रिक बसों की निविदा खुल चुकी है और जनवरी से अप्रैल के बीच ये बसें आएंगी। वर्तमान में दिल्ली के पास 5500 बसें डीटीसी व क्लस्टर सेवा के तहत उपलब्ध हैं। सरकार ने मई-जून तक इस बेड़े में चार हजार बसें बढ़ाने का फैसला लिया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी उपस्थित थे।

'सुधार के लिए 54 माह से सो रही थी सरकार'

दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने 54 माह में कोई काम नहीं किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले में 54 माह से सो रही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक लाख लोगों पर केवल 17 बसें उपलब्ध हैं और वह भी खस्ताहाल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए 20 हजार बसों की आवश्यकता है। 2020 में दिल्ली सरकार की विदाई तय है इसलिए अब दिल्ली सरकार नई बसों की खरीद करने का दावा कर रही है।

5 हजार किलोवाट सोलर बिजली बनाएगा राजघाट

राजघाट के कोयला आधारित प्लांट में अब सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी। यह प्लांट 45 एकड़ क्षेत्र में लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण सुधार के लिए यह फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब इस कोयला आधारित प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। वैसे प्रदूषण की वजह से 2015 से ही यहां पर बिजली का उत्पादन बंद है। अब कैबिनेट ने भी इस प्लांट को बंद करने की मंजूरी दी है। इस प्लान पर दिल्ली सरकार काफी समय से काम कर रही है। इसकी मदद से दिल्ली को 5 हजार किलोवाट ग्रीन पावर उपलब्ध होगी।

खबरों में शहर

पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल श्रममंत्री गंगवार से मिला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

पत्रकारों की श्रम कानून संबंधित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ से समबध वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया व नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार से मिला। अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुआई पवन कुमार (क्षेत्रीय संगठन मंत्री, बीएमएस) ने की। इस प्रतिनिधिमंडल में डब्लूजेआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय, एनयूजे (आइ) और डीजे से केजी सुरेश, प्रमोद सैनी, हेमंत बिश्नोई, उमेश चतुर्वेदी और सरजना शर्मा शामिल थे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आश्वासन दिया कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया व अनुबंध पर रखे जा रहे पत्रकारों और कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

बदरपुर फ्लाईओवर से नीचे गिरे चाचा-भतीजी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

बदरपुर से फरीदाबाद की तरफ जा रहे बुलेट सवार चाचा-भतीजी को बदरपुर फ्लाईओवर के पास किसी अज्ञात कार सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घायल की पहचान इंदरपुरी निवासी मोहन (33) और उनकी तीन साल की भतीजी दिप्ती के रूप में हुई है। बदरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 जुलाई।

सेक्टर-44 स्थित एक पीजी में देखभाल करने की जिम्मेदारी निभा रही महिला ने गुरुवार तड़के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से कोई सूसाइड नोट नहीं मिला है। आस-पास रहने वालों से पूछने पर पता चला है कि महिला मानसिक तनाव में थी। थाना सेक्टर-39 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना सेक्टर-39 के एसएचओ राजेश कुमार शर्मा के मुताबिक, मूलरूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली सोमो नाजा (25) सेक्टर-44 स्थित जी-216 पीजी में केयर टेकर थी। सोमो ने गुरुवार तड़के करीब छह बजे कमरे के पंखे के हुक से फंदा लगा लिया। इस बीच परिजनों को पता चला। परिजनों ने तुरंत सोमो को नीचे उतारा, तब तक उसकी सांस चल रही थी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच करने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।

गलत हलफनामा मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अदालत में तलब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए दाखिल नामांकन-पत्र के साथ गलत हलफनामा देने के आरोप में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश हों। जज ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर समन किया जाता है। एक वकील नीरज के जरिए दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाबत गलत हलफनामा दाखिल किया था।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : विद्युत मोहंती की पुस्तक पर चर्चा, सभागार-1, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

प्रदर्शनी

एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर : शहर हासमी रजा की कला प्रदर्शनी का आयोजन और चर्चा, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर, 4/6 सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, सुबह 11 बजे से, 14 जुलाई तक।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : लातूर से कलाकार अरुण कुमार चटर्जी की कला प्रदर्शनी, एनेक्स आर्ट गैलरी, सुबह 11 बजे से, 16 जुलाई तक।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : नृत्य, सीडी देशमुख सभागार, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

वानिकी से नदियों के संरक्षण के लिए परियोजना रिपोर्ट होगी तैयार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षा परिषद देहरादून को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का दायित्व सौंपा

सरकार ने गुरुवार को बताया कि पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वानिकी कार्यकलापों के माध्यम से देश की प्रमुख नदियों के संरक्षण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) देहरादून को अध्ययन कार्य सौंपा है।

लोकसभा में जनार्दन मिश्र और रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप आइसीएफआरई ने अपने क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से समग्र दृष्टिकोण अपना कर वानिकी कार्यकलापों के जरिये नौ नदी बेसिनों से संबंधित 13 नदियों को डीपीआर तैयार करने के लिए चुना है। इन नदियों में ब्यास, चिनाव, झेलम, रावी, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और लूनी हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य देश की प्रमुख नदी प्रणालियों को वानिकी कार्यकलापों के जरिये संरक्षित करना है। इसका मकसद नदी बेसिन की मौजूदा स्थिति, विगत नदी प्रबंधन व निहितार्थों और अर्जित ज्ञान की समीक्षा और आकलन करना, पक्षकारों की पहचान करके उन्हें शामिल करना और रणनीति और पद्धतियां तैयार करना व विकसित करने के लिए सहमति बनाना है। वन जल ग्रहण क्षेत्र निर्मित करने, उसमें सुधार व उसका पुनरुद्धार करने के लिए क्षमता और संभावनाओं का आकलन करना, तटीय वनों की स्थिति व जीव विज्ञानीय फिल्टरों की क्षमता का आकलन करना, औषधीय पौधों की बुवाई क्षमता का आकलन और संरक्षण क्षेत्रों का पुनरुद्धार और उपयुक्त प्रजातियों और समुचित स्थानों की पहचान करना शामिल है।

मंत्री ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण घटक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण करना है जो गंगा बेसिन के किनारे स्थित छोटे शहरों या कस्बों में हरित कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन, गंगा नदी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा 'गंगा के लिए वानिकी कार्यकलाप' हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार राज्य वन विभागों को वृक्ष लगाने के लिए सहायता प्रदान करता है।

अल-कायदा की धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

अल-कायदा की धमकियों के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का माद्दा रखता है और कश्मीर पर अयमान अल-जवाहिरी की धमकियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद आतंकवादी संगठन अल-कायदा का प्रमुख बनने वाले जवाहिरी ने एक वीडियो में कहा है, 'इस दौर में कश्मीर में मुजाहिदीन (सशस्त्र आतंकवादी) अपना सारा ध्यान भारतीय सेना और सरकार पर निरंतर हमले करने पर केंद्रित करें।'

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत के सुरक्षा बल देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और इसकी पूर्ण क्षमता रखते हैं। कुमार ने कहा, 'हम ऐसी धमकियां सुनते रहते हैं और यह पहली बार नहीं है जब ऐसी धमकी मिली है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि अल-कायदा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन है और उनके प्रमुख को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं और क्षमतावान हैं। इन धमकियों की चिंता ना करें। उनमें हमारी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का माद्दा है।

इस वीडियो को 'अस-सहाब' चैनल पर पोस्ट किया गया है जो अल कायदा का इन हाउस प्रोडक्शन है। इसका इस्तेमाल विश्व को संगठन के विचार बताने के लिए किया जाता है।

फॉर्म-जी

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	यमुना इंफ्राडवैल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	02.04.2012
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-दिल्ली
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2012PTC233903
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः दुकान नं. 40, खसरा नं. 283, जीटी करनाल रोड, नजदीक सिरसपुर गुरूद्वारा, सिरसपुर, उत्तरी दिल्ली-110042
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेंसी शुरुआती तिथि	01.05.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	12.07.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	विवरण इ-मेलः cirp.yamunainfra@gmail.com पर मेल अनुरोध भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	विवरण इ-मेलः cirp.yamunainfra@gmail.com पर मेल अनुरोध भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	29.07.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	09.08.2019
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	14.08.2019
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	24.08.2019
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	14.08.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन आइबीसी की धारा 29(2) के अनुसार गोपनीयता घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद क्रेडिटर्स की कमेटी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले आर्हक और शार्टलिस्ट प्रस्ताव आवेदकों के साथ केवल इमेल द्वारा प्रस्ताव पेशेवर द्वारा शेयर की जाएगी। इ-मेलः cirp.yamunainfra@gmail.com
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	13.09.2019
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	बिन्दु नंबर 21 पर दिए गए पते पर सीलबंद कवर या cirp.yamunainfra@gmail.com पर इ-मेल द्वारा।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	13.10.2019
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	राकेश टकयार, IBBI/IPA-001/IP-P00160/2017-18/10329
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	राकेश टकयार, rtakyar.rt@gmail.com, 301, सिटीजन्स राजेश सदन, 1/28, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	राकेश टकयार, मार्फत योगाक्षेम इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी यूजीएफ 15वां ईस्ट व्यू, 1/15 तिलक नगर (समीप पीएनबी), नई दिल्ली-110018, cirp.yamunainfra@gmail.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	विवरण इ-मेलः cirp.yamunainfra@gmail.com पर मेल अनुरोध भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	12.07.2019

राकेश टकयार, IBBI/IPA-001/IP-P00160/2017-18/10329
301, सिटीजन्स राजेश सदन, 1/28 तिलक नगर, नई दिल्ली-110018

तिथिः 11.07.2019
स्थानः नई दिल्ली

कृते यमुना इंफ्राडवैल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं. 210/15

बिक्री उद्घोषणा

कार्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स एलॉय कॉर्पोरेशन

बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2)
बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993

1. मैसर्स एलॉय कार्पोरेशन, इसके प्रोपराईटर सुश्री जेबा उर्फि पुत्री मोहम्मद इरफान, 16, सामुदायिक केंद्र, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
2. सुश्री जेबा उर्फि पुत्री मोहम्मद इरफान, ए-169, द्वितीय तल, डिफैन्स् कॉलोनी, नई दिल्ली
3. सुश्री आसमा उर्फि पुत्री मोहम्मद इरफान, ई-236, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली -48

1. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-I द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं 210/15, ओए सं 42/14 दिनांकित 31.08.2015 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 3,64,93,088/- साथ में दिनांक 07.02.2014 से 15.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में खर्च लागत रु. 1,50,000/- बकाया है।**
2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा **रु. 3,64,93,088/- साथ में दिनांक 07-02-2014 से 15.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार बकाया है, साथ में खर्च लागत रु. 1,50,000/-** प्रामाणपत्र देनदार से वसूल किया जाएगा।
4. सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव मे उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा वेबसाईट : **website https://bankauctions.in** पर **"ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 21.08.2019 को अपा. 03 बजे से अपा. 04 बजे तक (अपाह्न 04.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।**
5. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निंधारित किया गया है, वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
6. सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
7. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा।
8. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

8.1 **आरक्षित मूल्य रु. 122.00 लाख (रु. एक करोड बाईस लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी और धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 12.20 लाख (रु. बारह लाख बीस हजार मात्र)**

8.2 इच्छुक निविदादाताओं को रु. 12.20 लाख, धरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड के रूप में, वसूली अधिकारी-I, डी आर टी-I, दिल्ली, खाता आर सी नं. 210/15 के पक्ष में दिल्ली में देय, दिनांक 19.08.2019 को सायं 05.00 बजे तक धरोहर राशि वसूली अधिकारी-I, डी आर टी-I, दिल्ली के ऑफिस में जमा करनी होगी। उसके उपरान्त प्राप्त धरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नही होगी। सफल बोलीदाता के लिए उपरोक्त जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि (ई एम डी) ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी-I, डी आर टी-I, दिल्ली के ऑफिस से वापस कर दी जाएगी।

8.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नही) साथ में दस्तावेज जैसे की पैन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण इत्यादि दिनांक 19.08.2019 को सायं 05.00 से पहले **वसूली अधिकारी-I, डी आर टी-I, दिल्ली के ऑफिस में जमा** कर दी है, ही दिनांक 21.08.2019 को अपाह्न 03.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते है। बोली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगी।

8.4 निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा **रु. 50,000/- (रु. पचास हजार केवल)** निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।

8.5 किसी भी लॉट के सर्वोच्च/उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नही है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

8.6 सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली, खाता आर सी न. 210/15 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात् यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

8.7 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी-I, डी आर टी-I, दिल्ली, खाता आर सी न. 210/15 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा** सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी-I, डी आर टी-I, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000/- तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)।

8.8 **यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नही किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाऐगा। बिक्री के खर्चो को चुकाने के बाद बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगें।**

9. **सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा**

10. अद्योहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
(i)	खाली प्लॉट / भूमि क्षेत्रफल 5208.6 वर्ग गज, खसरा नं. 2888, गाँव भूरगढ़ी, परगना डासना, जिला गाजियाबाद,यू.पी में स्थित	कोई सूचना प्राप्त नही		

मेरे समक्ष दिनांक 26.06.2019 को मोहर किया गया

हस्ता/- (संजू स्नेही), वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली

प्रपत्र - 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन]

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ऐपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	11-03-2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U74120DL2008PLC175180
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 701-ए, 7वां तल, जीडी-आईटीएल टावर,प्लॉटनंबर बी-8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नॉर्थ वेस्ट डीएल 110034, भारत कार्पोरेट कार्यालयः बी-16, सेक्टर-2, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश संकर्म (वर्क्स) पता : डी-हैरेहल, जिला अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश-515872
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	13-03-2019 (आदेश वेबसाइट पर 15-03-2019 को अपलोड किया गया)
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	12-07-2019 (पहले 19-06-2019 और 27-05-2019)
8.	संहिता की धारा 25(2)(जे) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	संहिता की धारा 25(2)(जे) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता irp.appleindustries@gmail.com अथवा ajaygupta1969@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है :
9.	धारा 29क के अधीन अग्राह्यता के मानदंड :	धारा 29क के अधीन अग्राह्यता के मानदंड निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं : http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	15-07-2019* (पहले 30-06-2019 और 11-06-2019)
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	25-07-2019* (पहले 10-07-2019 और 21-06-2019)
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	30-07-2019*(पहले 15-07-2019 और 26-06-2019)
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	09-08-2019 (पहले 25-07-2019 और 06-07-2019)
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	30-07-2019*(पहले यह 15-07-2019 और 26-06-2019)
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36बी (1) के निबन्धनों में मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध प्राप्त करने हेतु ग्राह्य सभी समाधान आवेदकों को उपरोक्त क्लॉज 21 के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ये समाधान आवेदकों द्वारा गोपनीयता का वचनपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उपलब्ध कराए जाएंगे।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	29-08-2019*(पहले 14-08-2019 और 26-07-2019)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	समाधान आवेदक (कों) को समाधान योजना(एं) अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ई-मेल के माध्यम से तथा भौतिक रूप से/डाक द्वारा सीलबंद लिफाफे में क्लॉज 21 में वर्णित पते पर ऊपर क्लॉज 16 में वर्णितानुसार समाधान योजना (एं) प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि को अथवा पूर्व (अर्थात 29-08-2019 को अथवा पूर्व) प्रस्तुत करनी होगी।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	23-11-2019*
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	अजय गुप्ता, आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	नाम : अजय गुप्ता, पता : 7-ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पाकेट-बी, नई दिल्ली-110014 ई-मेल : ajaygupta1969@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	नाम : अजय गुप्ता, पता : फ्लैट नंबर 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, 9वां तल, सेक्टर-93ए, नोएडा-201304 ई-मेल : ajaygupta1969@gmail.com, irp.appleindustries@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	नाम : अजय गुप्ता, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल ई-मेल : ajaygupta1969@gmail.com, irp.appleindustries@gmail.com
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	12-07-2019*(पहले 19-06-2019 और 27-05-2019)

नोट: 1. इस विषय में ईओआईज को 27.05.2019 और 19.06.2019 को समाचार-पत्र में छपी सूचना के माध्यम से आमंत्रित किया गया था और ईओआईज के जमा कराने की अंतिम तिथियां 11.06.2019 और 30.06.2019 क्रमशः थी। आखिरकार दिनांक 08.07.2019 को संपन्न हुई बैठक में सीओसी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तदानुसार 15.07.2019 तक ईओई जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए 10.07.2019 को संपन्न हुई ई वोटिंग के द्वारा यह समाधान निकाला गया है। इस प्रकार यह निमंत्रण फिर से जारी किया जा रहा है।
2. उपरोक्त लिखित समय सीमा सीआईआरपी को पूरा करने के लिए माननीय एनसीएलटी के अनुदान के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि तत्काल मामले में सीआईआरपी के 180 दिन दिनांक 09.09.2019 को समाप्त हो रहे हैं। सीओसी के द्वारा दिनांक 08.07.2019 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि समय सीमा की अवधि को बढ़ाने के लिए माननीय एनसीएलटी की स्वीकृति ली जाये और तदनुसार आईआरपी को इस संबंध में याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया था और एक साथ आवेदन दाखिल किया जा रहा है। उपरोक्त सभी तिथियां माननीय एनसीएलटी द्वारा किये गये विस्तार तिथियों से संबंधित है।

हस्ता./-
अजय गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
ऐपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में
आईबीबीआई रजि. नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
पता : 7-ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पाकेट-बी, नई दिल्ली-110014
ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, irp.appleindustries@gmail.com
मोबाईलः 09871277445

तिथि : 12.07.2019
स्थान : दिल्ली

MODIFICATION IN FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Published in accordance with Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.

In modification to the modified Form G published on **June 03, 2019**, in Financial Express and Jansatta (Both in Delhi & NCR edition)and in Economic Times and Virat Vaibhav (Jaipur edition) inviting Expression of Interest from Prospective Resolution Applicant(s) w.r.t Mansarovar Heritage Inn Private Limited, the following amendments may be noted

Relevant particulars

10.	Last date for receipt of expression of interest	9th August, 2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	19th August, 2019
12.	Last date for submission of objections to provisional list	24th August, 2019
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	03rd September, 2019
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	24th August, 2019
16.	Last date for submission of resolution plans	23rd September, 2019
18.	Estimated Date for submission of Resolution Plan to Adjudicating Authority for approval	24th October, 2019

Note:1. Estimated Date of closure of Insolvency Resolution Process is on **29th July, 2019**. Further, in 3rd CoC meeting held on **June 12, 2019,** subject to the approval of Adjudicating Authority CoC approved the extensionof 90 days beyond stipulated 180 days pursuant to provisions of Section 12 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Thus the dates mentioned are subject to grant of extension of the CIRP by the Adjudicating Authority.
2. Visit www.adellandmarks.com for further information and updates.

Date: 12.07.2019
Place:New Delhi

Sd/- Darshan Singh Anand
Resolution Professional of Mansarovar Heritage Inn Private Limited
RegistrationNo.IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931
Reg. Address with IBBI:EG-46, Inder Puri, New Delhi -110012
Project Specific Address for Correspondence: Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd., B1/12, Safdarjung Enclave, 2nd Floor, New Delhi - 110029
Reg. Email ID with IBBI: dsanand57@gmail.com
Project specific email ID for correspondence- cirp.mhipl@gmail.com

POST OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF
TTL ENTERPRISES LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS TRUPTI TWISTERS LIMITED)
IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF.
REGISTERED OFFICE:304, 3rd FLOOR, SHOPPERS PLAZA-5, OPP. MUNICIPAL MARKET, C.G.ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD –380009, GUJARAT, INDIA.
Tel.No.:+919408271797 ; Email ID:truptitwister@gmail.com ; CIN:L17119GJ1988PLC096379

This Post Offer Advertisement is being issued by Kunvarji Finstock Private Limited **('Manager to the Offer')** on behalf of Ardent Ventures LLP **('Acquirer')** in connection with the Open Offer made by the Acquirer to acquire 18,096 Equity Shares of Face Value of Rs.10/- each **("Equity Shares")** of the Target Company at Rs. 1/- per Equity Share, representing 26% of the Equity Share Capital of the Target Company **("Offer")**, in compliance with Regulation 18 (12) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereof. The Detailed Public Statement **('DPS')** with respect to the aforementioned Open Offer was made on April 24, 2019, Wednesday in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Financial Express (Gujarati) (Ahmedabad Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition). Subsequently, a Corrigendum to the DPS and LoF was published on Monday, June 24, 2019 **("Corrigendum")** in the same newspapers in which the DPS was published.

1)	Name of the Target Company	:	TTL Enterprises Limited (Formerly Known as Trupti Twisters Limited)
2)	Name of the Acquirer	:	Ardent Ventures LLP
3)	Name of the Manager to the Offer	:	Kunvarji Finstock Private Limited
4)	Name of the Registrar to the offer	:	Accurate Securities & Registry Pvt. Ltd
5)	Offer details a.) Date of opening of the offer, b.) Date of closing of the offer	: : :	 June 25, 2019 (Tuesday) July 08, 2019 (Monday)
6)	Date of Completion of Payment of Consideration and communication of Rejection/Acceptance	:	Not Applicable, as no Shares were tendered in the Open Offer.

7) Details of Acquisition:

Sr.No.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer		Actuals	
7.1.	Offer Price (in Rs.)	Rs. 1 (Rupee One only)		Rs. 1 (Rupee One only)	
7.2.	Aggregate number of Shares t

जनसत्ता

12 जुलाई, 2019

उत्पीड़न के विरुद्ध

बाल यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी पाक्सो कानून को और कठोर बनाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से सुरक्षित बचपन की एक नई उम्मीद जगी है। पिछले कुछ सालों से नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। प्रस्तावित संशोधनों में बच्चों का गंभीर यौन शोषण करने वालों को मृत्युदंड और नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों को काफी कठोर किया गया था। तब माना गया था कि इससे आपराधिक वृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा और यौन हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसके बाद से कम उम्र की बच्चियों के यौन उत्पीड़न और उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए मांग की जा रही थी कि पाक्सो कानून को और कठोर बनाया जाए। जघन्य यौन अपराधों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया जाए। इसलिए प्रस्तावित संशोधनों के बाद माना जा रहा है कि ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लगेगी। मगर देखने की बात है कि इन कानूनों पर अमल कराने वाला तंत्र कितनी मुस्तैदी दिखा पाता है।

बाल यौन उत्पीड़न की कुछ वजहें साफ हैं। एक तो यह कि बच्चों को बहला-फुसला या डरा-धमका कर कहीं ले जाना और फिर उनका यौन उत्पीड़न करना अपेक्षाकृत आसान होता है। छोटे बच्चे या बच्चियां कई बार ऐसा करने वालों को ठीक से पहचान नहीं पातीं, जिससे पुलिस को सबूत जुटाने में दिक्कत आती है। फिर कड़े कानूनों के बावजूद ऐसी हरकतें करने वालों के मन में भय इसलिए नहीं पैदा हो पा रहा कि बलात्कार जैसे मामलों में सजा की दर काफी कम है। इसके अलावा आजकल इंटरनेट पर खुलेआम यौनाचार की तस्वीरें उपलब्ध हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन आ जाने से बहुत सारे लोग ऐसी तस्वीरें देखते रहते हैं। कई लोग ऐसी तस्वीरें साझा भी करते हैं, जिन्हें देख कर अनेक लोग बलात्कार आदि के लिए प्रवृत्त होते हैं। जब उन्हें किसी तरह की मुसीबत में फंसने का अंदेशा नजर आता है, तो पीड़ित या पीड़िता की हत्या तक कर देने में संकोच नहीं करते। इसलिए पाक्सो कानून में प्रस्तावित संशोधनों में अश्लील तस्वीरों यानी पोर्न फिल्मों पर भी नियंत्रण करने का प्रावधान किया है। अश्लील तस्वीरों के प्रसारण पर रोक की मांग भी लंबे समय से उठती रही है, मगर कुछ लोग इसे यौन शिक्षा के लिए जरूरी बता कर ऐसा करने का विरोध करते रहे हैं।

कानूनों को कड़ा बनाने के साथ-साथ पुलिस की जवाबदेही भी अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना कानूनों पर अमल सुनिश्चित नहीं कराया जा सकता। बलात्कार जैसी घटनाओं में पुलिस की जांच में देरी होने से कई सबूत नष्ट हो जाते हैं। फिर कई बार रसूखदार लोगों के प्रभाव में आकर भी कई मामले दबा दिए जाते या समझौते से उन्हें रफा-दफा करने का प्रयास किया जाता है। यों कई लोग अपनी बच्चियों के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं को इज्जत का मामला मान कर खुद चुप्पी साध लेते हैं, पर जो मामले सामने आते हैं वे पुलिस की ढिलाई की वजह से इंसाफ में न बदल पाएं, तो कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए उन पक्षों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से यौन अपराधियों को दंड नहीं मिल पाता।

कुंठा के कारोबारी

गायक यो यो हनी सिंह जितनी चर्चा अपनी गायकी से हासिल करते हैं, उससे ज्यादा सुर्खियां उन्हें अक्सर ऐसे गानों के लिए मिल जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर स्त्रियों के खिलाफ माना जाता है। हाल ही में अपने नाम से जारी एक गाने में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिन्हें अश्लीलता के दायरे में और महिलाओं की गरिमा कम करने वाला माना गया। इस पर घोर आपत्ति जताई गई थी और अब पंजाब राज्य महिला आयोग की शिकायत पर उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि जिस गीत में भी महिलाओं के खिलाफ अश्लीलता का प्रयोग हुआ हो, वह पूरे पंजाब में प्रतिबंधित होना चाहिए। यों हनी सिंह पहली बार ऐसे गीतों के लिए कठघरे में खड़े नहीं हुए हैं। करीब पांच साल पहले भी वे अपने एक ऐसे गीत के लिए विवाद में थे, जिसके शब्द बलात्कार जैसे अपराध को महिमामंडित करते थे। सवाल है कि दिल्ली में जिस 'निर्भया' मामले के बाद समूचा देश बलात्कार के खिलाफ आक्रोश में था, उसमें 'मैं बलात्कारी हूं' जैसा गीत गाने का साहस हनी सिंह में कहां से आया था?

दरअसल, हनी सिंह अकेले ऐसे गीतों के कारोबारी नहीं हैं। भोजपुरी, हरियाणवी और दूसरी प्रांतीय भाषाओं में भी ऐसे गीतों की सीडी बिकती हैं या फिर इंटरनेट पर खुलेआम मौजूद हैं, जिनके बोल घोर अश्लील और एक स्तर पर आपराधिक होते हैं, पर उन्हें सरेआम बजाया जाता है। सच यह है कि महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के अपराधों में ऐसे गीतों की बड़ी भूमिका होती है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे गीतों का मकसद खालिस कारोबार और पैसे कमाना होता है। आखिर ऐसे गीतों को सुनने और देखने वाले लोग कहां से आते हैं? वे किस समाज में और कैसे तैयार होते हैं? आधुनिकता की चकाचौंध में कमजोर होते सामाजिक सरोकारों के बीच हनी सिंह जैसे कलाकार इसलिए मशहूर हो जाते हैं कि उनके गीतों में बहुत सारे लोग अपनी हिंसक यौन कुंठाओं की नुमाइंदगी महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि कई बार लोग ऐसे गीत गाने वाले मशहूर कथित कलाकारों को अपने समारोहों में आमंत्रित करके उनके कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐसे लोगों को कई राजनीतिक दल भी अपनी सदस्यता देकर इतराते हैं। यह एक तरह से ऐसे गीतों और इसके गायकों को वैधता देना होता है। जबकि ऐसे गीतों के संदर्भ समाज में पसरी यौन कुंठित मानसिकता को और ज्यादा पुष्ट करते हैं।

कहा जा सकता है कि पहले से ही महिलाओं के खिलाफ कई ग्रंथियों में जकड़े समाज में ऐसे गीत एक तरह से प्रशिक्षण की भूमिका निभाते हैं। सवाल है कि जो गीत जनता के व्यापक हिस्से में सुने या देखे जाते हैं, उन्हें पर्याप्त जांच-परख के बिना कैसे जारी होने दिया जाता है! किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उसे सेंसर बोर्ड के कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता है। ऐसी तमाम फिल्में होती हैं, जिनके जरूरी माने जाने वाले दृश्यों को भी सेंसर बोर्ड अश्लीलता की दलील पर काट देता है। फिर इस तरह के स्वतंत्र वीडियो और गीतों पर कोई रोकटोक क्यों नहीं है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पीछे कई तरह की कुंठाओं का एक मनोविज्ञान काम करता है। उसे पुष्ट करने वाले कारकों पर लगाम लगाए बिना उन अपराधों पर काबू पाने की कोशिश अधूरी रहेगी।

कल्पमेधा

तुम कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हो और अधिक व्यक्तियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो। लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते।

-अब्राहम लिंकन

हांफती स्वास्थ्य सेवाएं

मोनिका शर्मा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति दस हजार की आबादी पर पचास बिस्तर और पच्चीस डॉक्टर होने चाहिए। जबकि भारत में प्रति दस हजार की आबादी पर मात्र नौ बिस्तर और सात चिकित्सक उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्तरीय स्थिति के मामले में भारत विकसित देशों से तो पीछे है ही, कई विकासशील देशों से भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर मानक पर हम दुनिया के देशों में निचले पायदान पर खड़े हैं।

हाल में आई नीति आयोग की रिपोर्ट 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति को सामने रखा है। रिपोर्ट में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत सामने आई है, वह वाकई चिंतनीय है। नीति आयोग ने तेईस संकेतकों को आधार बना कर राज्यों की एक सूची तैयार की है। ये सभी संकेतक जीवन सहेजने से जुड़ी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के सूचक हैं। इनमें नवजात मृत्यु दर, प्रजनन दर, लिंगानुपात, स्वास्थ्य सेवाओं की संचालन व्यवस्था, अधिकारियों की नियुक्ति और अवधि के साथ ही नर्सों और डॉक्टरों के खाली पद जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बयान करने वाली इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक और नीति आयोग ने मिल कर तैयार किया है। रिपोर्ट को तीन हिस्सों- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट कर बनाया गया है। इक्कीस प्रदेशों की इस फेहरिस्त में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदतर बताई गई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और ओड़िशा जैसे राज्यों को रखा गया है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमराया हुआ है।

दरअसल, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति हमेशा से चिंता का विषय रही है। जीवन रक्षा से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति नागरिकों को निराश ही करती आई है। लेकिन अफसोस कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी आम नागरिकों की जान भगवान भरोसे ही है। ऐसे में सवाल यह है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं जीवन की बुनियादी जरूरतों में से एक हैं, उनकी बेहतरी से जुड़े फैसलों और योजनाओं का असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता? खासकर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं तो खुद इलाज के इंतजार में दिखती हैं, क्योंकि हमारे यहां हर साल किसी न किसी बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन हर बार प्रशासनिक और सरकारी निष्क्रियता का ऐसा हाल सामने आता है कि न तो नागरिकों का स्वास्थ्य संभलता है और न ही भविष्य में इन बीमारियों से जूझने के लिए कोई सीख ली जाती है। निस्संदेह हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण दोनों में ही अक्सर विफल रहते हैं। चिकित्साकर्मियों की कमी का मामला हो या स्वच्छता और संवेदनशीलता का मसला, बरसों से स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल-2015 में भी देश की खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर सामने आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इकसठ हजार लोगों पर केवल एक सरकारी अस्पताल और 1833 लोगों पर सिर्फ एक बिस्तर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को आबादी के हिसाब से देखें तो हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों से बहुत पीछे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति दस हजार की आबादी पर पचास बिस्तर और पच्चीस डॉक्टर होने चाहिए। जबकि भारत में प्रति दस हजार की आबादी पर मात्र नौ बिस्तर और सात चिकित्सक उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्तरीय स्थिति के मामले में भारत विकसित देशों से तो पीछे है ही, कई विकासशील देशों से भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर मानक पर हम दुनिया के देशों में निचले पायदान पर खड़े हैं।

नीति आयोग ने दूसरी बार स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर यह राज्यों की सूची जारी की है। पिछले साल भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस सूची में सबसे नीचे थे। ऐसे में यह सवाल अहम है कि बीमारियां हों या संक्रमण, जो व्याधियां बीते बरस लोगों की जान ले रहीं थीं, वही इस साल भी दस्तक दे रही हैं। बिहार में इस बार भी चमकी बुखार (एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) ने तीन सौ से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। गौरतलब है कि यह बीमारी कुछ सालों से मुजफ्फरपुर में हर साल इसी तरह बच्चों का जीवन लील रही है। फिर भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया।

भारत में मातृत्व और बाल मृत्यु दर की स्थिति आज भी चिंतनीय है। गांवों से लेकर महानगरों तक कई तरह की संक्रामक और अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मधुमेह और टीबी जैसी बीमारियां हर आयु वर्ग में मौतों की बढ़ती संख्या का बड़ा कारण

बन रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक जल्द ही दुनिया में हर पांच मधुमेह के रोगियों में एक भारतीय होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक 2020 तक देश में लगभग बीस फीसद आबादी मानसिक बीमारियों से प्रभावित होगी। भारत में टीबी के मरीजों की संख्या छब्बीस फीसद है। कहीं मोटापा तो कहीं कुपोषण नई व्याधियों को जन्म दे रहा है। ऐसे में भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत की स्वास्थ्य सेवा किस हाल में है, क्यों हम स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा ढांचा तैयार नहीं कर पाए जो आम नागरिकों को स्वस्थ रख सके, क्यों चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और स्तरीयता दोनों एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

जन स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए इनका परिष्करण और समुचित विस्तार जरूरी है वरना स्वास्थ्य व्यवस्था में मौजूद खामियों की हकीकत हर बार आम नागरिकों के जीवन पर भारी पड़ती रहेगी। चिकित्सा क्षेत्र की बदहाल स्थिति के चलते ही आबादी के बड़े हिस्से को उचित समय पर इलाज और परामर्श नहीं मिल पाता। भारत में सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाएं कोई बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में अट्ठावन फीसद और शहरों में अड़सठ फीसद चिकित्सा निजी अस्पताल मुहैया करवा रहे हैं। समग्र रूप से बहत्तर फीसद स्वास्थ्य सुविधाएं निजी संस्थानों और चिकित्सकों के हाथों में हैं। यह बड़ा विरोधाभास ही है कि एक ओर तो भारत में दुनियाभर से लोग अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएं लेने आ रहे हैं और दूसरी ओर आमजन इलाज और चिकित्सकीय देखभाल न मिलने से अपनी जान गंवा रहे हैं। यह दुखद ही है कि आबादी के बढ़ते बोझ, गरीबी और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते भारत को दुनिया के पिछड़े देशों से भी ज्यादा बीमारी के बोझ का सामना करना पड़ता है।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च भी काफी कम है। यह वैश्विक औसत से बहुत नीचे है। इसी कारण आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक बड़ी आबादी की पहुंच नहीं बन पाई है। जबकि स्वास्थ्य नीतियां और उनका प्रभावी क्रियान्वयन केंद्र और राज्यों की सरकारों की प्राथमिकता होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि 2008 से 2015 के बीच कुल जीडीपी का केवल 1.3 फीसद ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के तहत वर्ष 2025 तक इस लागत को जीडीपी का ढाई फीसद तक करने का लक्ष्य है। पर स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए यह मामूली सुधार कितना प्रभावी होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। जबकि किसी भी देश के नागरिकों की सेहत वहां के जन-संसाधन के स्वास्थ्य की रक्षा, आर्थिक उन्नति और स्तरीय जीवन जीने की मानवीय परिस्थितियों की बानगी होती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य के क्षेत्र को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने का प्रण करना चाहिए। सरकार हो या समाज, हमें समझना होगा कि आर्थिक विकास और सफलता से जुड़ी सभी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं की कामयाबी तभी है जब देश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत ढांचा तैयार हो।

घर का स्वाद

तनिष्का वैद्य

दुनिया मेरे आगे

हालांकि बरसात के दिन चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल गरमी अपने चरम पर है। ऐसे में हर कोई ठंडक पाने के उपाय कर रहा है। ठंडा खाना या पीना शरीर को राहत देता है। बाजार में ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। बचपन में अक्सर मां गरमी के दिनों में घर पर ही केरी का पना, सत्तू, छाछ, लस्सी, नींबू, आंवले या बेल का शरबत जैसी चीजें बनाया करती थीं। पेड़ों पर कच्ची केरियां, करौंदे, खिरनी, बेर, खजूर, जामुन या नदियों के किनारे तरबूज-खरबूज होते थे, पर आजकल के भागते-दौड़ते समय में हम इन सब चीजों को लगभग भूलते जा रहे हैं।

हमारा देश जितना अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने लजीज खाने के लिए भी। मौसम के मुताबिक हमारे लिए सेहतमंद फल और सब्जियां तो हैं ही, हर मौसम के लिए अपने अलग खास व्यंजन हैं जैसे सर्दियों में बाजरे का खिचड़ा, उड़द के लड्डू, मूंग का हलवा, जलेबी, शकरकंद, गराडू, गाजर, मूंगफली और फलों में अमरूद, पपीता, सीताफल, रामफल आदि, तो बारिश में पकौड़े, ताये, गुलगुले, भुट्टे के व्यंजन वगैरह। इसी तरह, हमारे यहां हर त्योहार का अपना अलग स्वाद है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, हर जगह का अपना अनूठा और खास स्वाद है। लोग जब एक से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं, तो अपनी जगह के खास व्यंजन भी अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह पूरे देश में वे व्यंजन पहचाने जाने लगते हैं। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, महाराष्ट्र की पूरण पोली, दक्षिण की इडली सांभर, केरल की पायसम, गुजरात का ढोकला, राजस्थान का घेवर और बाटी चूरमा, मध्यप्रदेश का कलाकंद, बंगाल का मिष्ठी दोही या संदेश। वक्त के साथ इन व्यंजनों को ध्यान में रख कर कई तरह की कहावतें भी प्रचलित हुईं।

मगर पिछले कुछ सालों के दौरान हमने अपने परंपरागत खानपान को धीरे-धीरे भुला दिया है और तैयार या रेडीमेड और 'फास्ट फूड' के नाम पर नए तरह का चलन शुरू कर दिया है। अपने व्यस्त जीवन में जिस तरह हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, वैसे ही खाना भी हो गया है। हम लोग बाजार से चंद मिनटों में पकने वाले रेडीमेड रैपरबंद सामान ले आते हैं और झटपट इसे बना लेते हैं। लेकिन सच यह है कि इस तरह हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। पारंपरिक खानपान में लगने वाला थोड़ा-सा वक्त हमें सेहतमंद बनाता और मौसम के अनुरूप हमारे शरीर को ढालता है। मां-दादी के हाथ के खाने में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जरूरी पोषक तत्त्व भी होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। बाजार में मिलने वाले ठंडे पेय या कोल्ड ड्रिंक्स उस वक्त के लिए जरूर हमें ठंडक पहुंचाते हैं, पर उनमें घुली शक्कर और परिरक्षक पदार्थ आगे हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता जैसे खाद्य पदार्थ आजकल बहुत चलन में हैं, पर ये पेट खराब करते हैं। यह बात अब वैज्ञानिक अध्ययन में भी सामने आ चुकी है।

घर पर बने खाने में वे सभी जरूरी पोषक तत्त्व होते हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं और ताकतवर भी बनाए रखते हैं। घर के खाने में उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण सब शामिल होते हैं। पुराने समय में लोगों के सेहतमंद होने या कम से कम बीमार होने का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण था कि वे मौसम के अनुरूप घर पर बना पौष्टिक और सादा, मगर सेहत के लिहाज से बेहतर खानपान रखते थे। हमारे पुराने खानपान में पोषण के साथ स्वाद भी होता है। आज के झटपट बनने वाले खाने में वैसा स्वाद कहां! न ही वह हमें तृप्त कर पाता है। आजकल त्योहारों पर भी बाजार की मिठाइयां होती हैं या घर में झटपट बनने वाले कुछ पकवान। अब हर त्योहार पर लगभग एक-सी मिठाइयां और व्यंजन दिखते हैं।

बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि खानपान वही अच्छा होता है जो तन और मन को खुश रखे। परंपरागत खानपान तन और मन दोनों को खुश रखता है। बाहरी देशों का खानपान उन देशों की खास जलवायु और बहुत ठंडा या बहुत गरम परिवेश के लिहाज से वहां तो ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे देश की समशीतोष्ण जलवायु और समृद्ध प्राकृतिक परिवेश में इसे अपनाना सिर्फ नकल कहा जाएगा। हम प्रकृति के बहुत पास हैं और हमें ताजे फल, सब्जियां, दूध और अनाज सहित कई चीजें आसानी से मिलती हैं, जबकि कई देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां इन्हें महीनों तक संग्रहीत रखना पड़ता है। अपने परिवेश और जलवायु के अनुकूल खानपान का चुनाव न केवल हमारे लिए सुविधाजनक होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी जरूरी होता है।

चौपाल

सोच की सफाई

प्रधानमंत्री ने तकरीबन पांच साल पहले इंडिया गेट से आह्वान किया था कि देश को स्वच्छ बनाया जाए। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान तेजी से शुरू हुआ। नेता, व्यापारी और अधिकारी सब झाड़ू लेकर सड़क साफ करने उतरे। एक बात इसमें बहुत महत्त्वपूर्ण रही कि जो लोग इसे गंदा काम कहते थे, उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया। इस सबसे काफी उम्मीद बंधी। लेकिन जितना सोचा गया था गंदगी उतनी साफ नहीं हुई। वास्तव में गंदगी साफ न हो पाने का एक बड़ा कारण हमारी जाति व्यवस्था भी है। सैकड़ों जातियों में से जब एक ही जाति की जिम्मेदारी गंदगी की सफाई करने की मान ली गई हो तो यह संभव ही नहीं है कि देश को साफ-सुथरा रखा जा सके। गंदगी साफ करने वालों को अछूत और नीच समझा गया। और जब यह हुआ तो अन्य जातियों के लोग गंदगी साफ करने में अपमान और शर्म महसूस करने लगे।

इसी का नतीजा है कि अपने घर का कूड़ा सामने की सड़क और रास्ते पर ही फेंक दिया जाता है। आम लोगों की अब भी यह आदत है कि केले का छिलका ,बेकार कागज, खाली बोतल या शीशी जैसी चीजें वहीं छोड़ देते हैं जिन्हें कूड़ा कहा जाता है। सोच यह है कि सफाई करने वाला कोई और है, वही यह काम करेगा! वे कूड़े को कूड़ेदान में डालने की भी जहमत नहीं उठाते। दूसरी तरफ जापान जैसा देश है जहां बच्चे जब दोपहर का भोजन करते हैं तो न केवल अपने बर्तन साफ करते हैं बल्कि रसोईघर और फर्श भी साफ करते हैं। इस तरह यह कार्य उनके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है और फिर इसे करने में अपमान महसूस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

हमें सफाई को लेकर अपनी और समाज की सोच बदलनी होगी। हमारे देश में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन लोगों को भी दिए जाएं जिनका स्वच्छता में योगदान हो। हम निराशावादी नहीं हैं लेकिन जो बात जाति व्यवस्था से जुड़ी है वह आशावादी बनने नहीं देती। निकट भविष्य में भी जाति व्यवस्था या जातीय सोच समाप्त होने वाली नहीं लगती। तो फिर यह मानसिकता कैसे खत्म होगी कि गंदगी साफ करना अपमान नहीं, सम्मान की बात है?दरअसल, इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब प्रशासनिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी शुरुआत की जाए। स्वच्छ भारत अभियान भी तभी कामयाब हो सकेगा।

● *अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

रोजगार की शिक्षा

जयंतीलाल भंडारी का लेख 'रोबोट युग में रोजगार की चुनौती' (10 जुलाई) भविष्य के लिए आगाह करने वाला है। यह बात तो सही है कि जिस तरह हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वह भविष्य के लिए वाकई चिंता की बात है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। वे वर्तमान की जरूरतों के लिए ही पर्याप्त नहीं हैं, फिर आने वाले समय में तो उनकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तब जीने के लिए भी लोग गलत काम करेंगे क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके मद्देनजर हमें भी चीन की तरह 'एक बच्चा' नीति लागू करनी होगी ताकि इस भयावह समस्या से कुछ निजात मिले।

वैसे बेरोजगारी का एक कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है क्योंकि वह लोगों में इस तरह के कौशल विकसित नहीं कर पाती कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छी नौकरी मिल सके। लिहाजा, हमारे शिक्षा तंत्र को भी अपना पुराना ढर्रा छोड़ कर कुछ नया करना होगा ताकि हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुख बन सकें।

● *प्रेरणा, भोपाल*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हार के बाद

भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह विश्व कप के सेमीफाइनल में हारी है उससे करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया। 239 रन का पीछा करना बेहद आसान था तो शायद कठिन भी। इसी का नाम क्रिकेट है। जब भारतीय गेंदबाजों ने 239 रन पर न्यूजीलैंड को बांध कर रख दिया उस समय किसी भारतीय ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ। अब बहुत सारे सवाल भारतीय टीम पर उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि हार का जिम्मेदार कौन? शमी को टीम में क्यों नहीं लिया? रायडू को क्यों नहीं बुलाया गया शंकर की जगह? दिनेश कार्तिक की जगह जाधव को क्यों नहीं? धोनी क्यों ऐसे खेला?

इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही वे खिलाड़ी हैं जो सेमीफाइनल तक टीम को लाए। इसलिए हम सम्मान के साथ भारतीय टीम की हार को स्वीकार करें। खिलाड़ियों को हम लोगों से अधिक दुख है क्योंकि वे सवा सौ करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने ही विश्वकप जीत कर 1987 में खुशी दी थी और 2011 में भी। यह क्रिकेट है, कभी खुशी कभी गम देता रहता है। लिहाजा, भारतीय टीम के इग्लैंड से वापस आने पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि उनका मनोबल गिरे। क्रिकेट में जो अच्छा खेला, वह जीता।

● *दिनेश चौधरी, सुरजापुर, सुपौल, बिहार*

बहस की धारा

धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है जिसे राष्ट्रपति के आदेश पर 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। इसकी वैधता पर लंबे समय से बहस चलती आ रही है पर राजनीति के सिवा और कुछ नहीं हुआ। अब गृहमंत्री के बयान के बाद इस बहस को नई हवा मिली है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कुछ इसे जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली संवैधानिक कड़ी बता रहे हैं तो कुछ इसे अस्थायी और कश्मीर के विकास में बाधक करार दे रहे हैं। यह तर्क भी दिया जाता है कि अनुच्छेद हटते ही अलगाववादी जनमत संग्रह के मुद्दे को तूल देंगे और जम्मू कश्मीर मसले के अंतराष्ट्रीयकरण का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखना होनी चाहिए। लिहाजा, इस धारा पर कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें कश्मीर के अवाम का विश्वास जीतना होगा ताकि उसमें शंका की भावना पैदा न हो जिससे कश्मीर में अस्थिरता का माहौल कायम हो और स्थिति बद से बदतर हो।

● *शेर मोहम्मद खान, दिल्ली*

नई फिल्म

- द गुड महाराजा
- सेक्शन 375

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
स्पाइडर मैन	55.25 करोड़
कबीर सिंह	241 करोड़
आर्टिकल 15	48.5 करोड़
भारत	201.3 करोड़

11 जुलाई तक की कमाई

जन्मदिन

कटरीना कैफ	16 जुलाई
आमना शरीफ	16 जुलाई
रवि किशन	17 जुलाई
प्रियंका चोपड़ा	18 जुलाई

'जबरिया जोड़ी' नया अनुभव : सिद्धार्थ

आरती सक्सेना

आमने सामने

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपने करिअर की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कुछ ही साल में खास पहचान बना ली है। इन दिनों सिद्धार्थ अपनी फिल्म 'जबरिया जोड़ी' को लेकर चर्चा में हैं। सिद्धार्थ ने फिल्म में अपनी भूमिका और करिअर से जुड़े कई सवालों के जवाब बातचीत के दौरान दिए। पेश है सिद्धार्थ मल्होत्रा से बातचीत के चुनिंदा अंश...

सवाल : फिल्म 'जबरिया जोड़ी' में आप अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अपने रोल के बारे में कुछ बताएं।

● 'जबरिया जोड़ी' में मेरा किरदार जबरदस्त है। इस फिल्म में मैं अभय सिंह का किरदार निभा रहा हूं। इसमें मैंने जिस तरह से बिहारी अंदाज में बोला है, जिस तरह का अभिनय किया है- वैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। यह मेरे लिए नया अनुभव था। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे अच्छा रिस्पांस मिला, इससे मुझे बेहद खुशी हुई। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। देखते हैं दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देते हैं।

सवाल : फिल्म में पकड़ुआ विवाह के मुद्दे को उछाला गया है। ये पकड़ुआ विवाह क्या है?

● 'जबरिया जोड़ी' में एक ऐसे दहेज प्रथा से जुड़ा अहम सवाल उठाया गया है। इसमें ऐसे विवाह के बारे में दिखाया गया है, जिसमें दहेज के लालची आखिरी क्षण में इसलिए शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि लड़की वाले दहेज नहीं दे पाते। ऐसे में दहेज देने में असमर्थ लोग जबरिया दूल्हे से बंदूक की नोंक पर लड़की से शादी करवाते हैं।

सवाल : आपकी प्रेमकथाएं चर्चा में रही हैं। तारा सुतारिया और कियारा आडवाणी के साथ आपके प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?

● अरे ये सब 'जबरिया जोड़ी' वाला ही मामला है। मेरा किसी के साथ कोई रोमांस नहीं चल रहा है। ये सब झूठी अफवाहें हैं, बस इसलिए क्योंकि मैं इनके साथ फिल्में कर रहा हूं।

सवाल : जैकलीन फर्नांडीस से शादी की खबरों पर क्या कहेंगे?

● अरे क्या दोस्त एक दूसरे के घर आ जा नहीं सकते। हम अच्छे दोस्त हैं और काफी समय से हमारी दोस्ती है। प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं है।

सवाल : परिणीति चोपड़ा के साथ आप फिल्म 'हंसी तो फंसी' भी कर चुके हैं। उनमें क्या बदलाव आया है?

● स्वभाव में तो कोई फर्क नहीं है। पहले जैसे ही वे मस्तीखोर और बातूनी हैं। पेशेवर तौर पर उनमें काफी बदलाव आया है। उन्होंने अपने लुक्स पर काफी काम किया है। अब वे पहले से ज्यादा फिट नजर आती हैं। उनकी अदाकारी पहले से अच्छी हो गई है। परिणीति में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं, जो उनको अभिनय के क्षेत्र में काफी आगे ले जाएंगे।

सवाल : 'जबरिया जोड़ी' के अलावा आप और कौन-कौन सी फिल्में कर रहे हैं?

● कुछ स्क्रिप्ट पर बात चल रही हैं। जो फिल्में मैं साइन कर चुका हूं, उनमें से एक का नाम 'मरजावां' है। इस फिल्म के निर्देशक मिलाप जवेरी हैं और अभिनेत्री तारा सुतारिया। मैं एक और फिल्म कर रहा हूं करण जौहर की 'शेरशाह'।

सवाल : आप जिस मुकाम पर हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे?

● यहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, मैं तो क्या बड़े से बड़ा स्टार भी यहां असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। यहां हर शुक्रवार को सितारों की किस्मत बदलती है। अगर आपकी चार फिल्में फ्लॉप हो गईं या आपको आगे फिल्में नहीं मिलीं तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। कोई भी सफल कलाकार फिर से पिछले दिनों में लौटना नहीं चाहता। मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है और मैं भी जिंदगी में और अपने फिल्मी करिअर में आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए असुरक्षा की भावना रहती है। फिर सोचता हूं- 'हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा।'

सवाल : जब आप फिल्म जगत में पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब आपको क्या सबसे बुरा लगता था?

● संघर्ष के दौरान मुझे ऑडिशन देना सबसे ज्यादा खराब लगता था। क्योंकि उस वक्त जो निराशा होती थी और आत्मविश्वास डगमगाता था, वह मुझसे सहन नहीं होता था। ऑडिशन के दौरान कई लोग होते हैं, जो आपको एहसास कराते थे कि आप कोई खास नहीं हो। उसके बाद कैदी की तरह नंबर होते थे और जब आपका नंबर आता तो बोला जाता था कुछ भी बोलो अपना नाम बोलो अपना परिचय दो। ये सब इतना निराशाजनक होता था कि कई बार मुझे लगा कि घर लौट जाऊं।

सवाल : फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने के बाद भी आपमें घमंड नहीं है। इसका राज क्या है?

● मुझे लगता है कि जो लोग मुश्किल से सफलता पाते हैं, वे उसका महत्त्व जानते हैं। सफलता पाना जितना मुश्किल है उससे भी कहीं मुश्किल है उसे संभाले रखना। मैं कभी नहीं भूलता कि मैं कहां से आया हूं और किस परिवार का बेटा हूं। बस यही बातें कभी मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं करने देतीं।

खुशनुमा खामोशी से गुजरता लफ्जों का सफर

रोहित कुमार

चलो कभी बैठ/एक दूसरे के साथ/कुछ और न सही/हमारी चुप ही बांट लें। मौन की/ऊंगली को थामे/चल/खुद अपने पार चलें।

डॉक्टर विभा रे का कविता संग्रह 'लफ्जों को रहने दो...' और 'ख्वाहिशें बरसती हैं' एक ऐसी रचानकार से मिलवाता है जो कहने और सुनने के रिश्ते पर शोध करती दिखती हैं। ये आज के समय की कविताएं हैं जहां अभिव्यक्तियों के साधनों के जंजाल के बीच हर इंसान खुद को अनसुना और अनकहा महसूस कर रहा है। भयानक शोर के इस समय में विभा रे की कविताएं लफ्जों की अहमियत बता रही हैं। उनकी क्षणिकाएं कम शब्दों में इंसान के कहने और सुनने के संबंधों पर शोधपत्र सा है। कहने और सुनने की एक खास राजनीति के समय में वे अपने शोध का निष्कर्ष अपनी पंक्तियों में कुछ यूं निकालती हैं, 'बस एक था/उसका गुनाह/वह बात सच्ची बोलता था'। रे की पंक्तियां बिना किसी बनावट के अभिव्यक्ति के सच को यूं उघारती हैं, 'संशोधित/अधिशोधित/अधूरा/क्या सच सच रहा?'

डॉ. विभा रे

'लफ्जों को रहने दो' की कविताओं में एक ताजगी के साथ उदासी भी है। उदासी शोर में अकेले होते इंसान की जो एक रीतेपन से भरा है और खुद से भी जुदा हो चुका है। रे लफ्जों और खामोशी के बीच चल रही जंग को देखते हुए कहती हैं कि बोलना किस काम का जब सुनने वाले ही बहरे हो गए हैं। अपने दूसरे कविता संग्रह 'ख्वाहिशें बरसती हैं' में विभा रे दर्द के साज पर पीड़ा की जो आवाज निकालती हैं उसमें कुछ खोने के दुख में कुछ बोने का सुख भी है। इस संग्रह में प्रेम का रूहानी रूप कहता है, 'तू है नहीं पर दिखाई देता है/तू कहता कुछ नहीं पर मुझे सुनाई देता है'। प्रेम में होना और उसमें खोने का सबसे सकारात्मक रूप इन पंक्तियों में दिखता है, 'बीती हुई/बातों से/कुछ भी नहीं ढोया/हरपल नया-नया सब बोया। अब मुड़कर देखती हूं तो/सुकून है/कोई मलाल नहीं/बस तेरी तिश्नगी है/और कोई बोझिल ख्याल नहीं'। रे मानती हैं कि जीवन में प्रेम भाव तो सांस जैसा है। वे उस हालात से परेशान हैं जब मुर्दगी को जिंदगी का नाम दे दिया जा रहा है। नियम और कायदों के पहरों के बीच खामोशियां अपनी जुबान बोल ही देती हैं। शक और शिकवों की जालिम चोट से गुफ्तगू कोने में दुबक कर रो लेती है।

विभा रे आम बोल-चाल की भाषा में प्रेम का रूहानी सफर तय कर लेती हैं। प्रेम जैसे मुश्किल भाव को साधारण शब्दों के साथ बरतना मुश्किल काम होता है। गहरे विमर्शों का बोझ उठाए बिना विभा का 'हम-तुम' एक नया नरेटिव बनाता है। इन कविताओं में छुपी हुई स्त्री भी है और अदृश्य पुरुष भी। स्त्री हो या पुरुष प्रेम दोनों करते हैं और प्रेम के कुचले जाने का अहसास दोनों महसूसते हैं। इनकी ज्यादातर कविताएं ऐसी हैं जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों अपनी ख्वाहिशें और अपना यथार्थ ढूंढ लेंगे।

कथक की एक नई पौध

शशिप्रभा तिवारी

नृत्योत्सव

लखनऊ घराने की परिवार परंपरा की नई पौध हैं, कथक नृत्यांगना शिंजिनी कुलकर्णी। वह कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज की नवीन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। शिंजिनी कुलकर्णी संभावना से भरपूर हैं। उन्होंने महाराज जी से कथक की बारीकियों को सीखा है। पिछले दिनों त्रिवेणी कला संगम के सभागार में उन्होंने कथक नृत्य पेश किया। प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़ की ओर से आयोजित 'लीजेंड्स ऑफ टुमॉरो' समारोह में शिंजिनी ने कथक नृत्य पेश किया। उनके अलावा, सितार वादक सौमित्र ठाकुर ने सितार वादन पेश किया।

कथक नृत्यांगना शिंजिनी कुलकर्णी उभरती हुई कलाकार हैं। उन्होंने अपनी प्रस्तुति का आगाज शिव स्तुति 'ओमकार महेश्वराय' से किया। इसमें शिव के रूप को उन्होंने दर्शाया। उन्होंने विलंबित लय में तीन तान में शुद्ध नृत्य पेश किया। इसकी शुरुआत थाट से की। इसमें नायिका के खड़े होने के अंदाज को दिखाया। उपज में पैर का काम पेश किया। वहीं, उन्होंने परण आमद 'ता-धा-तत-तत-थुंगा' में चक्कर, उत्प्लावन और पलटों का प्रयोग किया। उठान में 'दिग-दिग-थेई-ता' के बोल पर पैर और अंगों का संचालन पेश किया। इसके बाद, लड़ी 'तक-धिंन-धिंन-धिंन-ना' के बोलों पर दाहिने पंजे का विशेष काम प्रस्तुत किया। विलंबित लय में उनका धैर्य कायम था।

अगले अंश में नृत्यांगना शिंजिनी ने मध्य लय तीन ताल में नृत्य के अंश पेश किए। इसमें तबला वादक पंडित अनिंद्यो चटर्जी की तिहाई को पेश किया, जो साढ़े तीन मात्रा से शुरू हुई। उन्होंने तेज आमद का अंदाज अपनी पेशकश में शामिल किया। फरमाईशी तिहाई में पैर, पंजे और एड़ी का खास प्रयोग प्रदर्शित किया। पंडित बिरजू महाराज रचित गिनती की तिहाई और परण 'धिताम-तक-थुंग' पर पैर का पेश किया। द्रुत लय में उन्होंने चक्रदार तिहाई और आलिंगन की गत पेश की। पंडित जयकिशन महाराज रचित चक्रदार तिहाई में शिंजिनी ने चौदह चक्करों का प्रयोग किया। निकास की गत में अपने घराने के प्रसिद्ध नर्तक पंडित लच्छू महाराज के अंदाज को निभाने की कोशिश की।

पंडित बिंदादीन महाराज की ठुमरी पर शिंजिनी ने नायिका के भावों को चित्रित किया। इस ठुमरी के बोल थे-'कैसे के जाऊं श्याम रोके डगरिया'। शिंजिनी ने नायक कृष्ण और राधा के भावों को दिखाने की कोशिश की। उनके साथ संगत करने वाले कलाकारों में शामिल थे-तबले पर अणुव्रत चटर्जी और जाकिर हुसैन वारसी, गायक जोहेब हसन और सारंगी पर गुलाम मोहम्मद।

दरअसल, कथक नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज के परिवार परंपरा की प्रतिनिधि होने के चलते कला जगत को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर, वो गंभीरता से कथक के प्रति समर्पित होंगी तो बेहतर होगा। यह सही है कि वह देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित होने वाले समारोह में नृत्य पेश करती हैं। पर, अभी मंच प्रस्तुति के साथ-साथ उन्हें रियाज पर ध्यान देना होगा। क्योंकि, उनका यह सौभाग्य है कि उन्हें कला विरासत में मिली है। इसलिए उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उन्हें और मेहनत करनी चाहिए, ताकि उनकी कला में निखार आए। वैसे भी परफॉर्मिंग आर्ट्स तो करने की विद्या है।

दारा सिंह (19 नवंबर 1928-12 जुलाई, 2012)

दंगल के बाद अनोखे दोस्त बने किंग कांग और दारा

गणेशनंदन तिवारी

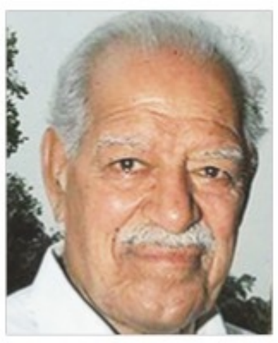

हमारी याद आएगी

दारा सिंह भारतीय सिनेमा और समाज दोनों में शक्ति का प्रतीक रहे हैं। हिंदी सिनेमा-धारावाहिक बनाने वालों को आज तक उनसे बेहतर हनुमान नहीं मिला। 'रुस्तम-ए-हिंद' दारा सिंह किसान, पहलवान, निर्माता, निर्देशक अभिनेता के साथ राज्यसभा सदस्य भी रहे। किंग कांग के साथ उनकी कुश्ती अक्सर चर्चा होती है। मगर रिंग के बाहर दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, जो 1953 से शुरू होकर 1972 तक चली। आज दारा सिंह की सातवीं पुण्यतिथि है तो 15 जुलाई को किंग कांग की 110वीं जयंती।

दारा सिंह ने खूब कुश्तियां लड़ीं। किंग कांग के साथ उनकी कुश्ती की चर्चा आज तक होती है तो इसलिए कि दोनों ने 'किंग कांग' (1962) नामक फिल्म में साथ काम किया था। दोनों एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे मगर उनकी गहरी दोस्ती भी थी, जो लंबे समय तक चली। कहा जाता है कि दारा सिंह को ग्रीक-रोमन स्टाइल की व्यावसायिक कुश्ती के पहलवान के रूप में स्थापित करने में किंग कांग की अहम भूमिका थी और किंग कांग को हिंदी सिनेमा में काम दिलाने में दारा सिंह ने खूब मदद की।

दारा सिंह की लोकप्रियता को भुनाने के लिए बॉलीवुड आगे आया। चूंकि उस दौर में कुश्तियों के बजाय फिल्मों में काम करने के ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए दारा सिंह ने भी प्रस्ताव मिलने पर इस दिशा में पहलकदमी की। कहा जाता है कि 'किंग कांग' में काम करने के लिए उन्होंने हजार रुपए रोज मेहनताना लिया था। दरअसल 40 और 50 के दशक में स्टंट फिल्मों का अपना दर्शक वर्ग तैयार हो गया था और पहलवानों को फिल्मों में खूब मौके मिल रहे थे। वाडिया और नाडिया (निर्देशक होमी वाडिया और अभिनेत्री फियरलेस नाडिया) की एक्शन फिल्में हिट हो रही थीं। सैंडो, जयराज और मास्टर विट्ठल जैसे एक्शन हीरो की फिल्मों में खूब पूछ-परख थी। स्टंट फिल्मों के इसी सफर को दारा सिंह ने आगे बढ़ाया। वह बी ग्रेड एक्शन फिल्मों के स्टार बन गए थे। 16 फिल्मों में उनके साथ हीरोइन मुमताज ने काम किया। दो-तीन फिल्मों में छिटपुट काम करने के बाद दारा सिंह को 1962 में 'किंग कांग' फिल्म का प्रस्ताव मिला था।

गांव के किसान के बेटे दारा सिंह के लिए अभिनय नया काम था। उन्होंने भोलेपन से पूछा कि फिल्म में तो वह काम कर लेंगे लेकिन एक्टिंग कौन करेगा। निर्देशक बाबूभाई मिस्त्री ने उन्हें समझाया कि यह सब वह करवा लेंगे। कैमरामैन-निर्देशक बाबूभाई मिस्त्री मुंबई फिल्मजगत में काले धागे के दम पर फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स पैदा करने के लिए जाने जाते थे। 1961 में उनकी 'संपूर्ण रामायण' हिट हो चुकी थी।

हालांकि दारा सिंह और किंग कांग (15 जुलाई को उनकी 110वीं जयंती है) की कुश्ती 1953 में तमिल फिल्म 'पोन्नी' में दिखाई गई थी। दारा सिंह की हिंदी कमजोर थी, 'किंग कांग' के ज्यादातर गाने हीरोइन कुमकुम के हिस्से में गए। दारा सिंह के संवाद डब करवाए गए। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद दारा सिंह और किंग कांग गहरे मित्र बन गए। हंगरी में पैदा हुए किंग कांग का असली नाम एमिल जाजा था और धरमूचक, पंजाब में पैदा हुए दारा सिंह का दीदार सिंह रंधावा। एक तरह से दारा सिंह ने पहले तो रिंग में किंग कांग को हराया और बाद में उन्हें अपना मित्र बनाया।

दोनों ने साथ में 'किंग कांग', 'फौलाद', 'आया तूफान', 'किंग ऑफ कार्निवल', 'सैमसन', 'हर्क्युलस', 'टार्जन एंड किंग कांग', 'संग्राम', 'हम सब उस्ताद हैं' जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। बाद में दारा सिंह ने पंजाबी फिल्मों पर ध्यान देना शुरू किया। फिल्मवालों से अच्छे रिश्ते होने के कारण वह 'मेले मित्रां दे' में किंग कांग के अलावा पृथ्वीराज कपूर को लेकर आए। 'नानक दुखिया सब संसार' में बलराज साहनी, 'धन्ना भगत' में फिरोज खान, 'दुख भंजन तेरा नाम' में उनके कहने पर धर्मेंद्र और सुनील दत्त पंजाबी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। राज कपूर के साथ उन्होंने 1970 में 'मेरा नाम जोकर' में रिंग मास्टर की भूमिका की थी, तो उनकी पोती करीना कपूर के साथ 'जब बी मेट' 2007 में दारजी बने।

खबर कोना

अक्षय का 'मिशन मंगल' कल्पनाओं से परे

अभिनेता अक्षय कुमार ने गुरुवार को कहा कि फिल्म 'मिशन मंगल' कल्पना और जिज्ञासा का मेल है। फिल्म में अक्षय कुमार वैज्ञानिक राकेश धवन का रोल निभाते दिखेंगे। वहीं फिल्म में तापसी पन्नू, विद्या बालन, शरमन जोशी, कीर्ति कुल्हारी, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन भी अहम रोल में नजर आएंगे। 'मिशन मंगल' को अंतरिक्ष की कहानी वाली भारत की पहली फिल्म बताया जा रहा है जो मंगल मिशन में शामिल वैज्ञानिकों की कहानी पर आधारित है। अक्षय ने कहा कि उन्होंने यह फिल्म अपनी बेटी नितारा और उसकी उम्र के बच्चों के लिए चुना ताकि उन्हे भारत के दूसरे ग्रह पर पहुंचने के अभियान की सच्ची कहानी से अवगत कराया जा सके। वे फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित है और उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म हॉलीवुड की ' स्टार ट्रैक' 'स्टार वार्स' और 'ग्रैविटी' फिल्म जैसी होगी। बता दें कि फिल्म मिशन मंगल का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। 'मिशन मंगल' को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में 15 अगस्त को रिलीज होगी।

अपने मन की बात सुन कर खुश हैं आयुष्मान

विक्की डोनर फेम आयुष्मान खुराना की फिल्में हमेशा से ही कुछ हट कर होती हैं। उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'आर्टिकल 15' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की सफलता को लेकर आयुष्मान इन दिनों बेहद खुश हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वह खुश हैं कि उन्होंने निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म 'आर्टिकल 15' में काम करने का निर्णय लिया। क्योंकि इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि सिनेमा का विषय ही सर्वोपरि होता है। आयुष्मान ने कहा कि 'आर्टिकल 15' उनके लिए एक नया अनुभव था। वह खुश हैं कि उन्होंने अपने मन की बात सुनी। अभिनेता ने कहा, ' जिस तरह लोगों ने इसे पसंद किया, मैं उससे बहुत खुश हूं। मुझे सभी तबके के लोगों से कई संदेश मिले और मैं बस यह कह सकता हूं कि आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा समर्थन है। मैं आप लोगों से मिल रही प्रतिक्रिया से काफी खुश हूं।' फिल्म निर्देशक सिन्हा की यह फिल्म संविधान के 'अनुच्छेद 15' पर आधारित है।

अनुभव सिन्हा की अगली फिल्म के लिए तापसी फाइनल

फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा और अभिनेत्री तापसी पन्नू एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद तापसी ने सोशल मीडिया पर दी। तापसी ने ट्विटर पर निर्देशक के साथ खाना खाते हुए एक तस्वीर साझा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ' अच्छे खाने के साथ एक नई शुरुआत। यह विषय मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं कई साल से यह करना चाहती थी। यह और भी बेहतर हो जाता है जब इसे 'मैन ऑफ द मोमेंट' अनुभव सिन्हा के साथ करने का मौका मिले।' फिल्म की रिलीज तारीख की ओर संकेत करते हुए तापसी ने लिखा, ' आठ मार्च 2020 यकीनन देखने वाला दिन होगा।' इससे पहले अनुभव सिन्हा की फिल्म 'मुल्क' में तापसी ने काम किया था।

आजकल स्टार कुछ ही हैं कलाकार ज्यादा हैं : दिलजीत

फिल्म 'उड़ता पंजाब' के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ ने कहा कि विभिन्न मंचों से हर दिन उभरती नई प्रतिभाओं के कारण फिल्म उद्योग का हिसाब-किताब पूरी तरह बदल गया है। स्टार सिस्टम खत्म हो रहा है और कलाकारों के लिए जगह बन रही है। दिलजीत ने कहा कि आज 'स्टार' की परिभाषा बदल गई है। उन्होंने कहा, 'घर पर मुझे कोई भी स्टार की तरह नहीं देखता है। मैं कम से कम मेरी मां के बारे में जानता हूं जो मुझे ऐसे नहीं देखती हैं। दूसरों के बारे में नहीं जानता। लोग आपको एक कलाकार के तौर पर पसंद करेंगे, वे इसके लिए आपका सम्मान करेंगे न कि इसलिए कि आप स्टार हैं।' दिलजीत दोसांझ ने कहा, 'आज कुछ ही स्टार हैं, कलाकार ज्यादा हैं और यह बहुत अच्छी बात है।'

संपत्तियों की कुर्की पर माल्या को राहत नहीं

पेज 1 का बाकी

महीने दायर अपील को खारिज कर दिया।

माल्या ने धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था। माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो।

अदालत ने हालांकि कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आती। इस साल पांच जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी। यह याचिका हाई कोर्ट में लंबित है।

इस्तीफों की जांच करूंगा

पेज 1 का बाकी

इन इस्तीफों की जांच करूंगा और यह पता लगाऊंगा कि क्या ये वास्तविक हैं।'

इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को उनके इस्तीफों पर आज ही फैसला लेना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों से कहा है कि वे आज शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों। इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया था।

हालांकि अदालत के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके और वक्त की मांग की। उनकी याचिका में कहा गया कि उनका संवैधानिक कर्तव्य और विधानसभा नियम के मुताबिक वो ये सत्यापित करने के लिए बाध्य हैं कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक या बिना डर के हैं या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वक्त नहीं दिया और उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने सुबह आदेश जारी कर दिया है। स्पीकर की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी याचिका शुक्रवार को मुख्य मामले के साथ सुन ली जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप पहले रजिस्ट्री से संपर्क करें। इसके साथ ही कहा कि हम कल करेंगे सुनवाई।

इसके बाद मुंबई से सभी विधायक बंगलुरु पहुंचे और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच स्पीकर से मिले। मुलाकात के बाद स्पीकर रमेश ने मीडिया से कहा वह सत्तारूढ़ गठबंधन के बागी विधायकों के इस्तीफे के 'स्वैच्छिक और वास्तविक' होने की जांच करेंगे। कर्नाटक विधानसभा नियम के अनुसार इस्तीफे को 'सही प्रारूप' में होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, पिछले सप्ताह मेरे कार्यालय में जो 13 पत्र आए थे, उनमें से आठ सही प्रारूप में नहीं थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह न तो मौजूदा राजनीतिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं।

घटनाक्रमों के लेकर स्पीकर ने कहा, 'छह जुलाई को मैं दोपहर एक बजकर 30 मिनट तक अपने कक्ष में था। विधायक मुझसे मिलने दो बजे आए। किसी भी विधायक ने मिलने का समय नहीं मांगा था। मुझसे पूर्व अनुमति भी नहीं ली थी।' रमेश कुमार ने कहा कि विधायकों ने मुझसे कोई बात नहीं की और वे सीधा राज्यपाल के पास दौड़ गए। क्या यह दुरुपयोग नहीं है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया। मेरा दायित्व देश के संविधान और इस राज्य के लोगों के प्रति है। मैं देरी कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस मिट्टी से प्यार करता हूं। मुझे जल्दबाजी में काम नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे फैसला लेने के लिए कहा है। मैंने सारी चीजों की वीडियोग्राफी की है और मैं उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की धमकी और मुंबई जाने के बारे में कहा कि बागी विधायकों ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी और वे डर कर मुंबई गए थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उन्हें मुझसे संपर्क करना चाहिए था, मैं उन्हें सुरक्षा दिलाता। केवल तीन कार्यदिवस ही बीते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई भूकंप आया हो।

दरअसल

राहुल ने लोकसभा में उठाया किसानों की आत्महत्या का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश में अन्नदाताओं की स्थिति 'दयनीय' है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से जो वादे किए थे उन्हें पूरे करना चाहिए। इस पर रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की इस स्थिति के लिए लंबे समय तक रहीं सरकारें जिम्मेदार हैं और नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में कर्ज की अदायगी नहीं कर पाने के कारण बुधवार को एक किसान ने खुदकुशी कर ली। केरल में पिछले डेढ़ साल में 18 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से कर्ज वसूली के लिए नोटिए दिए जा रहे हैं। केरल की सरकार ने कर्ज वसूली पर रोक लगाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बारे में रिजर्व बैंक से नहीं कहा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के माफ किए, लेकिन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गांधी ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि बजट में किसानों को राहत देने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच साल पहले किसानों से वादे किए थे, अब सरकार को उन वादों को पूरा करना चाहिए।

इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की जो हालत है वो पिछले कुछ साल में नहीं हुई। इस हालत के लिए लंबे समय तक सरकारों में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले पहले की सरकारों के दौरान आए। हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने सहित कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से किसानों के हित में कई कदम उठाए गए जिनमें सभी किसानों को सालाना 6000 रुपए देने का कदम शामिल है। सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों की खुदकुशी के मामलों में कमी आई है। इसके बाद सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

5जी परीक्षण में भागीदारी पर फैसला सुरक्षा, आर्थिक हितों देखकर : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

सरकार चीन की दूरसंचार कंपनी हुवावेई के 5जी परीक्षण में भागीदारी पर फैसला देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों के आधार पर करेगी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कई कंपनियों ने 5जी सेवाओं के परीक्षण में भाग लेने में रुचि दिखाई है। इस मामले पर गौर करने के लिए गठित समिति ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों और विभिन्न अंशधारकों से जानकारी ली है। कुमार ने कहा, 'हम जो भी निर्णय करेंगे वह आर्थिक और सुरक्षा हित पर आधारित होगा। ऐसे में इस फैसले में जो भी चीजें जरूरी हैं, समिति उस पर गौर करेगी।' अमेरिका ने सुरक्षा चिंता की वजह से हुवावेई पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अमेरिका अन्य देशों पर भी चीन की दूरसंचार कंपनी के परिचालन पर अंकुश का दबाव बना रहा है। भारत ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि वह हुवावेई को 5जी परीक्षण में भाग लेने की अनुमति देगा या नहीं।

'मुझे मेरे एमएलए पापा से बचाओ'

पेज1 का बाकी

नहीं थे। साक्षी ब्राह्मण हैं जबकि उनके पति अजितेश दलित हैं।

इससे पहले साक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा, 'इस वीडियो के द्वारा मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि मुझे या अभी या उनके परिवार को कुछ होता है तो उसके मेरे पापा, विकी भरतौल और राजीव राणा जिम्मेदार होंगे। खास तौर से राजीव राणा जो कि अपनी पूरी टीम के साथ यहां आया हुआ है और मेरा पीछा कर रहा है। यदि उसकी और पति की हत्या की गई तो मैं ऐसा कुछ करके मरूंगी कि सब जेल जाएंगे।' साक्षी (23) और अजितेश (29) का आरोप है कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण उन्हें साक्षी के पिता, भाइयों और उनके समर्थकों की तरफ से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। साक्षी ने वायरल वीडियो के माध्यम से अपने पिता से कहा है कि उसे चैन से रहने दिया जाए और वे चैन से राजनीति करें।

इससे पहले, गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी शादी से साक्षी के पिता नाखुश हैं क्योंकि साक्षी ब्राह्मण है, जबकि अजितेश दलित है और इसलिए साक्षी के पिता से उनकी जान को खतरा है। याचियों ने अदालत से गुहार लगाई है कि पुलिस या राजेश मिश्रा उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल न डालें क्योंकि दोनों ही बालिग हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है।

उस बीच, उत्तर प्रदेश के बरेली से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा विधायक पर उनकी ही बेटी द्वारा जान का खतरा बताए जाने के बाद उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के काम से व्यस्त थे और उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। प्रदेश के बरेली जिले की बिथरी चैनपुर सीट से भाजपा विधायक राजेश कुमार मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मीडिया में उनके खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, वह गलत है ।

उन्होंने कहा, 'मेरी पुत्री बालिग है और उसे अपने फैसले लेने का हक है। ना तो मैं, ना मेरा कोई आदमी या ना ही परिवार के किसी सदस्य ने किसी को भी जान से मारने की धमकी नहीं दी है। मैं और मेरे परिवार के लोग व्यस्त हैं और मैं अपने क्षेत्र में जनता का काम कर रहा हूं और इस समय हम भाजपा का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। मेरी ओर से किसी को कोई खतरा नहीं है।

विधायक की बेटी साक्षी ने दलित युवक अजितेश कुमार के साथ वैदिक हिन्दू रीति रिवाज से शादी करने का वीडियो बुधवार को वायरल किया था। उसके बाद जारी एक अन्य वीडियो में उसने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार की कि उसके पिता और विधायक राजेश मिश्रा, भाई विक्की और पिता के एक सहयोगी से जान का खतरा है और ऐसे में उसे और उसके पति को सुरक्षा दी जाए। साक्षी ने बरेली के सांसद, विधायकों और मंत्रियों से अपील है कि वे उसके पिता, भाई और पिता के सहयोगी की मदद न करें ।

बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक आरके पांडेय ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार की है और यह मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि साक्षी और अजितेश को सुरक्षा दी जाए। अधिकारी ने हालांकि बताया कि दंपति ने अभी तक यह नहीं सूचित किया है कि उनका पता ठिकाना कहां है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कहां भेजी जाए।

'अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे'

बंगलुरू, 11 जुलाई एजंसी।

गुरुवार को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंत्रिमंडल की बैठक में भरोसा जताया गया कि सरकार बची रहेगी। बैठक में तय हुआ कि अगर विपक्षी भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो वह उसका सामना करेंगे। बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री कृष्ण बी गौड़ा ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का यह छठा या सातवां प्रयास है।

भाजपा लगातार हमले कर रही है। आज तक हमने उनके सभी हमलों का सामना किया है और अड़े रहे हैं। हम मानते हैं कि इस बार की स्थिति पूर्ववर्ती प्रयासों से अधिक गंभीर है। हमने साहस से और एकजुट होकर सामना करने का संकल्प लिया है।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार विश्वासमत हासिल करेगी? उन्होंने कहा कि उन्हें (भाजपा को) अविश्वास प्रस्ताव लाने दीजिए, हम उसका सामना करेंगे।

इंदिरा जयसिंह के घर और पति के दफ्तर पर सीबीआइ छापे

पेज 1 का बाकी

'लॉयर्स कलेक्टिव' के अध्यक्ष ग्रोवर, संगठन के कई पदाधिकारियों के अलावा कई अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 'लॉयर्स कलेक्टिव' ने सीबीआइ के सभी आरोपों को खारिज किया है।अधिकारियों ने बताया कि जयसिंह के निजामुद्दीन स्थित आवास और कार्यालय, एनजीओ के जंगपुरा कार्यालय और मुंबई स्थित एक कार्यालय में सुबह पांच बजे से कुल पांच जगहों पर छापेमारी की गई। सीबीआइ ने गृह मंत्रालय (एमएचए) की शिकायत के आधार पर ग्रोवर और एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि समूह द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता के इस्तेमाल में कई विसंगतियां हैं। पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह का नाम प्राथमिकी में आरोपियों की सूची में नहीं है, लेकिन मंत्रालय की शिकायत में उनकी कथित भूमिका का जिक्र है। गृह मंत्रालय की शिकायत प्राथमिकी का हिस्सा बन चुकी है। उसके अनुसार, संगठन ने विदेश से 2006-07 और 2014-15 के बीच 32.39 करोड़ रुपए की मदद हासिल की थी, जिसमें अनियमितताएं बरती गईं और यह विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन था। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा जानकारी और एनजीओ के अभिलेखों की छानबीन के आधार पर एफसीआरए 2010 के विभिन्न प्रावधानों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए गए। 19 से 23 जनवरी, 2016 के बीच एनजीओ के खातों और अभिलेखों की पुस्तकों का निरीक्षण किया गया।

छापों के बाद जयसिंह, ग्रोवर और 'लॉयर्स कलेक्टिव' ने एक बयान जारी करते हुए धन के दुरुपयोग के सभी आरोपों को खारिज किया। बयान में कहा गया कि जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया का मुद्दा एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते उठाया था। इसे देखते हुए लगता है कि यह बदले की कार्रवाई है। आनंद ग्रोवर ने कहा कि आरोप गलत हैं। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हम मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ही वह निशाने पर हैं।

इस छापेमारी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस छापेमारी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन जो लोग कानून को बचाने में अपना जीवन खपा रहे हैं, उन्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, 'इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के आवास पर सीबीआइ का छापा प्रतिशोध का एक और उदाहरण है। सरकार नागरिकों को सता रही है और विरोध की आवाज को दबा रही है। यह एक सुपर इमरजंसी की स्थिति है।

ग्रीन कार्ड पर लगी सात फीसद की सीमा हटी

पेज 1 का बाकी

चाहते हैं। भारतीय आइटी पेशेवर, जिनमें से ज्यादातर उच्च कौशल वाले हैं, एच-1 बी कार्य वीजा पर अमेरिका आए हैं। वे मौजूदा आव्रजन प्रणाली से सबसे ज्यादातर परेशान रहे हैं। 'फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019' या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हो गया। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एक साल में अमेरिका द्वारा परिवार आधारित प्रवासी वीजा दिए जाने की संख्या को सीमित कर दिया गया। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक किसी देश को ऐसे वीजा केवल सात फीसद तक दिए जा सकते हैं। नए विधेयक में इस सीमा को सात फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया गया है। इसी तरह इसमें हर देश को रोजगार आधारित प्रवासी वीजा केवल सात फीसद दिए जाने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।

इस विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की जरूरत होगी जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है। कंसास सिटी स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ली घृणा अपराध में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला की पत्नी सुनयना दुमला ने इस विधेयक की वकालत करते हुए कहा कि यह महत्त्वपूर्ण दिन है और ऐसा क्षण है जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दुमला ने बुधवार को बयान में कहा, 'मेरे पति की हत्या के बाद मैंने देश में रहने का दर्जा खो दिया और आव्रजन के संघर्ष ने मेरे दुख को और बढ़ा दिया। आज एचआर 1044 के पारित होने से मुझे आखिरकार शांति मिली और कोई शब्द मेरी खुशी बयां नहीं कर सकता है।

पूर्व भाजपा सांसद और छह अन्य को उम्रकैद

पेज 1 का बाकी

जेठवा की हत्या कर दी गई थी।

विशेष सीबीआइ न्यायाधीश के एम दवे ने सोलंकी और उसके भतीजे पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसका भतीजा भी मामले में आरोपी है। अदालत ने सोलंकी और उसके भतीजे शिवा सोलंकी को हत्या और साजिश रचने का दोषी ठहराया है। सोलंकी 2009 से 2014 तक जूनागढ़ के सांसद रहे हैं।

मामले के अन्य दोषियों में शैलेश पांड्या, बहादुरसिह वढेर, पंचन जी देसाई, संजय चौहान और उदाजी ठाकोर शामिल हैं। अदालत ने बीते शनिवार का सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था।

पेशे से वकील जेठवा की गिर वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास अवैध खनन का आरटीआइ आवेदनों के जरिए खुलासा करने को लेकर गोली मार कर हत्या कर दी गई। इन खनन गतिविधियों में सोलंकी शामिल था। साल 2010 में जेठवा ने गिर अभयारण्य में और उसके आसपास अवैध खनन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। सोलंकी और उसके भतीजे को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया और जेठवा ने अवैध खनन में उनकी संलिप्तता को दिखाने वाले कई दस्तावेज पेश किए थे।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ही जेठवा की 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाई कोर्ट के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में अमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की और दीनू सोलंकी को क्लीन चिट दे दी थी।

जांच पर असंतोष जताते हुए हाई कोर्ट ने साल 2013 में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंप दिया।

सीबीआइ ने नवंबर 2013 में सोलंकी और छह अन्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। मई 2016 में उनके खिलाफ हत्या और आपराधिक षडयंत्र के आरोप तय किए गए।

इसके बाद कार्यकर्ता के पिता भिखाभाई जेठवा फिर से मामला चलाने के लिए पहुंचे। अदालत ने 2017 में नए सिरे से मामला चलाने के आदेश दिए। आरटीआइ कार्यकर्ता के पिता भिखाभाई जेठवा ने अदालत के फैसले के बाद कहा, 'हमारी न्यायपालिका समय लेती है लेकिन उसने आखिरकार हमारे परिवार को न्याय प्रदान किया... यहां तक कि सोलंकी जैसे अपराधी से भी न्याय किया।

मध्यस्थता समिति हफ्ते भर में सौंपे स्थिति रिपोर्ट

पेज 1 का बाकी

रिपोर्ट के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मध्यस्थता कार्यवाही को अब समाप्त करने का आदेश दिया जाना चाहिए तो न्यायालय ऐसा करेगा और उसके समक्ष लंबित अपीलों पर 25 जुलाई से सुनवाई का आदेश दे सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो ये सुनवाई दैनिक आधार पर होगी। पीठ ने इस विवाद में मूल वादकारियों में से एक के उत्तराधिकारी गोपाल सिंह विशारद के आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस आवेदन में मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने और इस विवाद पर न्यायिक निर्णय का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया गया है कि इसमें कुछ खास नहीं हो रहा है।

मध्यस्थता समिति के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मध्यस्थता विशेषज्ञ श्रीराम पांचू शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने इस समिति की पहली रिपोर्ट के मद्देनजर उसे मध्यस्थता का काम 15 अगस्त तक पूरा करने का समय दिया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट कहा था कि वह इस विवाद के सर्वमान्य समाधान के बारे में आशान्वित है।

इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान विशारद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ने कहा कि इस प्रकार के विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना संभवतः बहुत ही मुश्किल है और उन्होंने इस जटिल विवाद पर न्यायिक फैसला करने का अनुरोध किया। 'राम लला विराजमान' की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने परासरन के कथन का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने तो इस मामले को मध्यस्थता समिति को सौंपने का पहले ही विरोध किया था।

इसके विपरीत, एक मुसलिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मध्यस्थता प्रक्रिया खत्म करने के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि इसे जारी रहने देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इसे (आवेदन) उन्हें डराने के लिए दाखिल किया गया है। धवन ने कहा कि मैं नहीं समझता कि इस समय समिति के काम करने के तरीके की आलोचना करना उचित है। हमारी समझ है कि समिति ने लोगों से संयुक्त रूप से और अलग अलग मुलाकात की है। इस पर पीठ ने कहा, 'हम मध्यस्थता समिति से इस बारे में रिपोर्ट मंगाएंगे।' इस पर धवन ने कहा, 'न्यायालय संकेत दे रहा है कि वह इस आवेदन पर आदेश पारित करेगा। दूसरे शब्दों में यह अपना 10 मई का आदेश वापस लेगा। सिर्फ इसलिए की एक पक्षकार मध्यस्थता से तंग आ गया है, वे सारी प्रक्रिया खत्म करने के लिए आपके पास नहीं आ सकते।' उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर मध्यस्थता चल रही है। धवन ने कहा, 'कृपया इस पर (आवेदन) पर नोटिस भी जारी नहीं करें। इसका मकसद क्या है? हमें डराना?' हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की, 'हमने समिति का गठन किया है। हम उससे रिपोर्ट मांगने के हकदार हैं। हम अपने आदेश के अनुसार ही चलेंगे। हमारे मध्यस्थता करने वालों को बोलने दीजिए।' पीठ ने कहा कि चूंकि उसने ही 26 फरवरी को पक्षकारों को रिकार्ड के अनुवाद के सही होने का सत्यापन करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था लेकिन पक्षकारों का इस बारे में रुख अभी तक न्यायालय के समक्ष रखा नहीं गया है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस विवाद की मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या से करीब सात किलोमीटर दूर फैजाबाद में संपन्न होगी और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए सारे बंदोबस्त करने का आदेश दिया था ताकि यह कार्यवाही तत्काल शुरू हो सके। पीठ को पहले बताया गया था कि निर्मोही अखाड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़कर हिंदू संस्थाओं ने पीठ को बताया था कि वे मध्यस्थता के सुझाव के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन मुसलिम संगठनों इसका समर्थन किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दायर की गई थीं।

गोवा के दस कांग्रेसी विधायक भाजपा में शामिल

पेज 1 का बाकी

नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आए हैं।

दूसरी ओर, गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता चन्द्रकांत कावलेकर सहित अपने दस विधायकों के भाजपा में शामिल होने के सियासी घटनाक्रम से हैरान, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या किया जाना करार दिया है। पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा पर अपने विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि सत्ता पक्ष करोड़ों रुपए की पेशकश कर विपक्षी विधायकों को अपने पाले में करने में जुटा है।

कर्नाटक के मोर्चे पर भाजपा से दो-दो हाथ करने में जुटे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए गोवा का सियासी घटनाक्रम बेहद चौंकाने वाला रहा। इस तटीय प्रदेश में दो तिहाई से ज्यादा विधायकों के पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने की खबर से स्तब्ध कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता व सूबे के प्रभारी ए चेल्लाकुमार को बुधवार को ही गोवा रवाना कर दिया। उन्होंने पणजी में पार्टी के बाकी पांच विधायकों से मुलाकात की और उनसे विचार-विमर्श कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल जल्दी ही अपने नए नेता का चुनाव करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान से परामर्श लेने के बाद पांचों विधायक अपना नेता चुनने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने गोवा में बुधवार के राजनीतिक घटनाक्रम को भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या किया जाना करार दिया।

चेल्लाकुमार कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा करोड़ों रुपये की पेशकश कर विपक्षी दलों के विधायकों को अपनी ओर खींच रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा करोड़ों रुपए की पेशकश कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों से बातचीत के बाद कांग्रेस 15 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए अपनी रणनीति तय करेगी।

उधर, दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस विधायकों के भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रामद सावंत ने कहा कि मैं सभी दस विधायकों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करुंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या विधायकों के लिए सहयोगी दलों से किसी मंत्री को हटाया जाएगा, सावंत ने कहा-जब तक मैं नेताओं से नहीं मिल लेता, तब तक मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा।

चंद्रकांत कावलेकर के साथ जो विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं वह अतानासियो मोन्सेराते, जेनिफर मोन्सेराते, फ्रांसिस सिल्वेरा, फिलिप नेरी रॉड्रिग्स, सी डियाज, विल्फ्रेड डीसा, नीलकांत हलारंकार, इसिडोर फर्नांडीज और एंटोनियो फर्नांडीज हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पास गोवा फॉरवर्ड पार्टी के तीन विधायकों और तीन निर्दलीयों का समर्थन है। इसके अलावा, सदन में कांग्रेस के पांच विधायक और राकांपा तथा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के एक-एक विधायक हैं।

सेना ने पेश की इंसानियत की मिसाल

पेज 1 का बाकी

सौंपने की अपील की थी। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, बीते दिनों पाकिस्तान के गिलगित इलाके का यह बच्चा किशनगंगा नदी में बहकर जम्मू-कश्मीर के गुरेज में पहुंच गया था। गुरेज इलाके में अचौरा गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चे के शव को देखा और गश्त कर रहे सेना के जवानों को इसकी जानकारी दी। भारतीय सेना के जवानों ने शव बाहर निकाला और उसकी पहचान बतौर पाकिस्तानी नागरिक की गई।

नदी के बहाव की दिशा और बच्चे के हुलिए को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि बच्चा पाकिस्तान मूल का है और उसका शव नदी में बहकर भारतीय सीमा में आ गया। भारतीय सेना ने मामले की नजाकत समझते हुए तत्काल हॉट लाइन से इसकी जानकारी पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को दी। बच्चे की पहचान पुख्ता करने के बाद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने बच्चे से जुड़ी जानकारी भारतीय सेना से साझा की।

जानकारी मिली कि वह बच्चा मूल रूप से पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट इलाके के अंतर्गत आने वाले मिनिमर्ग इलाके का रहने वाला था।

गिलगिट निवासी बच्चे के परिजनों ने सोशल मीडिया पर भी अपील की कि उनके बच्चे का शव सौंप दिया जाए, जिसके बाद भारतीय सेना ने यह फैसला किया कि शव को तत्काल सौंपा जाए। प्रोटोकॉल की औपचारिकता में न पड़ा जाए। भारतीय सेना ने तय प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए मानवीयता के आधार पर आठ साल के बच्चे का शव पाकिस्तान को सौंप दिया।

भागलपुर : ट्रक से कुचल कर आठ की मौत, चालक फरार

भागलपुर, 11 जुलाई (जनसत्ता)।

जिले में बुधवार देर रात शादी की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई, जब एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने तीन बारातियों समेत आठ लोगों को कुचल दिया। सात की मौके पर ही मौत हो गई। एक छोटी लड़की मुस्कान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पांच लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। उनका इलाज लखीसराय अस्पताल में किया जा रहा है। यह वाकया भागलपुर पुलिस जोन के लखीसराय के हलसी गांव के मांझी टोला का है। घटना के बाद गुस्से से गांव वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क की आवाजाही बंद कर दी। चालक मौका पाकर ट्रक छोड़ फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई कर रही है।

आइजी विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घटना को दुखद बताया। साथ ही पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपए बतौर सहायता देने का एलान किया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपए बतौर सहायता देने का किया एलान।

दरअसल, गांव के दुखी मांझी की बेटी की शादी बुधवार रात थी। बारात लखीसराय गढ़ी विशनपुर गांव से देर रात ही आई थी। बारात दरवाजे पर हंसी-खुशी आने के बाद बारातियों को लड़की पक्ष वाले भोजन कराने बुला रहे थे। कुछ सड़क पार कर रहे थे। कुछ लोग बगल झोपड़ी में बैठे थे। तभी लखीसराय की ओर से आया बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक ने कुचलते हुए 11 हजार वोल्ट वाले बिजली के खंभे में जोरदार धक्का मार दिया। नतीजतन, तीन बिजली के खंभे भी टूट कर सड़क पर गिर गए।

एएसपी मनीष कुमार और एसडीएम मुरली प्रसाद के मुताबिक मृतकों में तीन बाराती और पांच लड़की पक्ष के लोग हैं। जख्मियों में कारू मांझी, शंकर मांझी, ऋतिक कुमार की हालत ज्यादा नाजुक है। इनका इलाज लखीसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद गांव वालों ने लखीसराय-सिकंदरा सड़क पर बैठ जाम कर दिया। काफी समझाने के बाद तड़के आवाजाही शुरू हो सकी। पुलिस लाशों का पोस्टमार्टम कराने गुरुवार को अस्पताल भेज दिया और ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए डीटीओ दफ्तर से ट्रक के मालिक और ड्राइवर की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।

एसआरएफ लिमिटेड

CIN: L18101DL1970PLC005197

पंजी. कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नं. 236 एवं 237, दूसरा तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज 1 एक्स्टें., दिल्ली-110091
कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003,
टेली.: +91-124-4354400, फैक्सः +11-124-4354500,
ई-मेलः info@srf.com , वेबसाईटः www.srf.com

वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 48वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को 3.30 बजे अप. में लक्ष्मीपत सिंघानिया ऑडिटोरियम, पीएचडी हाउस, 4/2 सिरी इंस्टीच्युएशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016, में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना तिथि 25 जून,2019 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति पर्ची इलेक्ट्रानिक पद्धति से ऐसे सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी'ज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट कार्वी फिनटेक प्रा.लि./ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत हैं। इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर अन्य सभी शेयरधारकों को भेजी गई हैं। इस सूचना को सभी सदस्यों को प्रेषित/ ई-मेल कर दिया गया है तथा इस प्रक्रिया को 10 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए अपनी प्रॉक्सी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.srf.com तथा कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा-संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 30 जुलाई, 2019 से सोमवार 5 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 48वीं वार्षिक साधारण सभा में अपना मतदान करने की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा सूचना में वर्णित व्यवसायों को कार्वी फिनटेक प्रा.लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

सदस्य गण निम्नलिखित का ध्यान रखें:

क. रिमोट ई-वोटिंग निर्देश वार्षिक साधारण सभा की सूचना का एक अभिन्न अंग है जो कंपनी की वेबसाईट www.srf.com तथा कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

ख. सदस्यों का रिमोट ई-मताधिकार कट-ऑफ तिथि (अर्थात अभिलिखित तिथि) जो सोमवार, 29 जुलाई, 2019 है, को कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि (अर्थात सोमवार, 29 जुलाई, 2019) को शेयर धारित करते हों, वे कार्वी फिनटेक प्रा.लि. से संपर्क कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ग. रिमोट ई-वोटिंग पोर्टल शुक्रवार, 2 अगस्त 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में खुलेगी तथा शनिवार, 4 अगस्त, 2019 को 5 बजे सायं में बंद होगी। उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए श्री बी. बैंकट किशोर- सहायक प्रबंधक को ई-मेल आईडी evoting@karvy.com, टेलीफोन नं. 040-44671622 पर संबोधित किया जा सकता है।

सभा में मत पत्र के द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग से अपना मतदान नहीं किया हो, वे 'मत पत्र' के द्वारा सभा में मतदान करने के लिए सक्षम होंगे। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर देने के बावजूद भी सदस्य 48वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाईट (http://www.srf.com) तथा कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर अध्यक्ष या लिखित में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद प्रकाशित किया जाएगा। इन परिणामों को तत्काल बीएसई तथा एनएसई को अग्रसारित किया जाएगा।

एसआरएफ लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रजत लखनपाल
वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं
कंपनी सचिव

तिथिः 11 जुलाई, 2019
स्थानः गुरुग्राम

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ए-6, सतसंग विहार मार्ग, कुतुब इन्सटीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110067 फोनः +91-11-40770100, 26963571, 26964733, फैक्सः (+91) -11-26856936
वेबसाइटः https://newgensoft.com ई-मेलः investors@newgensoft.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन, दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताओं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक, बुधवार 24 जुलाई, 2019 को आयोजित की जानी निर्धारित हैं, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ 30 जून, 2019 को समाप्त कंपनी के पहली तिमाही के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://newgensoft.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
ह./-
अमन मौर्या
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 11 जुलाई, 2019
स्थान : नई दिल्ली

INDIAN OVERSEAS BANK
(A Government of India Undertaking)
इण्डियन ओवरसीज बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

शाखा-बी-194 मैन मार्केट कमला नगर, आगरा

डिमांड नोटिस

सरफेसी अधिनियम 13(2) की धारा 13 की उप धारा (2) के अन्तर्गत ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता के लिए मांग सूचना।

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रर्वतन 2002 (सरफेसी अधिनियम) में नियम 13(2) के साथ नियम 3(1) के अन्तर्गत सूचना।

1. जबकि, प्राधिकृत अधिकारी इण्डियन ओवरसीज बैंक के द्वारा सरफेसी अधिनियम एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के तहत नियम 13(2) के अन्तर्गत ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को एक मांग सूचना जारी की गई थी जिसमें सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर नोटिस में उल्लिखित धनराशि का भुगतान करने को कहा गया था।
2. जिसमें से कुछ नोटिस उपरोक्त पते पर रिसीव न होने के कारण डाक विभाग द्वारा बैंक को वापस कर दी गई थी इसलिए बैंक इस मांग सूचना को अत्यधिक सावधानी के साथ प्रभावशाली ढ़ग से प्रकाशित कर रहा है। **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस नोटिस को ऋणि/बंधककर्ता/जमानतकर्ता के अन्तिम ज्ञात पते के परिसर में चिपका दिया गया है।** उपरोक्त अधिनियम के अनुसार उपरोक्त मांग सूचना की प्रति प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है आदि श्रेणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता इनको प्राप्त करने के इच्छुक है तो प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्यदिवस के कार्यालय समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं।
3. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में ऋणि/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को एक बार पुनः यह सूचना दी जाती है कि इस मांग सूचना के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित धनराशि एवं उन पर लगने वाले ब्याज तथा अन्य खर्चो सहित इण्डियन ओवरसीज बैंक को भुगतान कर दें बैंक के बकाया धनराशि के भुगतान करने के सापेक्ष निम्नलिखित सम्पत्तियाँ इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास प्रतिभूति हेतु सुरक्षित है।

	ऋणी/सहऋणी के नाम एवं पते	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया देयराशि	बन्धक सम्पत्ति का विवरण
1	**ऋणी 1: श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री टुण्डाराम (ऋणी)** आवासीय पताः मकान नम्बर-32-बी 52/3 प्रकाश नगर बाई-पास रोड, कमला नगर, आगरा-282005 पत्राचार का पता-फ्लैट नम्बर 402, चतुर्थ तल, कृष्णा रेजिडेन्सी, यमुना विहार, कमलानगर मौजा- घटवासन मुस्तकिल तहसील और जिला-आगरा-282005 **सह-ऋणी 2: श्रीमती लीला वती वर्मा पत्नी ओम प्रकाश वर्मा (सह-ऋणी)**	01.07.2019 एवं रू. 1611102.50 29.06.2019 तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे	**साम्यक बंधक** जमा करके टाइटल डीड फ्लैट नम्बर-402, चतुर्थतल, प्लॉट नम्बर 21, 22, एवं 23 स्थित खसरा नम्बर-06, 08 एवं 09 स्थित कृष्णा रेजिडेन्सी, यमुना बिहार, कमला नगर मौजा घटवासन मुस्तकिल तहसील एवं जिला आगरा (क्षेत्रफल 106.83 वर्ग मीटर) जिला आगरा सम्पत्ति स्वामी श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री टुण्डाराम के नाम चौहद्दीः- पूर्व-बालकनी एवं आसमानी खुला, पश्चिम-फ्लैट नम्बर-403, उत्तर-गलियारा एवं निकास, दक्षिण-आसमानी खुला एफएमवी- रु.24.00 लाख एफएसवी -रु.22.00 लाख मूल्यांकन पोद्दार सलाहकारों द्वारा दिनांक 12.10.2015 के अनुसार
2	आवासीय पताः मकान नम्बर-32-बी 52/3 प्रकाश नगर बाई-पास रोड, कमला नगर, आगरा-282005 पत्राचार का पता-फ्लैट नम्बर 402, चतुर्थ तल, कृष्णा रेजिडेन्सी यमुना विहार, कमला नगर मौजा- घटवासन मुस्तकिल तहसील और जिला- आगरा-282005		

अनुबंधित दरों पर अग्रिम ब्याज के साथ देय/बाकी भुगतान सहमति के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित दिनांक तक। 4. यदि उपरोक्त ऋणि/बंधककर्ता/जमानतकर्ता द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक को उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने में असफल होते हैं तो इण्डियन ओवरसीज बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिभूति सम्पत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा और इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए ऋणि/बंधककर्ता/जमानतकर्ता से प्रक्रिया शुल्क व खर्चा वसूला जयेगा। 5. ऋणि/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को अधिनियम नियम की धारा 13 के उप धारा 8 के विषय में चेतावनी दी जाती है कि वे निर्धारित सयम सीमा के अन्तर्गत अपने प्रतिभूति सम्पत्ति को अवमुक्त करा लें। 6. सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत आपको यह भी चेतावनी दी जाती है कि बिना बैंक के पूर्ण लिखित सहमति के प्रतिभूति सम्पत्ति को बिक्री, लीज या अन्य तरीके हस्तांतरण करने का प्रयास न करें अन्यथा नियम के धारा 29 के तहत आप जेल या जुर्माने के भागीदार होगें।

स्थान-कमलानगर, आगरा दिनांक 01.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road, Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida, U.P.- 201306
E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा ग्रेटर नोएडा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.12.2017, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता जमील अहमद और शमीम अहमद खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 41,91,490.00/- (रूपये इकतालिस लाख इक्यानवे हजार चार सौ नब्बे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10 जुलाई 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.- 41,91,490.00/- अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

बी-84, ब्लॉक बी सै0. गामा 1, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर मालिक जमील अहमद और शमीम अहमद। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में प्लॉट नं0. 97, **दक्षिण** में रोड़, **पूर्व** में प्लॉट नं0. 85 और **पश्चिम** में प्लॉट नं0. 86.

दिनांकः 10.07.2019
स्थानः ग्रेटर नोएडा।
प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,
फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 03.05.2019 जारी की जिसमें कर्जदारों/गारंटरों श्री संजीव गुप्ता, श्रीमती अलका गुप्ता, सुश्री मालविका गुप्ता और श्री अभिनव गुप्ता निवासी मकान नं. 902, सोवेरियन-2, वाटिका सिटी, सैक्टर-49, गुड़गांव-122018 को कथित सूचना में उल्लिखित राशि 02.05.2019 को रु. 25404601.00 (दो करोड़ चौवन लाख चार हजार छह सौ एक रुपए) + 03.05.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का पुनर्भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/गारंटर खाता सं. 37091006536, 37091003513 एवं 37119258137 के जरिए राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए एतद्द्वारा विषेषकर कर्जदारों/गारंटरों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 2 जुलाई, 2019 को ले लिया है।

विषेषकर कर्जदारों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का लेनदेन न करें और कथित सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक को 01.07.2019 को रु. 25640625.00 (दो करोड़ छप्पन लाख चालीस हजार छह सौ पच्चीस रुपए) + 02.07.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति मकान नं. सी-2, 902/2, सोवेरियन-2, वाटिका सिटी, सैक्टर-49, गुड़गांव

तिथिः 10.07.2019
स्थानः फरीदाबाद
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23441330, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **कम्पनी मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय 39/5864 बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली - 110006, फैक्ट्रीः बी 63-64, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) और: 7 किमी. स्टोन, गाँव समगौली, पी.ओ. डेरा बस्सी, लिंक रोड, जिला एए ए एस नगर (पटियाला), पंजाब और गारंटर - श्री मोहम्मद कामिल, श्री मोहम्मद मोहसिन, श्रीमती नासिरा बेगम, सभीः 20, फायर ब्रिगेड लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, श्री मोहम्मद साबिर, 6478, गली -2, ईदगाह रोड, कुरेश नगर, सदर बाजार, नई दिल्ली - 110001, श्री मो. जाकी, मकान नं. 7673, गली चैन वाली, कसाब पुरा, कुरेश नगर, नई दिल्ली - 110006 और श्री शकील अहमद, 39/5864, बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना, सदर बाजार, दिल्ली - 110006 को मांग सूचना दिनांक 08.10.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि *रू 239.40 (रु दो सौ उनतालीस करोड चालीस लाख केवल) दिनांक 30.09.2018 तक और भविष्य का** ब्याज प्लस प्रभार और कुल चुकौती की तिथि तक इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर्स राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.07.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक कम्पनी/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के प्रभार वास्ते *रू 239.40 (रु दो सौ उनतालीस करोड चालीस लाख केवल) दिनांक 30.09.2018 तक और भविष्य का** ब्याज प्लस प्रभार और कुल चुकौती की तिथि तक इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (क) सम्पूर्ण भूतल, बेसमेंट अधिकार के साथ, साथ में 50% भूमि का अविभाजित, अविभाज्य और भूमि के नीचे के हिस्से में निहित फ्रीहोल्ड अधिकार के क्षेत्रफल 330 वर्ग गज, सम्पत्ति नं. 72, ब्लॉक नं. 205बी, जिसे अब 22, सेंट्रल लेन कहते है, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति मो. कामिल (गारंटर) पुत्र श्री गायासुद्दीन के नाम पर है। (ख) सम्पूर्ण प्रथम और द्वितीय तल और साथ में खुली छत और साथ में 50% भूमि का अविभाजित, अविभाज्य और भूमि के नीचे के हिस्से में निहित फ्रीहोल्ड अधिकार, क्षेत्रफल 330 वर्ग गज, सम्पत्ति नं. 72, ब्लॉक नं. 205बी, जिसे अब 22, सेंट्रल लेन कहते है, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नासीरा बेगम (गारंटर) के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर पूरब में - प्रोप. नं. 73, दक्षिण पूरब में - सर्विस लेन, उत्तर पश्चिम में - रोड, दक्षिण पश्चिम में - प्रोप. नं. 71

***उपरोक्त वर्णित राशि के अतिरिक्त, बैंक गारंटी रु. 9,58,920/- जारी किए गए, लेकिन अभिमंत्रित जारी नहीं किए और काल्पनिक सीमा के साथ व्युत्पन्न सीमा रु. 1,01,47,900/- (यूएस $ 28.00 लाख भारतीय राशि रु. 20,29,58,000/- US $ to INR रेट 72.485 पर विचार करते हुए) लेकिन परिपक्व नहीं हुए।**

दिनांक : 09.07.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशन्स लि.

HFCL GROUP

पंजी. कार्यालयः 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लैक्स, चम्बाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश)
टेली.: (+911792) 230644, फैक्सः (+911792) 231902, ई-मेलः secretarial@hfcl.com
वेबसाईटः www.hfcl.com/ कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) : L64200HP1987PLC007466

समेकित वित्तीय विशेषताएं

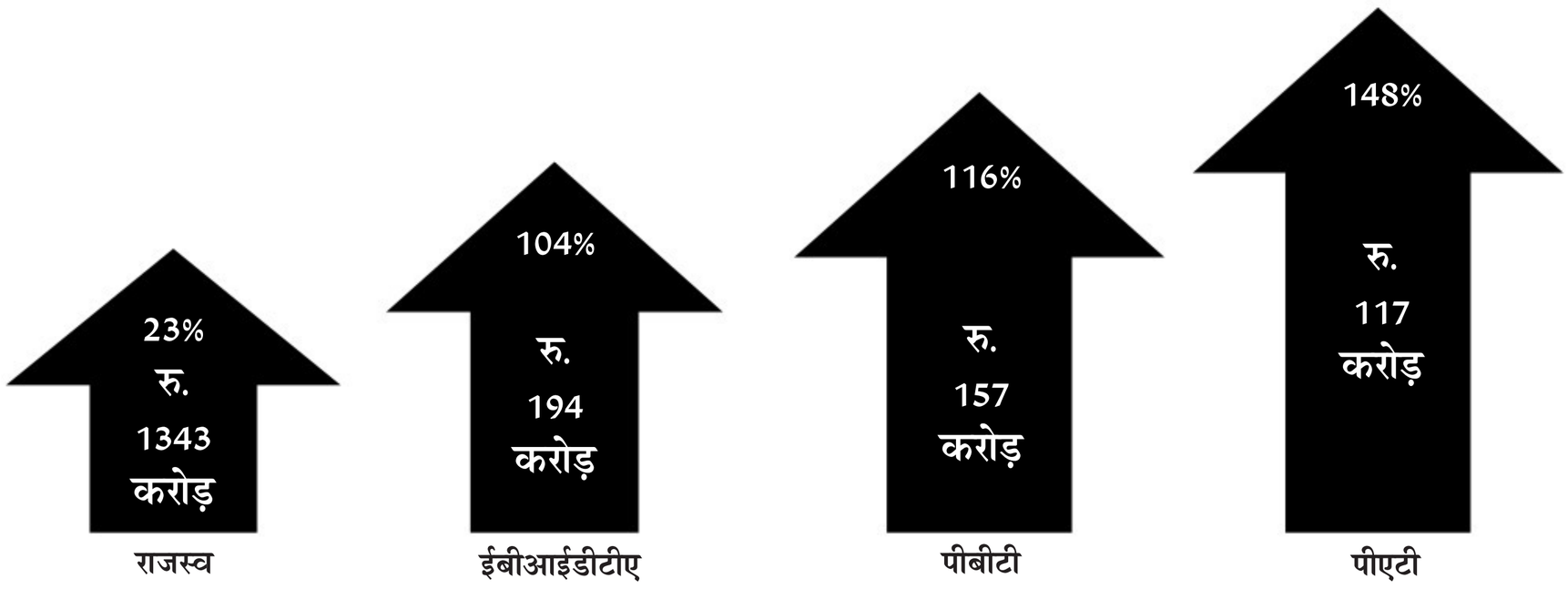

30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के लिए
अ-लेखा-परीक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(जब तक अन्य रूप में कथित न हो, रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्डएलॉन				समेकित			
		समाप्त तिमाही	समाप्त पूर्व तिमाही	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय तिमाही	समाप्त पूर्व वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त पूर्व तिमाही	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय तिमाही	समाप्त पूर्व वर्ष
		30 जून, 2019	31 मार्च, 2019	30 जून, 2018	31 मार्च, 2019	30 जून, 2019	31 मार्च, 2019	30 जून, 2018	31 मार्च, 2019
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	1200.61	1094.68	1031.53	4366.20	1342.73	1215.47	1088.30	4737.79
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	135.88	84.26	70.14	290.74	157.37	99.02	72.97	339.29
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	135.88	84.26	70.14	290.74	157.37	99.02	72.97	339.29
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	89.34	51.49	44.36	184.03	117.12	65.92	47.19	232.26
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) शुद्ध लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	90.18	57.51	42.30	189.22	117.73	71.69	45.01	236.79
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	128.44	127.44	123.94	127.44	128.44	127.44	123.94	127.44
7.	अन्य इक्विटी	-	-	-	1316.13	-	-	-	1304.27
	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)								
8.	मूलः	0.70	0.42	0.34	1.48	0.86	0.50	0.37	1.77
	तरलः	0.70	0.42	0.34	1.48	0.86	0.50	0.37	1.75

टिप्पणीः

1. 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही तथा वर्ष के लिये कम्पनी के उपरोक्त अ-लेखा-परीक्षित स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा 10 जुलाई, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा उसे अनुमोदित किये गये।
2. उपरोक्त परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, समय-समय पर यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट रूप में भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुपालन में हैं।
3. लेखा परीक्षकों ने 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है। 30 जून, 2018 को समाप्त तत्स्थानीय तिमाही तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त पूर्व तिमाही के समेकित आंकड़े जैसा कि इस समेकित वित्तीय परिणामों में रिपोर्ट की गई है, को कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया गया है, लेकिन उसे समीक्षा के अधीन रखा गया है।
4. 31 मार्च, 2019 को समाप्त पूर्व तिमाही के ऑकड़े 31 मार्च, 2019 को समाप्त सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा संबंधित वित्त वर्षों की तीसरी तिमाही तक तिथि तक प्रकाशित वर्ष के ऑकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आँकड़ों के बीच संतुलक आँकड़े हैं।
5. जहाँ कहीं भी जरूरी हुआ पूर्व अवधि के ऑकड़े पुनर्वर्गीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं।
6. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटण अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनिय

मानहानि मामले में राहुल की पेशी आज

अमदाबाद, 11 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं के खिलाफ अमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल की ओर से दायर एक आपराधिक मानहानि मुकदमे की सुनवाई के लिए शुक्रवार को यहां एक मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि राहुल अदालत में पेश होंगे।

दोषी ने कहा कि चूंकि समन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी जारी किए गए थे, उनके भी शुक्रवार को पेश होने की उम्मीद है।

मानहानि का मुकदमा गत वर्ष तब दायर किया गया था जब राहुल और सुरजेवाला ने दावा किया कि अमदाबाद जिला सहकारी बैंक आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपए के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एडीसीबी बैंक के निदेशकों में से एक हैं। अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या सबूतों को देखते हुए नौ अप्रैल को उनके खिलाफ समन जारी किए थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बैंक के खिलाफ 'झूठे और मानहानिकारक आरोप' लगाए।

पीएनबी धोखाधड़ी : चोकसी की 24.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बताया कि उसने 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी लोन घोटाला और धन शोधन मामले में आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की भारत और विदेशों में स्थित 24.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने कहा, कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई की तीन व्यावसायिक संपत्तियां, एक मर्सिडीज बेंज कार और देश तथा विदेश में स्थित सावधि जमा के कई खाते शामिल हैं। कुल 24.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी बयान के अनुसार, धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत इस संबंध में एक प्रोविजनल आदेश जारी किया गया था। यह अपराध कुल 6,097.73 करोड़ रुपए संपत्ति का है, जिसमें से निदेशालय अभी तक 2,534.70 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी और अन्य एजंसियां चोकसी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और अन्य की जांच कर रही हैं।

दो से अधिक बच्चे वालों को मताधिकार से वंचित किया जाए : गिरिराज

पटना, 11 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में आजादी के बाद से 'जनसंख्या विस्फोट' पर गुरुवार को चिंता जाहिर की और जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें मताधिकार से वंचित किए जाने की वकालत की।

विवादास्पद बयानबाजी करने को लेकर चर्चा में रहने वाले बिहार के भाजपा नेता ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर ट्विटर पर एक ग्राफिक साझा किया है जिसमें दिखाया गया है कि 1947 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 366 फीसद की वृद्धि हुई है जबकि इस अवधि में अमेरिका की आबादी में सिर्फ 113 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा है, 'हिंदुस्तान में जनसंख्या विस्फोट अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और संसाधन का संतुलन बिगाड़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पर धार्मिक व्यवधान भी एक कारण है।'

कई दक्षिणपंथी नेता देश में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि के लिए मुसलिम समुदाय पर दोषारोपण करते रहे हैं। इसे खतरनाक बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, 'हिंदुस्तान 1947 की तर्ज़ पर 'सांस्कृतिक विभाजन' की ओर बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दलों को साथ हो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे आना होगा।' बाद में मंत्री ने दिल्ली के कुछ समाचार चैनलों से बातचीत में कहा कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना होगा। भाजपा नेता के इस विचार से प्रदेश में राजद और कांग्रेस ने असहमति जताई और इसे खारिज कर दिया।

राजद के बिहार प्रदेश प्रमुख रामचंद्र पूर्वे ने सिंह के बयान को ओछी राजनीति का उदाहरण बताया क्योंकि इससे लगता है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी के लिए वे अल्पसंख्यक समुदाय पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्र ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के पास इस तरह के विचार कहां से आते हैं? क्या वे संविधान में किसी प्रावधान को बता सकते हैं जिसके तहत खास संख्या से अधिक बच्चे होने के कारण किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।

सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद प्रशंसक की मौत

ओड़ीशा में एक ने आत्महत्या की कोशिश की

खनाकुल/भवानीपटना, 11 जुलाई (भाषा)।

क्रिकेट विश्वकप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों भारत की हार को पश्चिम बंगाल का एक प्रशंसक बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। वहीं, ओड़ीशा में एक प्रशंसक ने आत्महत्या करने की कोशिश की।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि क्रिकेटर एमएस धोनी के रन आउट होने के सदमे में श्रीकांत मैती को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। भारत मैच में 240 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। पुलिस ने बताया कि मैती पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में साइकिल ठीक करने वाली एक दुकान के मालिक थे। वह धोनी को आउट होते हुए देखकर बेहोश हो गए। ग्रामीण उन्हें खनाकुल के ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में बेटी और बेटा है।

वाहीं, ओड़ीशा के कालाहांडी जिले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति ने गुरुवार को जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

POST-OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

ALLSEC TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 7-H, Century Plaza, 560-562, Anna Salai, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu - 600018. Tel.: +91 44 4299 7070; Website: www.allsectech.com; Corporate Identification Number: L72300TN1998PLC041033

OPEN OFFER ("OFFER") BY CONNEQT BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ("ACQUIRER") ALONG WITH PERSON ACTING IN CONCERT QUESS CORP LIMITED ("PAC") TO ACQUIRE UP TO 39,61,965 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH ("OFFER SHARES") AT A PRICE OF INR 320 PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("TAKEOVER REGULATIONS") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF ALLSEC TECHNOLOGIES LIMITED ("TARGET COMPANY")

This post-offer advertisement ("**Post Offer Advertisement**") is being issued by Axis Capital Limited ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer and PAC, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the Takeover Regulations, in respect of the Offer. This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with:

(a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC to NSE and BSE on April 17, 2019 ("**Public Announcement**");

(b) the detailed public statement dated April 24, 2019 in connection with the Offer, published on April 25, 2019 and the Corrigendum to the DPS dated May 2, 2019, published on May 3, 2019 in the following newspapers: (i) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition); and (iv) Makkal Kural (Chennai edition);

(c) the letter of offer dated June 14, 2019 in connection with the Offer ("**Letter of Offer**"); and

(d) the offer opening public announcement and second corrigendum in connection with the Offer, published on June 20, 2019 in the following newspapers: (i) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition); and (iv) Makkal Kural (Chennai edition).

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

1.	**Name of the Target Company**	**Allsec Technologies Limited**
2.	Name of the Acquirer(s) and PAC	Acquirer: Conneqt Business Solutions Limited; Person Acting in Concert ("**PAC**"): Quess Corp Limited
3.	Name of the Manager to the Offer	Axis Capital Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited
5.	Offer Details • Date of opening of the Offer • Date of closure of the Offer	 Friday, June 21, 2019 Thursday, July 4, 2019
6.	Date of payment of consideration pursuant to the Offer	Wednesday, July 10, 2019

7. Details of acquisition:

	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price	INR 320		INR 320	
7.2	Aggregate number of shares tendered in the Offer	39,61,965		18,33,817	
7.3	Aggregate number of shares accepted in the Offer	39,61,965		18,33,817	
7.4	Size of the Offer (Number of Offer Shares multiplied by Offer Price per Offer Share)	INR 126,78,28,800		INR 58,68,21,440	
7.5	Shareholding of the Acquirer before agreements/Public Announcement (No. & %)	NIL		NIL	
7.6	Shares acquired by way of agreements (SPAs) • Number • % of the Voting Share Capital	 93,49,095(1) 61.35%(1)		 93,49,095(2) 61.35%(2)	
7.7	Shares acquired by way of the Offer • Number • % of the Voting Share Capital	 39,61,965(3) 26.00% (3)		 18,33,817 12.03%	
7.8	Shares acquired by the Acquirer after the DPS • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	Other than the Equity Shares acquired pursuant completion of the transactions under the SPAs, nil.		Other than the Equity Shares acquired pursuant completion of the transactions under the SPAs, nil.	
7.9	Post offer shareholding of the Acquirer • Number • % of the Voting Share Capital	 1,33,11,060(3) 87.35%(3)		 1,11,82,912 73.39%	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the public shareholders of the Target Company(6)	**Pre-Offer(4)**	**Post-Offer(4)**	**Pre-Offer(4)**	**Post-Offer(5)**
	• Number	43,86,397	4,24,432	43,86,397	25,52,580
	• % of the Voting Share Capital	28.79%	2.79%	28.79%	16.75%

Notes:

(1) On April 17, 2019, the Acquirer entered into: (i) the Promoter SPA with the Promoters to acquire 53,87,155 Equity Shares, representing 35.35% of the Voting Share Capital; (ii) the Investor SPA with the Investor to acquire 39,61,940 Equity Shares, representing 26% of the Voting Share Capital.

(2) The Acquirer has acquired a total of 93,49,095 Equity Shares, representing 61.35% of the Voting Share Capital pursuant to: (a) an off-market transaction with the Investor on May 29, 2019 for acquiring 39,61,940 Equity Shares, in terms of the Investor SPA, at a price of INR 250 per Equity Share; and (b) a block trade with the Promoters on June 3, 2019 for acquiring 53,87,155 Equity Shares, at a price of INR 319 per Equity Share, in terms of the Promoter SPA.

(3) Assuming full acceptance in the Offer.

(4) Based on the shareholding pattern of the Target Company disclosed in the Letter of Offer and assuming full acceptance in the Offer. Note that the shareholding of First Carlyle Ventures Mauritius, a shareholder in the "public" category and a party to the Investor SPA (the "**Investor**"), is not included herein.

(5) Based on the shareholding pattern of the Target Company disclosed in the Letter of Offer and adjusted for actual acceptance in the Offer. The shareholding of the Investor is not included herein. Note that the Investor held 7,40,918 Equity Shares, representing 4.86% of the Voting Share Capital, pursuant to the completion of the transaction contemplated under the Investor SPA. Thereafter, on July 4, 2019, the Investor has sold 6,84,103 Equity Shares by way of a bulk deal on the NSE.

(6) Public shareholders (other than parties to the SPAs).

8. Other Information:

8.1. The Acquirer and the PAC and their directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement, and for the obligations of the Acquirer and the PAC under the Offer. Except as mentioned otherwise in this Post Offer Advertisement, all the information pertaining to the Target Company has been obtained from the information published and from publicly available sources and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirer or the PAC or the Managers to the Offer.

8.2. In this Post Offer Advertisement, all references to "₹" Or "INR" are references to the Indian Rupee.

8.3. This Post Offer Advertisement would also be available on the websites of SEBI, NSE and BSE and the Target Company's registered office.

ISSUED ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC BY THE MANAGER TO THE OFFER:

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
Axis House, 1st Floor, C-2, Wadia International Center, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra
Tel: +91 22 4325 2183; **Fax:** +91 22 4325 3000
Website: www.axiscapital.co.in
Email: AC.openoffer@axiscap.in
Contact Person: Ms. Bhumika Gangar
SEBI Registration Number: INM000012029

REGISTRAR TO THE OFFER:

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra
Tel: +91 22 49186200; **Fax:** +91 22 49186195
Website: www.linkintime.co.in
Email: allsec.offer@linkintime.co.in
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

On behalf of the Acquirer and PAC
Sd/-
Authorised Signatory

Date : July 11, 2019
Place : Mumbai

PRESSMAN

फॉर्म सं0. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र
बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में
तथा
रोलास्टार प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सेंकड फ्लोर, सी–434, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 में है के मामलें में

....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हरियाणा राज्य में स्थानान्तरित करने हेतु

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "**दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**" से "**हरियाणा राज्य**" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **28 मई, 2019** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार अर्थात. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संस्था के बहिर्नियम में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय सेंकड फ्लोर, सी–434, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और आवेदक की ओर से
कृते **रोलास्टार प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/–
नायक अमित महेशभाई
प्रबंध निदेशक
DIN-06888741

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 12.07.2019

फॉर्म सं0. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र
बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में
तथा
रस्किन टाइटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सेंकड फ्लोर, सी–434, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 में है के मामलें में

....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हरियाणा राज्य में स्थानान्तरित करने हेतु

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "**दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**" से "**हरियाणा राज्य**" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **28 मई, 2019** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार अर्थात. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संस्था के बहिर्नियम में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय सेंकड फ्लोर, सी–434, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और आवेदक की ओर से
कृते **रस्किन टाइटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/–
सोमेश विजय जोशी
निदेशक
DIN-08148444

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 12.07.2019

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
(भारत सरकार का उपक्रम)
जेड ओ एस ए आर बी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482,
ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 03.07.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि खाता **मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. के मामले में** प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस के स्थान पर
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस पढ़ा जाए।
शेष नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 12-07-2019 **बैंक ऑफ बड़ौदा**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओ. ए नं. 751/2018
कॉर्पोरेशन बैंक — आवेदक
विरूद्ध
मानसरोवर पैकेजिंग एवं अन्य — प्रत्यार्थी

सेवा में,
1. मानसरोवर पैकेजिंग और अन्य इसके प्रोपराइटर श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री कंवर लाल गुप्ता के माध्यम से, ए /61, संस्कृति अपार्टमेंट फ्रीडम फाईटर एनकलेव नेब सराय, नई दिल्ली –68, और : 176, शौकिन मार्केट नेब सराय, नई दिल्ली–68, और: ए–51, फ्रीडम फाईटर एनकलेव, नई दिल्ली–68

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रू. **84,32,403.42** (रुपए चौरासी लाख बत्तीस हजार चार सौ तीन और पैसे ब्यालीस मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 05.09.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे** माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत **21 जून, 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा रजिस्ट्रार

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–प्रथम, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
माँग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)
आर.सी. संख्या 211/2019, ओ.ए. संख्या 369/2018 डायरी संख्या 218, दिनांकः 27.06.2019
केनरा बैंक **बनाम** **मैसर्स शौर्य इन्टरनेशनल एवं अन्य**
सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड
सेवा में,
सीडी. 1: मैसर्स शौर्य इन्टरनेशनल, खसरा नं0 436, ग्राम रोशनपुर, परगना दौरली, मेरठ, उत्तरप्रदेश.
सीडी. 2: श्रीमती करण पैसल पत्नी श्री अनुज सिंह, निवासी 334/1, अशोक वाटिका, मेरठ, उत्तर प्रदेश.
सीडी. 3: श्रीमती सुमित्रा पैसल पत्नी श्री कृपाल सिंह, निवासी 334/1, अशोक वाटिका, मेरठ, उत्तरप्रदेश.
सर्टिफिकेट डेब्टर्स

(v) यह सूचित करना है कि आप पर **रू0 22,15,111.30/–** (बाईस लाख पन्द्रह हजार एक सौ ग्यारह रूपये एवं तीस पैसा मात्र) + वाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 14.11.2018 से **@12.00%** प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक **22.03.2019** को जारी वसूली प्रमाणपत्र के **ओ.ए. संख्या 369/2018** के अनुसार आपके विरूद्ध **रू0 57,000.00** का वाद व्यय सहित देय हैं।
(vi) आप को यह मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उपर्युक्त लिखित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी।
(vi) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरादायी होंगे।
सी) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
डी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
(viii) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक **18.10.2019** को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हो।
अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से **27 जून, 2019** से जारी।

हस्ताक्षर
रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी, देहरादून

इलाहाबाद बैंक **ALLAHABAD BANK**
विश्वास की परंपरा — A tradition of trust
प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय
निविदा सूचना
इलाहाबाद बैंक में ऋण निगरानी के लिए पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) सॉल्यूशन की आपूर्ति और संपूर्ण कार्यान्वयन तथा रखरखाव हेतु प्रस्ताव अनुरोध हेतु आरएफपी का परिशिष्ट I
(आरएफ़पी संदर्भ सं. : प्रका/डीआईटी/ऋ.नि./ईडब्ल्यूएस/**2019-20/139** दिनांक **05.07.2019**)
दिनांक 12.07.2019 के परिशिष्ट के माध्यम से आरएफ़पी के अंतर्गत संशोधन एवं स्पष्टीकरण समाविष्ट किया गया है।
विस्तृत विवरण हेतु कृपया बैंक की अधिकारिक वेबसाइट **www.allahabadbank.in** एवं ई–टेंडर वेबसाइट **www.tenderwizard.com/abbank** देखें।
सहायक महाप्रबंधक (सूप्रौ)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

प्रपत्र–ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	उन्नति फॉर्चून होटमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	23.06.2011
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित देयता पहचान नंबर	U55101DL2011PTC221339
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 560 जी.टी. रोड प्रथम तल, शाहदा विपरित यूको बैंक दिल्ली-110032 **कारपोरेट कार्यालयः** बी-117, सैक्टर-67, नोएडा, 201301 उ. प्र.।
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	**आदेश की तिथिः** 09.07.2019 **आदेश की प्रति की प्राप्तिः** 11.07.2019
7.	दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	05.01.2020 (सीआइआरपी की शुरूआत से 180 दिन होने पर)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालियापन पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	**नामः** श्री शेख नफीस अंजुम, **रजि. नं.** IBBI /IPA-003/IPA-ICAI-N-00211/2018-2019/12363
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	**पताः** फ्लैट नं. ए-206, प्रतीक स्टाइलॉम अपार्टमेंट, सैक्टर-45, नोएडा, उ.प्र.-201303 इ-मेलः sn.anjum123@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इ-मेल तथा पता	**पताः** इ-10ए, कैलाश कॉलानी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, दिल्ली-110048 इ-मेलः sn.anjum@aaainsolvency.com unnati.hotmart@aaainsolvency.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	25.07.2019
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन लेनदार की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नही
13.	श्रेणी में लेनदार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवालियापन पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध हैः	लागू नही

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बेंच, नई दिल्ली** ने 09.07.2019 को **उन्नति फॉर्चून होटमार्ट प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति की प्राप्ति 11.07.2019 को प्राप्त हुई थी)
उन्नति फॉर्चून होटमार्ट प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 25.07.2019 या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।
दावों के प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट फॉर्म के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैः
-फॉर्म बीः कामगार व कर्मचारियों को छोड़कर परिचालन लेनदार द्वारा दावे के प्रमाण के लिए
-फॉर्म सीः वित्तीय लेनदारों द्वारा दावे के प्रमाण के लिए
-फॉर्म डीः कामगार व कर्मचारियों द्वारा दावे के प्रमाण के लिए
-फॉर्म इः कामगार व कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे के प्रमाण के लिए
-फॉर्म एफः लेनदारों द्वारा दावे के प्रमाण के लिए (प्रचालनों तथा वित्तीय लेनदारों से अन्य)
उपरोक्त वर्णित फॉर्म भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अधीन वेबसाइटः www.ibbi.gov.in/downloadform.html से डाउनलोड किए जा सकते है।
वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनद

एअरएशिया इंडिया के दो पायलट निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

उड्डयन नियामक डीजीसीए ने तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए एअरएशिया इंडिया के दो पायलटों के उड़ान लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण एक विमान का एक विंग शार्कलेट क्षतिग्रस्त हो गया था। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

बीती 15 फरवरी को बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक ए320 विमान का बाईं ओर का विंग शार्कलेट रनवे से मुड़ने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। वह विमान बंगलुरु जाने वाला था। इस कारण एअरएशिया इंडिया के दो पायलटों एम इंद्र गांधी और विशाल अग्रवाल को तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दोनों पायलटों के छह महीने का निलंबन 15 फरवरी से प्रभावी होगा, जिस दिन वह घटना हुई थी। दूसरी ओर, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के तकनीशियन की मृत्यु के मामले की विस्तृत जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) करेगा। डीजीसीए ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। स्पाइसजेट के तकनीशियन का सिर बुधवार को हवाई अड्डे पर रखरखाव के दौरान एक विमान के मुख्य लैंडिंग गियर के हाइड्रॉलिक दरवाजों के पल्ले में फंस गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में 'अप्राकृतिक मृत्यु' की शिकायत दर्ज कराई गई और डीजीसीए ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। स्पाइसजेट ने बयान में कहा कि हाइड्रॉलिक दरवाजे अचानक बंद हो गए। इसमें 22 साल के रोहित पांडेय की मृत्यु हो गई।

जैश के तीन गुर्गे गिरफ्तार

श्रीनगर, 11 जुलाई (भाषा)।

पुलिस ने 12 जून को हुए आतंकी हमले के संबंध में दक्षिण कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन सक्रिय संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

इन संदिग्धों ने आतंकी हमले को अंजाम देने वाले एक पाकिस्तानी आतंकवादी को आश्रय दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के पांच जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी और थाना प्रभारी अरशद अहमद खान घायल हुए थे जिन्होंने 16 जून को दम तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि घटना के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्ताफ खान के नेतृत्व में जांच दल गठित हुआ था जिसने अनंतनाग के व्यस्त केपी रोड पर हमले की जांच की थी।

उन्होंने कहा कि जांच में तीन युवक आमिर, कैसर और इरफान पकड़े गये थे जो आतंकी संगठन के सक्रिय गुर्गों के रूप में काम कर रहे थे।

पाकिस्तानी आतंकी करीब चार दिन इन तीन युवकों में से एक के घर में रहा था और इस दौरान उसे आतंकी हमला करने के संभावित लक्ष्यों की टोह लेने के लिए अनंतनाग शहर में घुमाया गया था।

उनसे पूछताछ के दौरान तीनों ने पुलिस को बताया कि स्थानीय जैश कमांडर फयाज पुंजू इस आतंकवादी को लेकर एक आरोपी के घर आया था। उन्होंने कहा कि इन तीनों ने व्यस्त केपी रोड पर 12 जून को हुए आतंकी हमले के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी।

हाल में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर घाटी के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पुलिस अधिकारी खान के घर गए थे और उन्होंने परिवार के साथ सांत्वना प्रकट की थी।

कार ने सड़क किनारे योग कर रहे लोगों को कुचला, छह की मौत

जयपुर, 11 जुलाई (भाषा)।

भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे योग कर रहे छह लोगों को कुचल दिया। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

भारी बारिश के कारण पुल का बड़ा हिस्सा बहा, कोई हताहत नहीं

पालघर, 11 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश के कारण गुरुवार को पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पुल मोखंडा तालुका के मोरचंडी गांव में एक छोटी नदी पर बना था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय आंब्रे ने कहा कि तड़के पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया। किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए पुल के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।

NOTICE

Notice is hereby given that the share certificate nos. 25396 and 91606 for 3840 ordinary shares bearing distinctive nos. 44175991-44178550 and 2525517026-2525518305 standing in the name of Mr. Anand Kumar have been reported lost and that an application for issue of duplicate certificates in respect thereof has been made to the company's Investor Service Centre, ITC Limited, 37, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071 to whom objection, if any, against issuance of such duplicate share certificates should be made within 15 days from the date of publication of this notice.

The public are cautioned against dealing in any manner with these shares.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता सिविल डिवीजन-3, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित हैं:-

1. **एनआईटी: ईई/ सीडी 03/ एनआईटी 04/ 2019-20**
हैड: टीवाईऐडीबी
कार्य का नाम: पटपड़गंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र A.C-57 गांव पटपड़गंज में मौजूदा जनरल चौपाल में अतिरिक्त हॉल और अन्य कार्यों का निर्माण। अनुमानित लागत 89,26,802.00 रु. धरोहर राशि: 1,78,536.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 180 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 19.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_175844_1)

2. **एनआईटी: ईई/ सीडी 03/ एनआईटी 05/ 2019-20**
हैड: एमएलएएलएडी फंड।
कार्य का नाम: जंगपुरा एसी-41 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हॉस्पिटल रोड भोगल, नई दिल्ली-14 में जाटव समाज चौपाल का निर्माण। अनुमानित लागत 79,32,017.00 रु. धरोहर राशि: 1,58,640.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 180 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 19.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_175845_1)

निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

हस्ता/-
अधिशासी अभियंता सिविल डिवीजन-3
DIP/ Shabdarth/0363/19-20

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
कोपर मोबाईल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय: एफ-14, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 में है
तथा
कॉपर मोबाईल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 23 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय: बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
एफ-14, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली डीएल 110065

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
कोपर मोबाईल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 11.7.2019 (दीपक वर्मा)
निदेशक
DIN: 05108238
पता: 3177, मोहिन्द्रा पार्क, रानी बाग, नई दिल्ली-110034

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
अभियांत्रिकी अनुभाग, क्षेत्रिय कार्यालय: दिल्ली
स्कोप मीनार, कोर-3, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक सेंटर, दिल्ली-110092
टेलीफैक्स: 011-22464070, ई-मेल: eecwcdli@yahoo.co.in

सं.के.भ.नि./क्षे.का.-दिल्ली/ईजी.अनुभाग/प्रेस नोट/2019-20/1251 दिनांक: 10.07.2019

ई-टैंडर आमंत्रण प्रैस सूचना

निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयुक्त वर्ग के अनुमोदित ठेकेदारों से केंद्रीय भंडारण निगम ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	निविदाएं ऑनलाइन भेजने की अंतिम तिथि
01	आई सी डी, पटपड़गंज, दिल्ली में विशेष मरम्मत कार्य	20.68	07.08.2019 upto 15.00 Hrs.

विस्तृत निविदा सूचना के साथ अनुबंध की शर्तें और ई-टेंडर आमंत्रण सूचना वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा www.cewacor.nic.in या www.tenderhome.com से देखी और डाउनलोड की जा सकती है।

अधिशाषी अभियंता

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road, Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida, U.P.- 201306
E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा ग्रेटर नोएडा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23.04.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता बिंदल प्लाईवुड एण्ड टिम्बर ट्रेडर्स, निश्चल तायल, अनिल तायल, विनय कुमार, श्रीमति सविता खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 26,40,112.66/- (रूपये छबबीस लाख चालिस हजार एक सौ बारह और छासठ पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11 जुलाई 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.- 25,27,641.53/- अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

आवासीय प्लॉट नं0.3, खाता नं0. 153, खेत नं0. 720, जिसकी माप 100 स्क्वेयर यार्ड मालिक श्रीमति सविता। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में रोड़, **दक्षिण** में प्लॉट नं0. 2, **पूर्व** में प्लॉट नं0. 31 और **पश्चिम** में रोड़।

दिनांक: 11.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: ग्रेटर नोएडा। सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED

Registered Office: 5th Floor, Dhiraj Chambers, 9 Hazarimal Somani Marg, Mumbai - 400 001. **Tel:** +91 22 4092 4444
Contact Person: Vaibhav Nilesh Joshi, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 22 4092 4444
E-Mail ID: cs.vaibhav@aa-pl.in ; **Website:** www.aa-pl.in
PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. SHIVKRISHNA HARAKHCHAND DAMANI AND MR. VARUN DAMANI
CIN: U28910MH1982PLC028034

NOTICE FOR WITHDRAWAL OF ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 38,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH OF ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 20/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 1148.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 20/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 57.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION").

ISSUE PROGRAMME ISSUE OPENED ON: June 24, 2019 ISSUE CLOSED ON: June 28, 2019

Based on the advice received in relation to unfavourable market conditions for full subscription of the Issue, the Board of Directors of the Company vide Board Resolution dated 10th July, 2019 have decided not to proceed with the Issue. Therefore we request you to kindly take this notice as an 'Issue Withdrawal' notice.

This Public Notice should be read in conjunction with the Prospectus dated 14th June, 2019.

This notice is advertised in English national daily "Financial Express", Hindi National Daily "Jansatta" and regional daily "Mumbai Lakshadeep"

We thank the regulators and all the investors for their support.

For Alumilite Architecturals Limited
On behalf of the Board of Directors
Place : Mumbai Sd/-
Date : July 10, 2019 **Managing Director**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road, Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida, U.P.- 201306
E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा ग्रेटर नोएडा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24.10.2018, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता जमील अहमद और शमीम अहमद खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 3,22,177.00/- (रूपये तीन लाख बाईस हजार एक सौ सतहत्तर केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था। ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10 जुलाई 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.- 3,22,177.00/- अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

जी-59 ए, श्रम विहार गामा-2, ग्रेटर नोएडा, यू0पी0 मालिक अनीता बोस। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में प्लॉट नं0. 59 बी, **दक्षिण** में 12 मीटर चौड़ा रोड़, **पूर्व** में प्लॉट नं0. 72 बी और **पश्चिम** में प्लॉट नं0. 58 बी।

दिनांक: 10.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: ग्रेटर नोएडा। सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

धनलक्ष्मी बैंक लि.
नं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

नियम 8 (6) का प्रावधान देखें: अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. श्री बालाजी वुडकेम इंडिया प्रा.लि. तथा श्री सुरेश कौशिक एवं श्रीमती रेखा कौशिक से धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 3,58,47,408.82 (रुपये तीन करोड़ अन्ठावन लाख सैंतालिस हजार चार सौ आठ तथा पैसे बयासी मात्र) की वसूली के लिये 19.08.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी वहां है" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 72,10,000/- (रुपये बहत्तर लाख दस हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 7,21,000/- (रुपये सात लाख इक्कीस हजार मात्र) होगा।

विवरण के साथ संपत्ति का पता

श्री सुरेश कौशिक के नाम में प्लॉट नं. ए-31 ए, भू तल, सूर्या एन्क्लेव, मुल्तान नगर, नई दिल्ली-110056 में अचल आवासीय सम्पत्ति माप 81.23 वर्ग यार्ड्स।

चौहद्दी:
पूर्व: प्लॉट नं. ए-31 का भाग
पश्चिम: सड़क
उत्तर: सड़क
दक्षिण: प्लॉट नं. 32

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाईट अर्थात www.dhanbank.com में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 11.07.2019 **धनलक्ष्मी बैंक लि.**
स्थान: नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
भू तल 287 तरुण एन्क्लेव, दीपाली चौक, पीतमपुरा दिल्ली -110034
फोन नं. 011-27021217, ईमेल :- bm1719@andhrabank.co.in

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी आंध्रा बैंक ने माग सूचना तिथि **03.01.2019** जारी कर **ऋणधारक मुखविंदर सिंह पुत्र माखन सिंह एवं पूजा शर्मा पत्नी मुखविंदर सिंह, मकान न. बी -59, प्रथम तल, गणेश नगर -110018 गारंटर श्री सचिन राउत पुत्र तेजनारायण राउत, डब्लूजेड -02 / द्वितीय तल, एसपी मुखर्जी नगर, नई दिल्ली -110018** को सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु 10,17,736.50/- (रूपए दस लाख सत्रह हज़ार सात सौ एवं छत्तीस एवं पचास पैसे)** वापस लौटाने का निदेश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, **05 जुलाई, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहा नीचे वर्णित सम्पति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समयके सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहा नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करे तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आंध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति से सम्बधित सभी अंश और खण्ड :-
भूमि और भवन - प्रथम तल, डब्लूजेड-22-ए2, प्लॉट नं. 55, खसरा नंबर 2, आपके नं. 1 और नं. 2 से संबंधित, ग्राम नंगली जालिब, कृष्णा पार्क, गली नंबर 8, दिल्ली -110018 में स्थित और **चौहदी पूर्व में** : सड़क, **पश्चिम में** - संपत्ति का हिस्सा, **उत्तर में** : संपत्ति का हिस्सा, **दक्षिण में** - संपत्ति संख्या 54

दिनांक: 05.07.2019 चीफ मैनेजर और प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली आन्ध्रा बैंक

भार्गव ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN:U51101DL2006PTC151475
पंजी. कार्यालय: बी-73, डीडीए फ्लैट्स, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली-110095
ई-मेल:
abhinavbhargava2@gmail.com

केन्द्र सरकार के समक्ष, द्वारा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4)
तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में तथा मामले में
भार्गव ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजी. कार्यालय: बी-73, डीडीए फ्लैट्स, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली-110095 में है

.....आवेदक कम्पनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि रा. रा. क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 10 जुलाई, 2019 को आयोजित उसकी असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II के परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिये भार्गव ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनी) कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कार्यालय के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

भार्गव ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथि: 10.07.2019 अभिनव भार्गव
स्थान: नई दिल्ली निदेशक
DIN: 00282953

भृगु ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN:U51909DL2005PTC140603
पंजी. कार्यालय: डीडीए फ्लैट्स, बी-73, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली-110095
ई-मेल:
abhinavbhargava2@gmail.com

केन्द्र सरकार के समक्ष, द्वारा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4)
तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में तथा मामले में
भृगु ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजी. कार्यालय: डीडीए फ्लैट्स, बी-73, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली-110095 में है

.....आवेदक कम्पनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि रा. रा. क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 10 जुलाई, 2019 को आयोजित उसकी असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II के परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिये भृगु ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनी) कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कार्यालय के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

भृगु ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथि: 10.07.2019 अभिनव भार्गव
स्थान: नई दिल्ली निदेशक
DIN: 00282953

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road, Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida, U.P.- 201306
E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा ग्रेटर नोएडा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.04.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्रीमति हेमलता पत्नि श्री देवेन्द्र कुमार खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 1012526.14/- (रूपये दस लाख बारह हजार पांच सौ छब्बीस और चौदह पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11 जुलाई 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.- 1012526.14/- अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

इमोवेबल सम्पत्ति गांव खेरली हाफिजपुर (मण्डी श्याम नगर) परगना सिकन्द्राबाद, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर मालिक श्रीमति हेमलता पत्नि श्री देवेन्द्र कुमार। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में श्री महेन्द्र की दुकान और घर, **दक्षिण** में श्री हेतराम की दुकान, **पूर्व** में हेतराम का घर और **पश्चिम** में रोड़।

दिनांक: 11.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: ग्रेटर नोएडा। सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड
मांग सूचना का प्रकाशन

**वित

खबर कोना

22 देशों ने कहा, मुसलमानों की नजरबंदी खत्म करे चीन

जेनेवा, 11 जुलाई (एपी)

मानवाधिकार निगरानी संस्था (ह्यूमन राइट्स वाच) का कहना है कि 22 पश्चिमी देशों ने बयान जारी कर चीन से अनुरोध किया है कि वह शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मनमाने तरीके से हुई नजरबंदी और अन्य उल्लंघनों को खत्म करें। वकालती समूह ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार परिषद में इस महत्त्वपूर्ण बयान की सराहना की, जो शिनजियांग में चीन की नीतियों के बारे में चिंता व्यक्त करने की दिशा में सांकेतिक कदम है। मानवाधिकार समूहों और अमेरिका का अनुमान कि शिनजियांग में करीब 10 लाख मुसलमानों को मनमाने तरीके से नजरबंद किया गया है। चीन हिरासत केंद्रों में इस तरह के मानवाधिकार उल्लंघनों से इनकार करता है व इन्हें चरमपंथ से लड़ने व रोजगार योग्य कौशल सिखाने के उद्देश्य वाले प्रशिक्षण स्कूल बताता है।

चीन की 2025 तक सौ उपग्रह भेजने की योजना

बेजिंग, 11 जुलाई (भाषा)

चीन साल 2025 तक अंतरिक्ष में करीब सौ उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। ये उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में पहले से मौजूद सौ से अधिक उपग्रहों के अतिरिक्त होंगे। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। विश्व आर्थिक मंच के आंकड़े के अनुसार 2022 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे चीन के अंतरिक्ष में फिलहाल करीब 280 उपग्रह मौजूद हैं जबकि इसकी तुलना में भारत के पिछले साल नवंबर तक केवल 54 उपग्रह अंतरिक्ष में थे। अंतरिक्ष में 830 उपग्रहों के साथ, अमेरिका इस दौड़ में सबसे आगे है। सरकारी 'ग्लोबल टाइम्स' ने चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अधिकारी यू क्यी के हवाले से कहा कि चीन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में सफलता के साथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेज करने के लिए मौलिक व योग्य माहौल तैयार किया है।

कुलभूषण जाधव पर आइसीजे का फैसला 17 को

पाक बोला, नहीं लगा सकते फैसले का पूर्वानुमान

इस्लामाबाद, 11 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में 17 जुलाई को आने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (48) को अप्रैल, 2017 में मुकदमे के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के एलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारत ने वियना संधि के प्रावधानों का पाकिस्तान द्वारा घोर उल्लंघन किए जाने को लेकर मई, 2017 में आइसीजे का रुख किया था। दरअसल, पाक ने जाधव को भारत द्वारा दूतावासीय मदद मुहैया कराने की इजाजत देने से बार-बार इनकार किया था।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'हम फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते।'

हेग स्थित आइसीजे ने चार जुलाई को अपने बयान में यह घोषणा की थी वह जाधव मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। भारत कहता रहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में थे।

हमारे टैंकरों का रास्ता रोकने की कोशिश की ईरानी पोतों ने : ब्रिटेन

लंदन, 11 जुलाई (एएफपी)।

ब्रिटेन की सरकार ने गुरुवार को कहा कि ईरान की तीन पोतों ने खाड़ी समुद्री क्षेत्र में एक ब्रिटिश टैंकर के मार्ग को बाधित करने की कोशिश की। इसके बाद उसके एक युद्ध-पोत को हस्तक्षेप करना पड़ा।

ब्रिटिश सरकार ने बुधवार को हुई इस घटना पर बयान में कहा, 'अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत, तीन ईरानी पोतों ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के जरिए वाणिज्यिक पोत 'ब्रिटिश हेरिटेज' का मार्ग बाधित करने की कोशिश की।' बयान में कहा गया, 'एचएमएस मोंट्रोस को ईरानी जहाजों और 'ब्रिटिश हेरिटेज' के बीच खुद को लाना पड़ा और फिर उसने ईरानी जहाजों को मौखिक चेतावनी जारी की, जिसके बाद वह दूर हो गए। हम इस कार्रवाई से चिंतित हैं और ईरानी अधिकारियों से तनाव की स्थिति को कम करने का लगातार आग्रह करते हैं।'

पिछले सप्ताह जिब्राल्टर में अधिकारियों ने ईरान के तेल टैंकर को रोका था। माना जाता है कि यह टैंकर युद्ध से तबाह सीरिया में ईरान का कच्चा तेल लेकर जा रहा था जिस पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को ब्रिटेन को आगाह किया था कि जिब्राल्टर के तट पर देश के एक तेल टैंकर को कब्जे में लेने की कोशिश पर ब्रिटेन को परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ब्रिटेन को चेताया, 'मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि समुद्री क्षेत्र में असुरक्षा की शुरुआत आपने की है और आपको इसके परिणामों का एहसास जल्द, जरूर होगा।'

रूस बोला, अमेरिका है जिम्मेदार

मास्को, 11 जुलाई (एएफपी)।

फारस की खाड़ी में एक ब्रिटिश तेल टैंकर का मार्ग बाधित करने की ईरानी जहाजों की कथित कोशिश के बाद रूस ने क्षेत्र में तनाव बढ़ने के लिए गुरुवार को अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव के हवाले से आरआइए नोवोस्ती समाचार एजंसी ने कहा, 'स्थिति बहुत चिंताजनक है।' उन्होंने कहा कि इसकी वजह स्पष्ट है। यह तनाव वाशिंगटन ने जानबूझ कर बढ़ाया है।

पाक में ट्रेनें भिड़ीं, 16 मरे

लाहौर, 11 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में तेज गति से आ रही यात्री ट्रेन ने गुरुवार को मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इसमें 16 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। डॉन अखबार ने बताया कि क्वेटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस ने पंजाब प्रांत के सादिकाबाद तहसील में वल्हर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मारी। मालगाड़ी रेलवे खड़ी थी उसी पटरी पर तेज गति से दौड़ती यात्री रेलगाड़ी आ गई। बचाव अधिकारियों ने बताया कि यात्री ट्रेन अकबर एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर में 16 व्यक्तियों की मौत हो गई है और कम से कम 80 व्यक्ति घायल हो गए हैं। रहीम यार खान के उपायुक्त जमील अहमद जमील ने बताया कि क्वेटा जा रही ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है और पटरी से अवरोध हटाने का काम चल रहा है। ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया।

ईरान के राष्ट्रपति से फ्रांसीसी राजनयिक ने की वार्ता

तेहरान, 11 जुलाई (एएफपी)।

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के शीर्ष राजनयिक सलाहकार एमैनुएल बोन ने 2015 के परमाणु समझौते को बचाने और ईरान व अमेरिका के बीच तनाव कम करने के उद्देश्य से बुधवार को तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति से उच्च स्तरीय वार्ता की। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लंबे समय तक गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध जल्द ही 'काफी हद तक बढ़ जाएंगे।'

भ्रष्टाचार में चीन के पूर्व रक्षा मंत्री पदावनत

बेजिंग, 11 जुलाई (भाषा)।

चीन के बेहद चर्चित रक्षा मंत्री रहे जनरल चांग वानक्वान (70) को भ्रष्टाचार में शामिल होने को लेकर पदावनत कर दिया गया है। जनरल चांग पिछले साल अपनी सेवानिवृति के समय तक चीन के ताकतवर सैन्य अधिकारी थे।

रक्षा मंत्री के अलावा सीपीसी में स्टेट काउंसिलर का ताकतवर पद भी संभाल चुके जनरल चांग को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण पदावनत कर दिया। इस मामले में दो पूर्व ताकतवर सैन्य अधिकारियों पर पहले ही गाज गिर चुकी है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने गुरुवार को यह खबर दी। पोस्ट ने खबर में कहा कि जनरल चांग को दो ग्रेड नीचे क्षेत्रीय उप-कमांडर स्तर पर ला दिया गया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के पूर्व उपाध्यक्ष ग्वो बोक्शियोंग और शू काइहू से करीबी संबंध होने के कारण चांग को पदावनत किया गया। शू की कैंसर से मौत हो चुकी है जबकि ग्वो उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष निकाय सीएमसी की अध्यक्षता अब खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं। चांग को पदावनत किए जाने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आंतरिक सैन्य सूत्रों ने अखबार को बताया कि उनके सेवानिवृति लाभों को कम करना इस बात का संकेत है कि उनके सैन्य रैंक में भी कमी की गई है।

सीमा पर प्रवासी बच्चों के उत्पीड़न की जांच करेगा अमेरिका

लॉस एंजिल्स, 11 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिका के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि मेक्सिको के साथ लगती दक्षिणी सीमा के पास स्थित आश्रय गृह में रह रही होंडुरास की किशोर लड़की को अश्लील तरीके से छूने के मामले के अलावा सीमा एजेंटों द्वारा प्रवासी बच्चों का उत्पीड़न किए जाने के आरोपों की वे जांच कर रहे हैं।

'एनबीसी न्यूज' ने एरिजोना के युमा में स्थित सीमाशुल्क व सीमा सुरक्षा केंद्र में हुई इन घटनाओं के संदर्भ में बच्चों के बयान समेत इसकी आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस संबंध में खबर की थी। इसी केंद्र में प्रवासी बच्चे रहते हैं। एक घटना 15 साल की होंडुरास की एक लड़की से जुड़ी है। लड़की का आरोप है कि एक सीमा एजेंट ने अन्य प्रवासियों के सामने ही उसे अश्लील तरीके से छुआ था और उसका उत्पीड़न किया था। एनबीसी न्यूज के अनुसार ऐसी घटनाएं नियमित तौर पर होती हैं। एनबीसी की खबर के अनुसार लड़की ने बताया, 'वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि उसका उत्पीड़न करने वाला अधिकारी अन्य अधिकारी के साथ अंग्रेजी में बात कर रहा था और हंस रहा था।' हिरासत में रखे गए प्रवासियों के साथ अपने आचरण को लेकर अमेरिकी सीमाशुल्क व सीमा सुरक्षा एजेंसी (सीबीपी) की गंभीर आलोचना हुई है।

हिरासत में शरणार्थी

अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी राज्य एरिजोना में शरणार्थियों के हिरासत केंद्र में पिता के साथ लेटी एक बच्ची। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इन शरणार्थियों पर कड़ा रुख अपना चुका है। शरणार्थियों ने इन शिविरों में रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात बयां किए हैं जिसे सुनकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी तक स्तब्ध रह गए हैं।

बेटी की मौत के बाद शरणार्थी मां ने अमेरिका की क्रूरता की निंदा की

वाशिंगटन, 11 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिका के आव्रजन अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के बाद अपनी बेटी की मौत को लेकर ग्वाटेमाला की महिला ने बुधवार को देश के शरणार्थी हिरासत केंद्र की क्रूरता की निंदा की। याजमिन जुआरेज ने कांग्रेस की सुनवाई में यह बात कही।

यह सुनवाई हिरासत में लिए गए शरणार्थियों की खराब हालत को लेकर सामने आयी कई अनियमितताओं के बीच हो रही है। आंखों में आंसू लिए जुआरेज ने अमेरिका के आव्रजन व सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग का जिक्र करते हुए सुनवाई से पहले पत्रकारों से कहा, 'अगर आज मैं कुछ बदल सकती हूं, अगर मैं यह बताकर कुछ बदलाव ला सकती हूं कि आइसीई के केंद्रों में क्या हो रहा है, वहां क्रूरता है जो कि बहुत अनुचित है।' जुआरेज ने सदन को बताया कि वह अपनी 19 महीने की बेटी मैरी के साथ पिछले साल भागकर अमेरिका आई थी क्योंकि उन्हें ग्वाटेमाला में अपनी जान का खतरा था। उन्होंने सीमा पार की और शरण मांगी लेकिन उसे और मैरी को कुछ दिन तक जमा देने वाले ठंडे पिजरे में कैद रखा गया और फिर वे आइसीई हिरासत केंद्र पहुंचे। उस समय उनकी बेटी बीमार थी। उन्होंने कहा, 'मैंने डाक्टरों से उसकी देखरेख करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने नहीं की।' संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचलेट ने कहा था कि प्रवासियों और शरणार्थियों को अमेरिकी हिरासत केंद्रों में जिन स्थितियों में रखा जा रहा है, उन्हें देखकर वह काफी स्तब्ध हैं।

घर खरीदारों की शिकायतों पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

समाधान के लिए 'एकसमान प्रस्ताव' पर कर रहे काम

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ऐसे घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए 'एकसमान प्रस्ताव' पर काम कर रहा है, जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई रियल एस्टेट कंपनियों को देने के बाद फंस जाते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जेपी इंफ्राटेक मामले में 21,000 से अधिक घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, तो वह उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी।

न्यायालय ने दोनों पक्षों से राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष निर्णय पर पहुंचने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करने को कहा। केंद्र ने न्यायालय से कहा कि एनसीएलएटी 17 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी। इसके बाद न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी के पीठ ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक मुल्तवी कर दी।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने अदालत को सूचित किया कि एनसीएलएटी के समक्ष 17 जुलाई को सुनवाई होने वाली है और इसलिए इसके नतीजे का इंतजार करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र एक समान प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि पीड़ित घर खरीदारों की विभिन्न शिकायतों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसे 23 जुलाई तक लंबित यूनिटेक घर खरीदारों के मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। दीवान ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि वे एक समान प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जो घर खरीदारों के विभिन्न मुद्दों का ध्यान रखेगा।

घर खरीदारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें आशंका है कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को लिक्विडेशन (परिसमापन) के लिए भेजा जा सकता है, जिससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। इस पर, पीठ ने कहा कि भले ही कंपनी को परिसमापन के लिए एनसीएलएटी के पास भेजे लेकिन शीर्ष अदालत के पास घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पर्याप्त व पूर्ण अधिकार हैं।

वकील ने यूनिटेक घर खरीदार मामले का उल्लेख किया जहां सरकार ने हाल ही में संकेत दिया कि वह रुकी हुई परियोजनाओं का अधिग्रहण कर सकती है और कहा कि जेपी मामले में भी घर खरीदारों को इसी तरह की राहत दी जा सकती है। इस पर, पीठ ने कहा कि पक्षकारों द्वारा किया गया कोई भी नया संशोधित या ताजा प्रस्ताव एनसीएलएटी के समक्ष आ सकता है।

शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई को केंद्र से लाखों ऐसे घर खरीदारों की समस्याओं को हल करने के लिए 'एक समान प्रस्ताव' पेश करने को कहा था, जो बिल्डरों को भारी रकम चुकाने के बावजूद अब तक अपने फ्लैटों का कब्जा हासिल नहीं कर सके हैं। शीर्ष अदालत जेआइएल से संबंधित एक घर खरीदार के मामले पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा लाखों फ्लैट खरीदारों से जुड़ा हुआ है और केंद्र को इसका समाधान करने के लिए एक ठोस प्रस्ताव देना चाहिए।

वैश्विक बाजारों में तेजी से सूचकांक 266 अंक मजबूत

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा)।

बीएसई सूचकांक में हाल की गिरावट पर विराम लगा और वैश्विक बाजार में मजबूत रुख के बीच धातु, वाहन और वित्तीय कंपनियों के शेयरों की अगुआई में बीएसई सूचकांक गुरुवार को 266 अंक मजबूत हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के इस महीने के अंत में नीतिगत दर में कटौती के संकेत से वैश्विक बाजारों की धारणा मजबूत हुई है।

कारोबार के दौरान 335 अंक चढ़ने के बाद 30 शेयरों वाला सूचकांक 266.07 अंक यानी 0.69 फीसद मजबूत होकर 38,823.11 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक ऊंचे में 38,892.50 व नीचे में 38,631.31 तक गया। इसी प्रकार नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 84 अंक यानी 0.73 फीसद की बढ़त के साथ 11,582.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 11,519.50 अंक से 11,599 के दायरे में रहा।

वैश्विक बाजारों को पावेल के बयान से बल मिला। उन्होंने संसद की एक समिति के समक्ष बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक विभिन्न चुनौतियों के बीच वृद्धि को गति देने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। निवेशक इसी महीने में फेडरल रिजर्व की तरफ से नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। सूचकांक के शेयरों में हीरो मोटो कार्प सर्वाधिक लाभ में रहा। यह 4.46 फीसद मजबूत हुआ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता, एसबीआइ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी 3.63 फीसद तक मजबूत हुए। वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, यस बैंक, टीसीएस, एलएंडटी, एक्सिस बैंक व एनटीपीसी 1.27 तक नीचे आए।

मजबूत वैश्विक रुख से सोना 930 रुपए महंगा

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

मजबूत वैश्विक रुख से दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 930 रुपए उछल कर 35,800 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, औद्योगिक इकाइयों व सिक्का निर्माताओं के उठाव बढ़ने से चांदी भी 300 रुपए बढ़कर 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के नीतिगत ब्याज दर में कटौती के संकेतों से निवेशकों ने सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों का रुख किया।

कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक रुख के अलावा स्थानीय आभूषण कारोबारियों की मांग आने से भी सोने को समर्थन मिला। इस बीच न्यूयार्क में सोना हाजिर 1,420.80 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी बढ़कर 15.24 डॉलर प्रति औंस पर रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.9 फीसद और 99.5 फीसद शुद्धता वाला सोना 930-930 रुपए मजबूत होकर 35,800 रुपए और 35,630 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। आठ ग्राम वाली गिन्नी भी 100 रुपए बढ़कर 27,400 रुपए प्रति इकाई पर पहुंच गई। इसी प्रकार चांदी हाजिर 300 रुपए बढ़कर 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम और साप्ताहिक डिलिवरी 356 रुपए बढ़कर 38,356 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। हालांकि, चांदी सिक्का लिवाल और बिकवाल 81,000 रुपए और 82,000 रुपए प्रति सैकड़ा पर स्थिर रहा।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च प्रमुख हरीश वी ने कहा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की टिप्पणी के बाद डॉलर में कमजोरी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

एअरएशिया मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करते हुए अंतराष्ट्रीय उड़ान अधिकार हासिल करने की एअरएशिया इंडिया की कोशिश के दौरान एअरलाइन की कथित लॉबिंग के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआइ को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी की एक याचिका खारिज कर दी जिसके जरिए उन्होंने एअरलाइन की अर्जी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने जांच एजंसी को एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और इस मामले को अंतिम निपटारे के लिए 26 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया गया। यह अर्जी एक पहले से लंबित याचिका में दायर की गई और इसमें एअरएशिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को केंद्र द्वारा दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि फरवरी 2014 में एक अंतरिम आदेश में स्वामी को इसी तरह की एक राहत देने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि अदालत के पास सरकार की आर्थिक नीतियों पर फैसला करने की शक्ति नहीं है। एअरएशिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह और मलेशिया की कंपनी एअरएशिया बरहद का एक संयुक्त उद्यम है। एअरएशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान अधिकार देने के मुद्दे पर सरकार ने कहा था कि वह इस विषय पर सभी पहलुओं और नियमों तथा निर्धारित नीति पर विचार करने के बाद कोई फैसला करेगी। सरकार ने दलील दी कि स्वामी की अर्जी में कोई ठोस आधार नहीं है और यह खारिज किए जाने लायक है।

एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार प्रतिबद्ध : पुरी

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए वह प्रतिबद्ध है और इस काम में पूर्व में सफलता नहीं मिलने को ध्यान में रखते हुए कई चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिह पुरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए सदन में कहा कि पिछली बार विनिवेश में हमें सफलता नहीं मिल पाई। पिछली बार की कमियों को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। इस बार हमें विनिवेश में सफलता मिलने का विश्वास है। पुरी ने कहा कि एअर इंडिया के विनिवेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह भारतीय हाथों में रहे। कोई भारतीय इकाई ही इसे चलाए। उन्होंने कहा- मैं यह नहीं कह रहा कि कौन होगा। जो प्रणाली बनी है उसमें यह तय होगा। पुरी ने यह भी बताया कि एअर इंडिया के पास कुछ महत्त्वपूर्ण कलाकृतियां हैं जिन्हें मॉडर्न आर्ट गैलरी के सुपुर्द किया जाएगा। एअर इंडिया के घाटे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां तक घरेलू उड्डयन बाजार की बात है तो केवल एयर इंडिया नहीं बल्कि लगभग सभी विमानन कंपनियां घाटे में हैं।

एक प्रश्न के लिखित जवाब में पुरी ने कहा कि 31 मई 2018 को आखिरी तारीख तक एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होने पर, एअर इंडिया के लिए विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआइएसएएम) ने 18 जून 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कई निर्णय लिए।

इनमें गैर-महत्त्वपूर्ण भूमि और भवन संपत्तियों का मौद्रीकरण करना शामिल है जिन्हें पहले ही चिह्नित किया जा चुका है। जवाब के मुताबिक सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि एअर इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को अंतिम रूप दिया जाए।

अखबारी कागज पर सीमा शुल्क वापस लेने की मांग की राज्यसभा सदस्य ने

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

राज्यसभा में केरल से निर्दलीय सदस्य एमपी वीरेंद्र कुमार ने आम बजट में अखबारी कागज पर सीमा शुल्क 10 फीसद लगाए जाने के प्रावधान को वापस लेने की गुरुवार को मांग करते हुए कहा कि इस कदम से पहले ही मुश्किलों में घिरे प्रिंट मीडिया पर दबाव बढ़ेगा। राज्यसभा आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अखबारी कागज पर लगाई गई सीमा शुल्क की यह सबसे अधिक दर है।

कुमार ने उच्च सदन में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इससे प्रिंट मीडिया उद्योग पर नकारात्मक असर होगा। उन्होंने दलील दी कि सीमा शुल्क बढ़ने से प्रकाशन की लागत बढ़ने के कारण विभिन्न कारणों से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे छोटे और मध्यम दर्जे के अखबारों का घाटा न सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि इनके समक्ष बंद होने का खतरा भी गहरा जाएगा।

कुमार ने कहा कि 2009 तक अखबारी कागज पर सीमा शुल्क नहीं लगता था। इसे अब तक के सर्वाधिक, 10 फीसद के स्तर पर लाने के बहुआयामी प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू स्तर पर अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने की मजबूरी के कारण अधिक पेड़ों की कटाई होगी, जिससे पर्यावरण का संकट गहराएगा।

भीड़ हिंसा रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिश

उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रस्तावित विधेयक का मसविदा मुख्यमंत्री को सौंपा

लखनऊ, 11 जुलाई (भाषा)।

पिछले दिनों भीड़ हिंसा की घटनाओं (गाय को लेकर हुई हिंसा) के मद्देनजर राज्य विधि आयोग ने सलाह दी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। आयोग ने एक प्रस्तावित विधेयक का मसविदा भी तैयार किया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) एएन मित्तल ने भीड़ हिंसा पर अपनी रिपोर्ट और प्रस्तावित विधेयक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुधवार को सौंपा।

आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने गुरुवार को कहा, 'ऐसी घटनाओं के मद्देनजर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भीड़तंत्र की हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार को विशेष कानून बनाने की सिफारिश की है।' मुख्यमंत्री को सौंपी गई 128 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में राज्य में भीड़तंत्र द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विशेष कानून बनाया जाएं। आयोग का मानना है कि भीडतंत्र की हिंसा को रोकने के लिए वर्तमान कानून प्रभावी नही है, इसलिए अलग से सख्त कानून बनाया जाए।

आयोग ने सुझाव दिया है कि इस कानून का नाम उत्तर प्रदेश कॉबेटिंग ऑफ मॉब लिचिंग एक्ट रखा जाए और अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी किया जाए। भीड़ हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का भी सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के शिकार व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायलों के साथ ही संपत्ति नुकसान के लिए भी मुआवजा मिले। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के पुनर्वास और संपूर्ण सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2019 तक ऐसी 50 घटनाएं हुई जिनमें 50 लोग हिंसा का शिकार बने, इनमें से 11 लोगों की हत्या हुई जबकि 25 लोगों पर गंभीर हमले हुए हैं। इसमें गाय से जुड़ी हिंसा के मामले भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस विषय पर अभी तक मणिपुर राज्य ने पृथक कानून बनाया है जबकि मीडिया की खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर जल्द अलग से कानून लाने वाली है।रिपोर्ट में राज्य में भीड़ हिंसा के अनेक मामलों का हवाला दिया गया है। जिसमें 2015 में दादरी में अखलाक की हत्या, बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को खेत में जानवरों के शव पाए जाने के बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच हुई हिंसा के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या जैसे मामले शामिल है। आयोग के अध्यक्ष का मानना है कि भीड़तंत्र के निशाने पर अब पुलिस भी है। न्यायमूर्ति मित्तल ने रिपोर्ट में कहा है कि भीड़-तंत्र की उन्मादी हिंसा के मामले फर्रूखाबाद, उन्नाव, कानपुर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी सामने आए हैं। उन्मादी हिंसा के मामलों में पुलिस भी निशाने पर रहती है और मित्र पुलिस को भी जनता अपना शत्रु मानने लगती है।

भाजपा ने चैंपियन को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 11 जुलाई।

भाजपा ने विवादित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अनिश्चितकाल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। एक महीने पहले ही पार्टी ने उन्हें तीन महीने के लिए निलंबित किया था। लेकिन अब उनका विवादित वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने उन्हें इस आशय की चिट्ठी भेजी। साथ ही उन्हें गोयल ने उन्हें चिट्ठी भेजकर पूछा है कि क्यों न उन्हें हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि पार्टी ने चैंपियन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चैंपियन को पार्टी से स्थायी रूप से निष्कासित करने की सिफारिश की है।

चैंपियन शुरू से ही विवादों में रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार के दौरान चैंपियन ने मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर एक भोज के दौरान गोली चला दी थी। गोली कांग्रेस के नेता विवेकानंद खंडूड़ी के पैर में लगी थी और वे घायल हो गए थे। तब यह मामला रफा-दफा कर दिया गया था। दो साल पहले उन्होंने रुड़की में एक होटल मालिक पर फायर कर दिया था। इस तरह चैंपियन अपनी हरकतों से हमेशा विवाद में रहे हैं।

ऑनलाइन मिलेगी कैदियों की बनाई लजीज बिरयानी

त्रिशूर (केरल), 11 जुलाई (भाषा)।

ऑनलाइन फूड बाजार की लोकप्रियता को भुनाने के प्रयास में केरल जेल प्रशासन ने गुरुवार को कैदियों द्वारा बनाई गई गरमागरम लजीज बिरयानी ऑनलाइन बेचने की पहल की। इसके पहले चरण में 127 रुपए कीमत का बिरयानी कॉम्बो ऑनलाइन बेचने की योजना है।

कॉम्बो यानी संयोजन में 300 ग्राम बिरयानी वाले चावल, एक भुना हुआ चिकन लेग पीस, तीन रोटियां, एक कप केक, सलाद, अचार और एक लीटर पानी की बोतल दी जाएगी। साथ ही बिरयानी खाने के लिए केले का पत्ता भी दिया जाएगा। वियूर केंद्रीय कारागार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी, जहां बिरयानी बनाई जा रही है।

जेल अधिकारियों ने केंद्रीय जेल के परिसर से बिरयानी देने के लिए ऑनलाइन फूड मुहैया कराने वाली कंपनी स्विग्गी के साथ करार किया है। केरल की जेलों में कैदियों द्वारा तैयार भोजन बेचने की कंपनी 'फ्रीडम फूड फैक्ट्री' साल 2011 से इस उद्योग में शामिल है।

वियूर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक निर्मलानंदन नायर ने बताया, 'हम पहली बार ऑनलाइन खाना बेचने जा रहे हैं।' उन्होंने बताया, 'हमने साल 2011 में रोटियां बनानी और बेचनी शुरू की थी। वियूर केंद्रीय कारागार ने वाणिज्यिक रूप से रोटियां बनाना शुरू किया था। जेल के डीजीपी ऋषिराज सिंह ने ऑनलाइन खाना बेचने का सुझाव दिया था।' जेल का खाना अपनी गुणवत्ता और कम कीमत के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय है।

उन्होंने कहा, 'हम पहले ही वियूर जेल से कई तरह की बिरयानी, शाकाहारी व्यंजन, बेकरी के सामान बेच रहे हैं। लेकिन इस बार हमने ऑनलाइन जाने और शुरुआत में बिरयानी कॉम्बो बेचने का फैसला किया है।'

नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई

सिर्फ 32 दिनों की सुनवाई में फैसला

भोपाल, 11 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश में नाबालिग बालिका से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में भोपाल की एक अदालत ने मात्र 32 दिन की सुनवाई के बाद एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

मध्य प्रदेश अभियोजन के जनसंपर्क अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने गुरुवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी बिष्णु बामोरे को दोषी करार देते हुए हत्या (भादवि की धारा 302) और 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म (धारा 376 एबी) मामलों में दो अलग-अलग धाराओं के अधीन फांसी की सजा सुनाई है।

भदौरिया ने बताया कि दोषी को बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए आजीवन करावास की भी सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि भोपाल और सागर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किए गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर बामोरे को दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही अभियोजन के पक्ष में 30 गवाहों अदालत में बयान दिए। भोपाल के कमला नगर इलाके में आठ जून को अपने घर से बाहर खरीददारी करने गई लड़की लापता हो गई थी। उसका शव अगले दिन सुबह इलाके में एक नाले के पास मिला। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 10 जून को बामोरे को खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से गिरफ्तार किया था।

जरूरत से अधिक योग्य महिला का आवेदन खारिज

चेन्नई, 11 जुलाई (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा कि उसकी योग्यता जरूरत से अधिक है।

न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आर लक्ष्मी प्रभा की अर्जी खारिज कर दी, जिसने ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए अपना आवेदन खारिज करने के सीएमआरएल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा थी लेकिन महिला बीई स्नातक थी। न्यायाधीश ने सीएमआरएल के विज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता जरुरत से अधिक हैं वे रोजगार का दावा करने के हकदार नहीं हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, 'इस मामले में न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है और यह भी उल्लेख किया गया है कि जरुरत से अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें।'

ओ.बी.सी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
लार्ज कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कॉनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-49191101,49191134,49191135,49191139, फैक्स: (011) 23417236

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी (धरोहर जमा राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 29-07-2019 को सांय 4.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसुली हेतु **"जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर"** उसको बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन **(सरफेसी)** अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साईट: **www.bankeauctionwizard.com** में प्रदान किये गये ई-नीलामी लिंक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाऐगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार्स और गारंटर्स का नाम एवं पता मांग सूचना के अनुसार कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय
1. मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि.(कर्जदार), 2883/17, रिजन्ट टॉवर, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005 2. श्री सुरेश वर्मा (निदेशक / गारंटर) पुत्र श्री राम कुमार वर्मा ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 3. श्री अशोक वर्मा (निदेशक / गारंटर), पुत्र स्वं श्री प्रकाश चंद वर्मा, ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 4. श्रीमती अमिता वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री सुरेश वर्मा, ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 5. श्री विजय कुमार (बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री मनी राम, ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 6. श्रीमती पूजा वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री प्रदीप कुमार, डब्ल्यूजेड-1945बी, रानी बाग, दिल्ली-110034 7. मैसर्स अष्टविनायक ज्वैलर (प्रा.) लि. (कॉरपोरेट गांरटर), 177-178, मेन मार्किट, काठमंडी, ओल्ड बस स्टैण्ड के पास, चरखी दादरी, भिवानी, हरियाणा-127021 8. मैसर्स रचना डॉयमण्ड हाऊस प्रा. लि. (कॉरपोरेट गरंटर) 3324, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, दिल्ली-110005	1. व्यवसायिक दुकान नं. 7, प्रथम तल, गोल्ड साउक, मॉल, ब्लॉक-सी, सुशांत लोक-I, गुडगॉंव, हरियाणा में स्थित हैं, यह सम्पत्ति मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1,241 वर्ग फीट	22-07-2019 पूर्वा. 11.30 से अपा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.59 करोड़ ₹ 15.90 लाख ₹ 1.00 लाख	31-07-2019 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)
	2. दुकान नं 6 और 7, वैडिंग साउक माल, पीतमपुरा, दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1,152 वर्ग फीट (577+575)	24-07-2019 पूर्वा. 11.30 से अपा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.40 करोड़ ₹ 14.00 लाख ₹ 1.00 लाख	
	3. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 8570, भूतल, प्लॉट नं. 6, ब्लॉक-54, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। यह सम्पत्ति मैसर्स रचना डॉयमण्ड हाऊस प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1105 वर्ग मी. / निर्मित क्षेत्रफल 4753 वर्ग फीट	23-07-2019 पूर्वा. 11.30 से अपा. 4.00 बजे के बीच	₹ 20.67 करोड़ ₹ 2.10करोड़ ₹ 3.00 लाख	
	4. व्यवसायिक दुकान नं. ए-19-20, (क्षेत्रफल सुपर एरिया 1586.54 वर्ग फीट) (794.10 + 792.44), मित्तल मेगा मॉल, सैक्टर-25, पानीपात, हरियाणा में स्थित हैं, यह सम्पत्ति श्री सुरेश वर्मा के नाम पर है।	26-07-2019 पूर्वा. 11.30 से अपा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.19 करोड ₹ 11.90 लाख ₹ 1.00 लाख	
	5. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 3168-64, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 99, ब्लॉक-पी, गली नं. 32-33, बिडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली में स्थित हैं, यह सम्पत्ति श्री अनिता वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट	23-07-2019 पूर्वा. 11.30 से अपा. 4.00 बजे के बीच	₹ 2.35 करोड ₹ 23.50 लाख ₹ 2.00 लाख	
	6. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 3162-64, तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. 99, ब्लॉक-पी, गली नं. 32-33, बिडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली में स्थित हैं, यह सम्पत्ति सुश्री अनीता वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट	23-07-2019 पूर्वा. 11.30 से अपा. 4.00 बजे के बीच	₹ 2.09 करोड़ ₹ 20.90 लाख ₹ 2.00 लाख	

बैंकों के नाम	सरफेसी अधिनियम 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सूचना में अंकित बकाया राशि (आईएनआर)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	04.08.2014	58,40,17,587/-
कार्पोरेशन बैंक	16.07.2014	25,23,30,122.66
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	01.07.2014	24,64,17,494/-
पंजाब नैशनल बैंक	25.08.2014	26,71,50,113.17 + दिनांक 01.08.2014 से ब्याज
केनरा बैंक	12.08.2014	15,53,39,906/-
द सारस्वत को-ओपरॉटिव बैंक लि.	08.08.2014	27,19,61,313.59
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	01.02.2015	29,81,86,803.72
लक्ष्मी विलास बैंक	09.05.2015	11,43,99,183.57
	कुल	**218,98,02,523.71** साथ में लागू भविष्य का ब्याज और अन्य खर्चे

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण A/c No. 00071181000141, E-auction under SARFAESI- A/c M/S Diamond Hut India Pvt. Ltd., IFSC Code - ORBC0100007

नियम व शर्तें

1. **ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।**
2. **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 29.07.2019 को सांय 4.00 बजे तक है।**
3. **प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावें/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।**
4. **रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त सभी सम्पत्तियां फ्री होल्ड सम्पत्तियां है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।**
5. इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए **अन्तरेस सिस्ट्म लि., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री सचिन, मो. 9555926408, श्री कुशल बोस, मो. 7686913157, श्री पुष्पराज – मो. 7503347659,** ईमेल : **sachin@antaressystems.com, pushpraj@antaressystems.com और सम्पत्ति से संबधित जानकारी हेतु श्री विजय बिहारी प्रसाद, 011-49191121, मुख्य प्रबंधक, 011-49191121, श्री एच एस फिलिप, (प्राधिकृत अधिकारी), श्री किरणजीत कुमार, प्रबंधक, 011-49191134/ 35/36, ई-मेल: bm0007@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।**
6. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि, के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर)।
7. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
8. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण / रूपांतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, दरों, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
9. उपरोक्त बंधक सम्पत्तियों जो कि ई-नीलामी में लगी है की निलामी असफल होने की स्थिती में नियमानुसार बैंक प्राईवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और www.bankeauctionwizard.com देखें)

दिनांक 12.07.2019, स्थान : नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**

ओएनजीसी ONGC

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 5ए, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
सीआईएन सं.: एल74899डीएल1993जीओआई054155 | दूरभाष सं.: 011-26752011/26752074, फैक्स सं.: 011-26750991/ 26129091

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

64 सीमांत नामांकन तेल एवं गैस क्षेत्रों से अधिक से अधिक वसूली करने के लिए इन क्षेत्रों से तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने हेतु

ओएनजीसी 17 अभितटीय संविदा क्षेत्रों जिसमें कुल इन-प्लेस 300 एमएमटीओई परिमाण के तेल + तेल समतुल्य गैस वाले 64 तेल एवं गैस क्षेत्र शामिल हैं

मुख्य विशेषताएं

- प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से सन्निकट आधार पर तेल एवं गैस की बिक्री करने की पूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता।
- राजस्व साझीदारी मॉडल आधारित संविदा को संचालित करना सरल है।
- संविदाकारों का चयन राजस्व साझीदारी आधार पर किया जाएगा। राजस्व की साझीदारी सामान्य कारोबार (बीएयू) परिदृश्य के तहत बेसलाइन उत्पादन से अधिक वृद्धिशील उत्पादन पर की जाएगी।
- 5 वर्ष के विस्तार विकल्प के साथ 15 वर्षों की संविदा अवधि।
- बीएयू परिदृश्य से अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा के लिए अधिशुल्क दर में 10 प्रतिशत की कमी।
- हाईड्रोकार्बन अन्वेषण अधिकार सहित संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण अनुमति।
- संविदाकारों को ओएनजीसी द्वारा पहले से खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रतिबद्ध वृद्धिशील उत्पादन से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ओएनजीसी ई-खरीद पोर्टल https://etender.ongc.co.in के माध्यम से बोलियां आमंत्रित कर रहा है।

निविदा सं.: ZNSAC19007

- डेटा का अध्ययन करने के इच्छुक बोलीदाता फील्ड सूचना डॉकेट और डेटा पैकेज खरीद सकते हैं।
- इच्छुक कंपनियां 15 जुलाई 2019 से कुंड अध्ययन संस्थान (आईआरएस), ओएनजीसी, अहमदाबाद में डेटा अवलोकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- बोली पूर्व सम्मेलन 17 सितंबर 2019 को आयोजित किया जाएगा।

आएं और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के ई एंड पी सेक्टर में निवेश करें।

ओएनजीसी कंपनी समूह
सहायक कंपनी — Petronet MHB Limited, OPAL, TPC, MSEZ, IGGL — संयुक्त उद्यम — Pawan Hans Limited — सहयोगी कंपनी

आंध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)
विशिष्ट संपत्ति रिकवरी प्रबंधक शाखा (एसएआरएम)
प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23418746, 23418750, ई-मेल: bm3102@andhrabank.co.in

बिकी के विषय में ऋणधारकों को अवगत कराने के लिए सूचना (30 दिनों की सूचना) {प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2)/8(6)}

की ओर से: **श्री दीपक सिह,** प्राधिकृत अधिकारी, आंध्रा बैंक (2002 के अधिनियम 54 के अन्तर्गत) एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली

सेवा में, **ऋणधारकः मैसर्स डॉल्फिन सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड,** सुश्री जैबा उर्फी (निदेशक) एवं सुश्री जैबून निशा (निदेशक), प्लॉट नं. बी-155, सैक्टर-63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (यू.पी.) यहां भीः तीसरा तल, 16, कम्यूनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

बंधककर्ता/गारंटर(ओं):
(I) सुश्री जैबा उर्फी, ई-236, दूसरा तल, ग्रैटर कैलाश-I, नई दिल्ली.
(II) सुश्री जैबून निशा, सी-104, दूसरा तल, कालकाजी, नई दिल्ली

विषयः वित्तीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (2002 के अधिनियम 54) के अन्तर्गत आंध्रा बैंक के बकाया राशि की वसूली के लिए आपकी सम्पति की बिक्री

जैसा कि धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना तिथि **19.07.2014** के माध्यम से मेरे/बैंक द्वारा मांग किए जाने के बावजूद आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहें। मैंने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में **29.10.2014** को नीचे वर्णित सम्पति का कब्जा कर लिया है।

सम्पत्ति का कब्जा किए जाने के बावजूद आपने आंध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार, इस सुचना की तिथि से 30 दिनो के बाद ई-नीलामी आमंत्रण द्वारा **(1) रु. 5,25,00,000/- (रुपए पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र),** की आरक्षित मूल्य से ऊपर नीचे वर्णित सम्पत्ति का बिक्री करना आवश्यक हो गया है।

नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता के विवरणों की सुचना बिक्री सुचना द्वारा दी जाएगी जो अलग से जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोली प्रस्तावक व्यक्ति को की जाएगी।

चूँकि, बैंक द्वारा इच्छुक क्रेताओं को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन सम्पत्ति की बिक्री निजी संधि अथवा व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जा सकती है, यदि निजी संधि अथवा कोटेशन प्राप्त कर संपत्ति को बेचने का आपके पास कोई प्रस्ताव हो, आप इस पत्र/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर मुझे उसकी सूचना दें।

अन्यथा यह माना जाएगा कि आपके पास ऐसा काई प्रस्ताव नहीं हैं तथा हम ई-नीलामी आमंत्रण द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की कार्यवाही करेंगें।

कृपया ध्यान रहें की यदि आप परिभूति परिसम्पत्तियों की पट्टा, असाइनमेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के लिए सार्वजनिक नीलामी अथवा जनता से कोटेशन या निविदा आमंत्रित कर या निजी संधि के लिए सुचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व इस तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत तथा खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज सहित मांग सूचना तिथि **19.07.2014** में निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर देतें हैं तो अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी {अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार विमोचन का अधिकार उपलब्ध है}।

संपत्ति की अनुसूची
अचल संपत्ति
अचल संपत्ति का विवरण

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य
1.	प्लॉट नं. बी-155, सैक्टर-63, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति पर निर्मित भूमि व भवन (व्यावसायिक) के सभी भाग व अंश, माप क्षेत्र 950 वर्ग मी., जो कि मैसर्स डॉल्फिन सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड के नाम से है **चौहद्दीः उत्तर-पूर्वः** प्लॉट नं. 156, **उत्तर-पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **दक्षिण-पूर्वः** 30 मी. चौड़ी सड़क, **दक्षिण-पश्चिमः** प्लॉट नं. बी-154	रु. 5,25,00,000/- (रुपए पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(यह संपत्ति मूल रूप से मैसर्स डॉल्फिन सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के खाते में गिरवी है और मैसर्स होराइजन सॉल्यूशन के खाते में भी विस्तारित है)।

दिनांकः 01.07.2019
स्थानः नई दिल्ली

दीपक सिंह
मुख्य प्रबंधक
प्राधिकृत अधिकारी
आंध्रा बैंक

दिलचस्प आंकड़े

रन	21923	सबसे ज्यादा रन	रोहित शर्मा
विकेट	656		
छक्के	353	उच्चतम स्कोर	डेविड वार्नर
अर्धशतक	112		

सेमी फाइनल में हार के बाद भारतीय मध्यक्रम में व्यापक बदलावों की संभावना

लंदन, 11 जुलाई (भाषा)।

विश्व कप सेमी फाइनल में हार के बाद भारत के कमजोर मध्यक्रम में आमूलचूल बदलाव की संभावना है। ऐसे में अगले साल होने वाले विश्व टी-20 को ध्यान में रखते हुए केदार जाधव और दिनेश कार्तिक जैसे कामचलाऊ विकल्पों को टीम से बाहर किया जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने जब से कप्तानी संभाली थी तब से एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप के लिए कम से कम दो साल और टी-20 के लिए लगभग 18 महीने पहले से टीम तैयार करने की नीति चल रही है। सीमित ओवरों का भारत का अगला बड़ा टूर्नामेंट आस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाला विश्व टी-20 होगा जो चार साल बाद हो रहा है।

एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली चयन समिति बीसीसीआइ के चुनाव होने तक प्रभारी रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि बदलाव के दौर में भी यही समिति जिम्मेदारी संभालेगी जिसमें अगले 14 महीने में ध्यान सबसे छोटे प्रारूप पर अधिक होगा। जाधव और कार्तिक जैसे कामचलाऊ खिलाड़ियों की मौजूदगी वाला भारत का कमजोर मध्यक्रम उपमहाद्वीप के बाहर के हालात में दबाव की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं था। यह मौजूदा टीम की सबसे बड़ी कमजोरी थी और विश्व कप सेमी फाइनल जैसे नतीजे की आशंका सभी को थी।

रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल का7 एक साथ बुरा दिन होने क ा खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा और इससे भी निराशाजनक यह रहा कि ऐसा नॉकआउट मैच में हुआ। चैपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में हार के बाद भारत की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम के कोर खिलाड़ी चुन लिए गए थे। कोच रवि शास्त्री और कप्तान कोहली ने दो कलाई के स्पिनरों पर मैच विजेता के रूप में भरोसा किया था। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने विश्व कप में काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में इनका प्रदर्शन शानदार रहा।

विश्व कप ही नहीं बल्कि इससे दो साल पहले से ही भारत के पास कोई प्लान बी नहीं था। हालांकि कोहली और रोहित की बेहतरीन फॉर्म ने बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर नहीं होने दिया। महेंद्र सिंह धोनी की डेथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता में गिरावट आई है जबकि हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी में अधिक प्रभावित नहीं कर पाए। मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके दिए बिना ही विश्व कप की योजनाओं से बाहर कर दिया गया। भारत के भविष्य के बल्लेबाज माने जा रहे शुभमन गिल को न्यूजीलैंड में दो मैचों में मौका दिया गया लेकिन इसके बाद टीम से बाहर कर दिया गया।

दिनेश कार्तिक

केदार जाधव

मंथन

विश्व कप ने हालांकि सबक दिया कि कार्तिक और जाधव जैसे खिलाड़ी कभी कभार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं लेकिन इन पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। कार्तिक के पास इंग्लैंड के हालात में खेलने वाला खेल नहीं था और उनके विकेटकीपिंग कौशल के कारण उन्हें टीम के साथ रखा गया। जाधव भी डेथ ओवरों में तेजी से रन बटोरने में सक्षम नहीं थे और पैर की मांसपेशियों में लगातार चोट के बावजूद उन पर बार-बार भरोसा किया गया। धोनी के खेल का अगर प्रभाव देखना है तो इसके लिए दूसरे छोर पर जडेजा या पंड्या जैसा बल्लेबाज चाहिए जो तेजी से रन जुटाने में सक्षम हो।

टीम ने हालांकि जाधव और कार्तिक जैसे टुकड़ों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेषज्ञ बनाने का प्रयास करने की गलती की। भारत की पांच सदस्यीय चयन समिति को कुल मिलाकर 20 टैस्ट खेलने का भी अनुभव नहीं है। यह समिति सही आकलन नहीं कर पाई कि वे आखिर चाहते क्या हैं क्योंकि उसे ऐसे खिलाड़ी चुनने होंगे जिसके साथ कप्तान सहज हो।

27 साल बाद इंग्लैंड फाइनल में

विश्व कप : सेमी फाइनल-2

आस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराया

बर्मिंघम, 11 जुलाई (भाषा)।

मेजबान इंग्लैंड ने खेल के हर विभाग में उम्दा प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को दूसरे सेमी फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलिया को 107 गेंद शेष रहते आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। इससे सुनिश्चित हो गया कि क्रिकेट को इस बार नया विश्व चैंपियन मिलेगा। मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवर में 223 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की तरफ से जैसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 124 रन जोड़े। बाद में जोए रूट और कप्तान इयोन मोर्गन ने तीसरे विकेट के लिए 79 रन की अटूट साझेदारी निभाई। इससे इंग्लैंड ने 32.1 ओवर में दो विकेट पर 226 रन बनाकर आसान जीत के साथ चौथी बार और 27 साल में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। यह पहला अवसर है जब पांच बार का चैंपियन आस्ट्रेलिया सेमी फाइनल में पराजित हुआ। इंग्लैंड फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा जिसने पहले सेमी फाइनल में भारत को 18 रन से हराया था।

इससे पहले क्रिस वोक्स और आदिल राशिद की अगुआई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया को 223 रन पर ढेर कर दिया। आस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम शुरू में ही लड़खड़ा गया और एक समय उसका स्कोर तीन विकेट पर 14 रन था। स्टीवन स्मिथ ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 103 रन जोड़े। नौवें नंबर के बल्लेबाज मिशेल स्टार्क ने भी स्मिथ का अच्छा साथ दिया। जोफ्रा आर्चर और वोक्स ने आस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम थर्राया तो लेग स्पिनर राशिद ने मध्यक्रम लड़खड़ाया। आर्चर और वोक्स ने शुरू में घातक गेंदबाजी का शानदार नजारा पेश किया और आस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम लड़खड़ाकर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के उसके फैसले को गलत साबित कर दिया। आर्चर की पहली गेंद ही इनस्विंगर थी जिस पर उन्होंने कप्तान आरोन फिंच को 'गोल्डन डक' बनाया। फिंच ने पगबाधा के लिए डीआरएस लेकर आस्ट्रेलिया का रेफरल भी खराब कर दिया। वोक्स ने अगले ओवर में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर को स्लिप में जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराया। वार्नर अचानक उठती गेंद पर शॉट लगाने को लेकर गफलत में पड़ गए थे। इस विश्व कप में पहली बार खेल रहे पीटर हैंडसकांब शुरू से असहज दिखे। वोक्स ने उनके बल्ले और पैड के बीच से गेंद निकालकर विकेट उखाड़ा।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड के कप्तान ईयोन मोर्गन।

स्कोर बोर्ड

आस्ट्रेलिया : डेविड वार्नर का बेयरस्टो बो वोक्स 09, आरोन फिंच पगबाधा बो आर्चर 00, स्टीवन स्मिथ रन आउट 85, पीटर हैंडसकांब बो वोक्स 04, एलेक्स कैरी (का सब विन्से) बो राशिद 46, मार्कस स्टोइनिस पगबाधा बो राशिद 00, ग्लेन मैक्सवेल का मोर्गन बो आर्चर 22, पैट कमिंस का रूट बो राशिद 06, मिशेल स्टार्क का बटलर बो वोक्स 29, जैसन बेहरनडोर्फ बो वुड 01, नाथन लियोन नाबाद 05, गेंदबाजी : वोक्स 8-0-20-3, आर्चर 10-0-32-2 स्टोक्स 4-0-22-0 वुड 9-0-45-1, प्लंकेट 8-0-44-0, राशिद 10-0-54-3

इंग्लैंड : जैसन रॉय का कैरी बो कमिंस 85, जॉनी बेयरस्टो पगबाधा बो स्टार्क 34, जोए रूट नाबाद 49, इयोन मोर्गन नाबाद 45,,गेंदबाजी : बेहरनडोर्फ 8.1-2-38-0, स्टार्क 9-0-70-1, कमिंस 7-0-34-1, लियोन 5-0-49-0, स्मिथ 1-0-21-0, स्टोइनिस 2-0-13-0

विशेषज्ञों की राय : धोनी को सातवें नंबर पर उतारना भारी चूक

मैनचेस्टर, 11 जुलाई (भाषा)।

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमी फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी को सातवें नंबर पर उतारने को भारी चूक करार दिया है। उन्होंने कहा कि धोनी को सातवें नंबर पर उतारकर टीम ने बड़ी गलती की। हार्दिक पंड्या और दिनेश कार्तिक को धोनी से पहले भेजा गया जब भारत के चार विकेट 24 रन पर निकल गए थे।

लक्ष्मण ने कहा कि धोनी को पंड्या से पहले भेजा जाना चाहिए था। यह भारी तकनीकी चूक थी। धोनी को दिनेश कार्तिक से पहले आना चाहिए था। 2011 में वह युवराज सिंह की जगह चौथे नंबर पर आए और विश्व कप जिताया। गांगुली ने कहा कि बात सिर्फ धोनी की बल्लेबाजी की नहीं बल्कि दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाजों पर उनके प्रभाव की भी थी। ऋषभ पंत और पंड्या खराब शॉट खेलकर आउट हुए।

उन्होंने कहा कि भारत को उस समय अनुभव की जरूरत थी। पंत के क्रीज पर रहने के समय धोनी साथ होते तो उन्हें हवा के विपरीत वह शॉट नहीं खेलने देते। इंग्लैंड में यह काफी अहम है। उन्होंने कहा कि धोनी को ऊपर भेजना चाहिए था। आपको उनके शांत स्वभाव की उस समय जरूरत थी। वह रहते तो ऐसे विकेट नहीं गिरते। जडेजा की बल्लेबाजी के समय धोनी थे और दोनों का तालमेल गजब का था। सातवें नंबर पर धोनी को भेजना गलत था।

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सवाल यह है कि ऐसे हालात में क्या आपको अनुभव के आधार पर धोनी को ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। आखिर में वह लगातार जडेजा से बात करते रहे और हालात उनके नियंत्रण में था। उन्होंने कहा कि हार्दिक की जगह धोनी को ऊपर भेजना चाहिए था। कार्तिक को पांचवें नंबर पर भेजना समझ से परे था। गांगुली ने कहा कि चयनकर्ता पिछले डेढ़ साल में मध्यक्रम का संयोजन नहीं बना सके। हर बार रोहित और विराट पर निर्भर नहीं रह सकते।

लता ने कहा, अभी संन्यास नहीं लें धोनी

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा)।

विश्व कप सेमी फाइनल में हार के बाद भले ही महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट को अलविदा कहने की अटकलें लगाई जा रही हों लेकिन लता मंगेशकर ने उनसे ऐसा नहीं करने की अपील की है। अपने क्रिकेट प्रेम के लिए मशहूर भारत रत्न इस पार्श्वगायिका ने ट्विटर पर लिखा कि देश को धोनी की जरूरत है। बुधवार को न्यूजीलैंड से सेमी फाइनल मैच 18 रन से हारने के बाद भारतीय टीम आइसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 से बाहर हो गई थी।

मंगेशकर ने ट्वीट किया, 'नमस्कार धोनी जी। आज कल मैं सुन रही हूं कि आप रिटायर होना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए। देश को आपके खेल की जरूरत है और ये मेरा भी अनुरोध है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन में मत लाइए।' उन्होंने भारतीय टीम का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि खेल भले ही हम जीत नहीं पाए लेकिन हम हारे नहीं हैं। उन्होंने गुलजार का लिखा गीत 'आकाश के उस पार भी आकाश है' भारतीय टीम को समर्पित किया। लता का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम जब 1983 में विश्व कप जीती थी तब उन्होंने टीम के लिए एक कन्सर्ट का आयोजन किया था। चैंपियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उन्हें मां समान मानते हैं और वह भी रिश्ता इतनी ही शिद्दत से निभाती आई हैं। वह बड़े मैचों में टीम की जीत के लिए शुभकामनाएं देना कभी नहीं भूलतीं। विश्व कप 2011 में वानखेड़े स्टेडियम पर फाइनल में भारत को छक्का लगाकर जीत दिलाने वाले धोनी के बारे में उन्होंने लिखा था,'अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, रजनी, गजनी और धोनी।' उस मैच को देखने के लिए 'गजनी' फेम आमिर खान, सुपरस्टार रजनीकांत भी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे।

"नमस्कार धोनी जी। आज कल मैं सुन रही हूं कि आप रिटायर होना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए। देश को आपके खेल की जरूरत है और ये मेरा भी अनुरोध है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन में मत लाइए।

– लता मंगेशकर

मांजरेकर ने कहा, जडेजा ने सभी मोर्चों पर मुझे धराशायी किया

मैनचेस्टर, 11 जुलाई (भाषा)।

संजय मांजरेकर ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमी फाइनल में रविंद्र जडेजा की प्रतिभा की 'टुकड़ों में मिली बानगी' ने उन्हें सभी मोर्चों पर धराशाई किया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस हरफनमौला ने उन्हें बल्ले, गेंद और फील्डिंग हर पहलू पर गलत साबित कर दिया। आइसीसी के वीडियो में मांजरेकर इयान स्मिथ और नियाल ओब्रायन से बात कर रहे हैं।

फिजियो पैट्रिक फरहाट का भारतीय टीम के साथ कार्यकाल समाप्त

मैनचेस्टर, 11 जुलाई (भाषा)।

भारतीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट पैट्रिक फरहाट का कार्यकाल विश्व कप सेमी फाइनल में टीम की हार के साथ ही खत्म हो गया और उन्होंने बीसीसीआइ को धन्यवाद देकर विदाई ली। फरहाट ने ट्वीट किया,'टीम के साथ मेरा आखिरी दिन वैसा नहीं रहा, जैसा चाहा था। मैं पिछले चार साल टीम के साथ काम करने का मौका देने के लिए बीसीसीआइ को धन्यवाद देता हूं। खिलाड़ियों को और सहयोगी स्टाफ को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फरहाट 2015 से भारतीय टीम के साथ थे।

भारत गीयर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

दूरभाषः +91 (129) 4288888 **फैक्सः** 91 (129) 4288822-23

वेबसाइटः www.bharatgears.com **ई-मेलः** info@bglindia.com

सीआईएनः L29130HR1971PLC034365

वार्षिक आम सभा एवं रिमोट ई-मतदान की जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत गीयर्स लिमिटेड के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) मंगलवार, 06 अगस्त, 2019 को प्रातः 11:30 बजे एआरके हॉल, होटल सैफरॉन किरण, 12/6, एनएच-2, बदरपुर मैट्रो स्टेशन के पास, बदरपुर टोल प्लाज़ा के नजदीक, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद-121003 हरियाणा में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना, जिसे ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल पता डिपॉज़िटरी/ रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के पास पंजीकृत है, उनके ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से तथा ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं हैं उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट/ रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया है, में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट को भी उपर्युक्त नोटिस के साथ भेजा गया है।

उक्त वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.bharatgears.com पर उपलब्ध है तथा साथ ही निरीक्षण के लिये सभा की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को व्यावसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं संशोधित कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 के संदर्भ में कम्पनी मंगलवार, 06 अगस्त, 2019 को आयोजित होने वाली उपरोक्त एजीएम में व्यवसाय निष्पादित करने के लिए शेयरधारकों को सहर्ष ई-मतदान (एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा दूरदराज़ क्षेत्रों से मतदान "रीमोट ई-वोटिंग") की सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रदान रीमोट ई-वोटिंग माध्यम से उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) 47वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रोनिक मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, (ख) 47वीं एजीएम की सूचना भेजने की तिथि 11 जुलाई, 2019 है, (ग) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 03 अगस्त, 2019 को प्रातः 09:00 बजे से आरंभ होगा, (घ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 05 अगस्त, 2019 को सायं 05:00 बजे बंद होगा, (ड.) रीमोट ई-मतदान के मताधिकार सिद्ध करने के लिए कट ऑफ तिथि 30 जुलाई, 2019 है, (च) कम्पनी के सदस्यों को सूचना वितरण के बाद तथा 30 जुलाई, 2019 की कटऑफ तिथि से पूर्व जो सदस्य शेयरों का अधिग्रहण करेंगे वे सदस्य rajiv.ranjan@linkintime.co.in या delhi@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, (छ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से मतदान की सुविधा 05 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी, (ज) एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी एवं वहाँ उपस्थित सदस्य जिन्होंने रीमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे मतदान पत्र द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, (झ) वह सदस्य जो रीमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (ञ) जिन सदस्यों का नाम सदस्यों की पंजिका में या डिपॉज़िटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में 30 जुलाई, 2019 की कटऑफ तिथि पर होंगे, वे सदस्य रीमोट ई-वोटिंग द्वारा तथा वार्षिक आम सभा में मतदान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, (ट) 47वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bharatgears.com एवं एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है, (ठ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया एवं तरीके के लिये सदस्य 47वीं एजीएम के नोटिस के निर्देशों को देखें तथा किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in के डाउनलोड खण्ड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा रीमोट ई-वोटिंग यूज़र मैन्युअल देखें अथवा श्री राजीव रंजन, उपाध्यक्ष-ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुंबई-400083 से enotices@linkintime.co.in या दूरभाष 022.49186000 पर संपर्क करें जो रीमोट ई-वोटिंग के साथ जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेंगे। ई-मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य उपरोक्त ई-मेल आईडी पर कम्पनी सचिव अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **भारत गीयर्स लिमिटेड**

हस्ता/-

प्रशांत खत्री

प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 11 जुलाई, 2019

स्थान : फरीदाबाद

खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी सेरेना और हालेप

लंदन, 11 जुलाई (एएफपी)।

सात बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स ने गुरुवार को आसानी से विंबलडन ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट के महिला वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। यहां उनका सामना रोमानिया के लिए इतिहास रचने वाली सिमोना हालेप से होगा। ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त सेरेना इस तरह मारग्रेट कोर्ट के 24 ग्रैंडस्लैम खिताब के रेकॉर्ड की बराबरी करने से महज एक कदम दूर हैं।

वह बेटी को जन्म देकर वापसी के बाद दो बार आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मारग्रेट के रेकार्ड की बराबरी करने से चूक चुकी हैं।

सेरेना ने सेमी फाइनल में गैरवरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा को एक घंटे में 6-1, 6-2 से हराकर शनिवार को होने वाली खिताबी भिड़ंत में जगह सुनिश्चित की। यह उनका 11वां विंबलडन फाइनल भी है। सेरेना का करिअर में हालेप पर जीत का रेकार्ड 9-1 है। सैंतीस वर्षीय सेरेना ने कहा कि मेरा इस साल जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद फिर से फाइनल में पहुंचकर अच्छा महसूस हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए मैचों की जरूरत थी ताकि मैं उसमें अच्छा कर सकूं जो मैं करना चाहती हूं और वो है टेनिस खेलना। मैं जो करती हूं, वो मुझे पसंद है। मेरा काम बढ़िया है और मैं इसमें काफी अच्छी भी हूं। मैं हर बार अच्छा अनुभव हासिल करती हूं। वहीं 2018 की फ्रेंच ओपन चैंपियन और पूर्व नंबर एक खिलाड़ी हालेप उक्रेन की एलिना स्वितोलिना को एक घंटे से जरा ज्यादा समय में 6-1, 6-3 से आसानी से हराकर विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली रोमानियाई महिला खिलाड़ी बन गईं।

विंबलडन

इस 27 वर्षीय सातवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी का यह पांचवां ग्रैंडस्लैम फाइनल होगा। वह 2014 में सेमी फाइनल में पहुंची थीं लेकिन यूजेनी बुकार्ड से हार गई थीं।

रोमानिया के लिए इतिहास रचने वाली हालेप ने कहा कि यह शानदार अहसास है लेकिन मैं उत्साहित भी हूं और नर्वस भी। यह मेरी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से एक है। स्वितोलिना उक्रेन के लिए ग्रैंडस्लैम के सेमी फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं। हालेप से होनी वाली भिड़ंत के बारे में सेरेना ने कहा कि वह उन्हें हलके में नहीं लेंगी।

जेरेमी लालरिनुंगा ने भारोत्तोलन में बनाया युवा विश्व रेकार्ड

आपिया (समोआ), 11 जुलाई (भाषा)।

युवा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जेरेमी लालरिनुंगा ने गुरुवार को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के तीसरे दिन तीन रेकार्ड तोड़े लेकिन क्लीन एवं जर्क में भार नहीं उठा पाए। शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 साल के जेरेमी ने 67 किग्रा वर्ग की स्नैच श्रेणी में 136 किग्रा वजन उठाकर युवा विश्व, एशियाई और राष्ट्रमंडल रेकार्ड तोड़े। इससे पहले युवा विश्व और एशियाई रेकार्ड जेरेमी के ही नाम थे जिन्होंने अप्रैल में चीन के निंग्बो में 134 किग्रा वजन उठाया था।

मिजोरम का यह भारोत्तोलक हालांकि क्लीन एवं जर्क में चूक गया और जिससे उनका कुल वजन काफी कम रहा। यह गोल्ड स्तर की ओलंपिक क्वालीफाइंग स्पर्धा है जिसके अंक तोक्यो 2020 खेलों की अंतिम रैंकिंग के कट में इस्तेमाल होंगे। अन्य भारतीय भारोत्तोलकों में अचिंता शचुली ने सीनियर और जूनियर पुरुष 73 किग्रा वर्ग में कुल 305 किग्रा (136 और 169 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीते।

महिला 76 किग्रा वर्ग में मनप्रीत कौर ने 207 किग्रा (91 किग्रा और 116 किग्रा) वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप का आयोजन युवा, जूनियर और सीनियर वर्ग में एक साथ किया जा रहा है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 236, *हवाई शुल्कः* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।